पंचम माला, खंड 29, अंक 5 शुक्रवार, 27 जुलाई, 1973/5 श्रावण, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXIX, No. 5 Friday, July 27, 1973/Sravana 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसम अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 27 जुलाई, 1973/5 श्रावण 1895 (शक)

No. 5, Friday, July 27, 1973/Sravana 5, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
81	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात की गई स्टेनलेस स्टील की चादरों का बिक्री मूल्य	Release price of Stainless Steel Sheets Imported through MMTC . . .	1–7
82	तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय	Decision taken by Government on the recommendations of Third Pay Commission .	7–9
83	दिनांक 31 मई, 1973 को इंडियन एयर लाइन्स के बोइंग 737 विमान की दुर्घटना के बारे में न्यायिक जांच की रिपोर्ट	Report of Judicial Commission on the Crash of Indian Airlines Boeing 737 Aircraft on 31st May, 1973 . .	10–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—(*Contd.*)

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
84	भारत में सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loans from World Bank for Irrigation Projects in India	15
85	मथरानी समिति की सिफारिशें	Recommendations made by Mathrani Committee . .	15
86	निर्यात बढ़ाने के लिये एक योजना का बनाया जाना	Formulation of a plan to step up Exports	15–16
87	भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार विषयक वार्ता	Trade talks between India and EEC	16
88	रबड़ उद्योग को राहत देने के लिये प्राकृतिक रबड़ का निर्यात	Export of Natural Rubber to relieve Rubber Industry .	16
89	दिनांक 14 जून, 1972 को जापान एयरलाइन्स के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के जांच संबंधी रिपोर्ट पर जापान सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Japanese Government to Enquiry Report on Crash of Aeroplane of Japan Airlines on 14-6-73 . .	17
90	भारत में पी० एल० 480 के अंतर्गत जमा धन का निबटान	Disposal of PL 480 Funds in India	17

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the house by him.

*ता० प्र० संख्या *S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
91	तटीय क्षेत्रों में तूफान की चेतावनी देने वाले राडार स्टेशनों की स्थापना	Setting up of Cyclone Warning Radar Stations along Coastal Areas	17–18
92	ऊनी चिथड़ों के आयात पर लगी रोक हटाना	Revoking Suspension of Import of Woollen Rags . . .	18
93	भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार	Business of Life Insurance Corportation of India . .	18
94	बैंक दर बढ़ाने के बारे में सट्टा बाजार को रिजर्व बैंक के निर्णय का समय से पूर्व पता लग जाना	Leakage of Reserve Bank Decision to Stock Exchange re. Raising of Bank Rate . . .	18–19
95	दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों के टायर फट जाना	Bursting of Tyres of Aircrafts at Delhi Airport . . .	19
96	रिजर्व बैंक, बम्बई की इमारत में आग	Fire in Building of Reserve Bank at Bombay	19–20
97	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पन्न करने के प्रबन्ध करने का प्रस्ताव	Proposal for providing independent Power Generating arrangements to International Airports	20
98	एयर इंडिया द्वारा दो और जम्बो जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to buy two more Jumbo Jets by Air India . . .	20
99	भारत सहायता सार्थ संघ की जून 1973 में हुई बैठक में लिये गये निर्णय	Decision taken at the meeting of Aid India Consortium held in June, 1973 . . .	20–21
100	खराब नोटों को चलन में रखने का निर्णय	Decision to keep soiled Notes in circulation . . .	21

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos			
801	आत्मनिर्भरता संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Self Reliance . .	21
802	इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान समय सूची को सामान्य बनाने के लिये कार्यवाही	Steps to normalise flight schedules of Indian Airlines .	22
803	मलेशिया और बेल्जियम से व्यापार करार	Trade Agreement with Malaysia and Belgium for avoidance of double taxation . .	22
804	बंगला देश द्वारा सूती धागे की मांग	Demand of Cotton Yarn by Bangladesh	23
805	उत्तर प्रदेश में बिक्री कर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of arrears of Sales-tax in Uttar Pradesh . .	23
806	रुई के मूल्यों में समानता लाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये समिति	Committee to Study the question of price equalisation for cotton	23

तारां० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
807	रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद का यूरोप का दौरा	Tour of Europe by India's Export Promotion Council to promote Export of Chemicals and Allied Products . .	24
808	इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों द्वारा निलम्बित किये गये पायलट	Pilots suspended by Indian Airlines Management . .	24
809	केरल सरकार द्वारा रोजवुड का निर्यात	Export of Rosewood by Kerala Government . . .	25
810	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के मुख्यालय और शाखाओं के किये गये निरीक्षण के निष्कर्ष	Findings of the inspection conducted by RBI into Head Office and Branches of State Bank of Bikaner and Jaipur	25
811	स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर में अनियमितताएं	Irregularities in State Bank of Bikaner and Jaipur . .	25–26
812	महाराष्ट्र में व्याज की विभिन्न दरों संबंधी योजना के अन्तर्गत लाये गये जिले	Districts covered under Differential interest Rates Scheme in Maharashtra . . .	26–27
813	कोयला उद्योग में नया पूंजी निवेश	Fresh investment in Coal Industry	27
814	आयकर दाताओं की राज्यवार डायरेक्टरी	State-wise Directory of Tax payers	27
815	समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products .	27
816	गुजरात में दुर्लभता की स्थिति का अध्ययन करने सम्बन्धी केन्द्रीय दल की सिफारिशें	Recommendations of Central Team to study Scarcity condition in Gujarat . . .	28
817	युगांडा को बसों की सप्लाई	Supply of Buses to Uganda .	28
818	विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन संबंधी निष्कर्ष	Findings on a World wide Climatic Change . . .	28–29
819	पोलैण्ड से मालडिब्बों का सौदा	Wagon deal with Poland . .	29
820	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . .	29
821	भारत और ब्रिटन के बीच व्यापार संबंधों के बारे में बातचीत	Talks on Trade relations between India and U.K. . .	29–30
822	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानियां	Losses suffered by Public Sector Undertakings . . .	30
823	महाराष्ट्र के बुनकरों को धागे की सप्लाई	Supply of Yarn to Weavers of Maharashtra . . .	31
824	काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone .	31–32
825	इण्डस्ट्रियल मेनेजमेंट पूल को समाप्त करना	Disbandment of Industrial Management Pool . . .	32
826	खनिज़ तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात करने की योजना	Plan for Import of Fertilisers by MMTC	32–33

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
827	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋण	Loans advanced to Film Producers by IMPEC . .	33
828	काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिय काण्डला जिले का विकास	Development of Kandla District for setting up Industries in Kandla Free Trade Zone .	33–34
829	पेंशन पाने वालों द्वारा सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त लाभों के लिये ज्ञापन का दिया जाना	Submission of Memorandum by Pensioners for Grant of Additional Retirement Benefits .	34
830	अन्त: सत्रावाधियों में मंत्रियों के विदेशी दौरे	Ministers' Travels Abroad during Inter Session Period .	34
831	विमान सेवा समझौते के बारे में बर्मा सरकार से वार्ता	Talks with Burmese Government Regarding Air Agreement	34–35
832	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों के कारण हानियां	Losses due to Strikes in Public Sector Undertakings . .	35–36
833	1972–73 में घाटे की अर्थ व्यवस्था	Dificit Financing in 1972-73 .	37–38
834	मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices . . .	38–39
835	पालम हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रुमेंटल लैंडिंग सिस्टम और एयरपोर्ट सर्विलेन्स राडार	Instrument Landing System and Airport Surveillance Radar at Palam Airport . .	39
836	अत्यावश्यक वस्तुओं के मुल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	40
837	मैसूर को मोटे कपड़े का कोटा देने के आदेश देना	Release of Coarse Cloth Quota to Mysore	40
838	लेखा वर्गीकरण पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तन	Proposed change in the system of Accounting Classification .	40–41
839	यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पांच वर्षों में पटसन के निर्यात पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव	Proposal for Zero Tariff in Five Years on Jute Exports to EEC	41
840	विभिन्न पक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण	Revision in Third Pay Commission's Recommendations in the Light of Objection raised from different Quarters .	41
841	जापान द्वारा कपड़े के अनेक क्रयादशों को रद्द करना	Japan cancels Many Textile Orders	41–42
842	सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिये होल्डिंग कम्पनी की स्थापना करना	Setting up of a Holding Body for Public Financial Institutions	42
843	भारत सहायता संघ से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का उद्योग में उपयोग होगा	Industry in which Financial Aid from Aid India Consortium will be Utilised . . .	42

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
844	हवाई अड्डों पर उपलब्ध नैविगेशनल एपरोच लैंडिंग तथा अन्य सुविधाओं के अध्ययन के लिये गठित समिति	Committee set up to study Navigational, Landing, Approach and other Facilities at Airports	42–43
845	भारत तथा बंगला देश के बीच नया व्यापार समझौता	Fresh Trade Agreement between India and Bangladesh .	43
846	पालम हवाई अड्डे के निकट इंडियन एयरलाइन्स के फोकर विमान की दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन देने में विलम्ब	Delay in release of Inquiry Report on Indian Airlines Fokker Crash near Palam Airport .	44
847	जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के बारे में निगम की योजना	LIC's Scheme to include Representative of Employees in the Directors' Board of Corporation	44
848	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime Allowance to Employees of Nationalised Banks . . .	44
849	राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति	Credit Policy of Nationalised Banks	45
850	आयकर की बकाया राशियां	Arrears of Income Tax . .	46–47
851	मध्य प्रदेश में सम्पदा शुल्क के निर्धारण के अनिर्णित मामलें	Cases Pending for Assessment of Estate duty in Madhya Pradesh	48
852	दिल्ली में तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods in Delhi	48–49
853	हवाई अड्डे की सुरक्षा सम्बन्धी कार्य दल (टास्क फोर्स) का प्रतिवेदन	Report of Task Force on Airport Security . . .	49–50
854	चिथड़े कपड़ों के घोटाले की जांच	Enquiry into Rags Scandal	50
855	कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर की वसूली	Recovery of Wealth-tax on Agricultural Lands . .	50–52
856	मोटे धागे के उत्पादन में कमी और सुपरफाइन किस्म के धागे के उत्पादन में वृद्धि	Cut in the Production of Coarse Yarn and Increase in the production of Superfine Yarn	52
858	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने वाले सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन	Report of Survey Team on the Working of MMTC . .	52–53
859	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्टाफ कारों का उपयोग	Use of Staff Cars in Public Sector Undertakings . .	53
860	भारत के औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन	Re-organisation of Industrial Development Bank of India .	53

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
861	वाणिज्य मण्डलों और अन्य औद्योगिक संगठनों की सदस्यता समाप्त करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश	Instructions to Public Sector Undertakings for Discontinuing Membership of Chambers of Commerce and other Industrial Organisations . .	53–54
862	वर्ष 1970–72 में विदेशियों के चाय बागानों का क्रय	Purchased of Tea Estates Owned by Foreign Interests during 1970-72	54–55
863	कांडला निर्बाध व्यापार जोन में उद्योगों को रियायतें	Concessions to Industries in Kandla Free Trade Zone .	55
864	सिगरेटों और साबुन के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for Increase in prices of Cigarettes and Soaps .	55–56
865	हैदराबाद में एवरो 748 की दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन	Enquiry Report on Avro-748 Crash at Hyderabad . .	56–57
866	थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Increase in Wholesale Price Index	57–58
867	अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार के सरकारीकरण के बारे में मुख्य मंत्रियों के विचार	Views of Chief Ministers in regard to take over of Trade in Essential Commodities .	58
868	दिल्ली और हरियाणा में आयकर विभाग द्वारा छापे मारना	Raids by Income Tax Department in Delhi and Haryana .	58–59
869	इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में विमानों की संख्या बढाने के लिये विमानों की खरीद करने का निर्णय	Decision on purchase of Planes for Augmenting the Fleet of Indian Airlines . . .	59
870	दिल्ली में वर्ष 1974 में होने वाला विश्व व्यापार मेला	World Trade Fair to be held in Delhi in 1974 . . .	59–60
871	सेण्ट्रल बैंक द्वारा जमा राशि पर दी गई क्षतिपूर्ति के भुगतान में हुई कथित अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष	Findings of Probe by CBI into the Alleged Irregularities in Payment of Compensation on Deposits by Central Bank .	60
872	पालम हवाई अड्डे में वरिष्ठ एयरपोर्ट अधिकारियों के उपस्थित न होने के बारे में आरोप	Allegation about non-Availability of Senior Airport Officers at Palam Airport . .	60
873	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी	Shortage of Trained Personnel in Public Sector Undertakings	60–61
874	केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी व्यय में कमी	Curtailment in Government Expenditure at Central and State Levels	61
875	राज्यों में पूरी मात्रा में बिजली उपलब्ध होने से धागे के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण धागे के वितरण पर लगा नियंत्रण हटाना	De-Control of Yarn distribution due to increase in the production of Yarn with Abolition of Power cuts in States . .	62

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
876	अर्ध परिष्कृत खाल और चमड़े के लिये निर्यात कोटे की योजना	Schemes of Export Quotas for Semi-processed Hides and Skins	62–63
877	कच्ची फिल्मों के भण्डार पर सीमा शुल्क में वृद्धि किये जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद से प्राप्त विरोध	Protest from All India Film Producers Council against increase in Customs Duty on Raw Stock	63–64
878	स्टेट बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की यूनियन के नेताओं को निलम्बित करना	Suspension of Union Leaders of State Bank Staff Association.	64
879	उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना	Establishment of a Jute Mill in Orissa	64
880	फसल बीमे को प्राथमिकता कार्यक्रम के आधार पर लेना	Taking up of Crop Insurance as Priority Programme . .	64
881	मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड पर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against M/s. Kores India Ltd. . .	65
884	गत तीन वर्षों में पर्यटन केन्द्रों के लिये चुने गए स्थान	Places selected as Tourist Centres during the last three years	65
885	इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या	Number of Accidents involving Indian Airlines planes . .	66–67
886	भारत सहायता सार्थ की पैरिस में हुई बैठक के बाद विश्व बैंक द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति	Press Communique released by World Bank after Paris meeting of Aid India Consortium	68
887	वर्ष 1966 में इंडियन एयर लाइन्स के लिये ग्राउंड हैंडलिंग एक्विपमेंट की खरीद के बारे में जांच	Investigation into purchase of Ground Handling Equipment for Indian Airlines in 1966 .	68
888	विश्व बैंक से कलकत्ता नगरीय विकास परियोजना के लिये ऋण	Loan from World Bank for Calcutta Urban Development Project	68–69
889	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मैसर्स अमृतसर शुगर मिल्स को दिये गये ऋण के बारे में जांच	Inquiry into the Loan Adviced to M/s. Amritsar Sugar Mills by SBI	69
890	दिल्ली में मजदूरों की हड़ताल के कारण कपड़ा उद्योग में उत्पादन की हानि	Loss of production in Textile Industry due to strike by workers in Delhi . . .	69
891	पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप समूहों में निर्बाध व्यापार निर्यात क्षेत्र की स्थापना	Setting up of Free Trade Export Zone in Sagar Islands . .	69
892	बिहार में कृषकों और उद्योगपतियों को सरकारी क्षत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by Public Sector Banking Institutions to Agriculturists and Industrialists in Bihar	70
893	मोटे और फाइन कपड़े पर मूल्य छापना	Printing of Prices on Coarse and Fine Cloth	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
894	करों की बकाया राशि वसूल करने के लिये अमरीकी पद्धति लागू करना	Introduction of American Scheme for Recovery of Arrears of Taxes	71
896	भारत और श्रीलंका के संयुक्त प्रयास से श्रीलंका में स्थापित उद्योग	Industries set up in Ceylon with the Joint Efforts of India and Ceylon	71–72
897	छोटे किसानों को सहकारी समितियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सहायता देने की योजना	Introduction of Scheme to Aid Small Farmers Co-operative Societies through Nationalised Banks	72
898	वर्ष 1971–72 और वर्ष 1972–73 के दौरान भारत की यात्रा पर अपने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि	Foreign Tourists who visited India during 1971-72 and 1972-73 and Foreign Exchange Earned	72–73
899	मारूति लिमिटेड के अंशधारियों को आयात करने के अधिकार की मंजूरी	Grant of Import entitlements to Shareholders of Maruti Limited	73
900	सूती कपड़ों की कीमतों और कपड़ा मिलों के लाभ में कमी करने के लिय की गई कार्यवाही	Steps to reduce the prices of Cotton Fabrics and profits of Textile Mills	73–74
902	महाराष्ट्र सरकार द्वारा एकाधिकार आधार पर रुई की खरीद	Purchase of Cotton on Monopoly Basis by Maharashtra Government	74
903	भारत की अर्थ व्यवस्था पर काले धन का प्रभाव	Impact of Black Money on India's Economy	75
904	जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डों के सुधार का प्रस्ताव	Proposal to Improve Jaipur and Udaipur Airports	75
905	भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ, लाभांश और अन्य खर्चों के रूप में विदेश भेजी गई धनराशि	Repatriation of profits Dividends and other Expenses by Foreign Companies in India	76
906	काले धन का पता लगाने के लिये मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन	Change of Monetary System to Unearth Black Money	76
907	एक हजार रुपये वाले नोटों का विमुद्रीकरण	Demonetisation of one thousand rupee Notes	76
908	वर्ष 1972–73 में पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाएं	Air Crashes at Palam Airport during 1972-73	77
909	राज्य व्यापार निगम को ऊनी चिथड़ों का आयात करने की अनुमति	Permission to STC to resume Import of Woollen Rags	77
910	भारत में चोरी छिपे लाये जा रहे माल की कीमत	Value of Goods being smuggled into India	77–78
911	भारत के बड़ हवाई अड्डों पर संचार सुविधाएं	Communication Facilities at Major Indian Airports	78–79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
912	इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना बन्द करना	Stoppage of Overtime Allowwance to Employees working in Indian Airlines and Air India . . .	79
914	इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उपाय	Measures to ensure Safety of Passengers Travelling by Indian Airlines Flights . .	79–80
915	वर्ष 1972–73 में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods in 1972-73	80–81
916	राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघरों में खराब नोटों (सायल्ड करन्सी नोट्स) का स्वीकार किया जाना	Acceptance of Soiled Currency Notes at Nationalised Banks and Post Offices . . .	81
917	आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व में हिस्सा मिलने के बारे में सावन्तवादी नागरिक परिषद के प्रस्ताव	Proposal from Sawantvadi Municipal Council for share in Revenue from Income Tax	81
918	सांताक्रुज हवाई अड्डे पर सामान रखने के स्थान का निर्माण	Construction of Luggage Lounge at Santa Cruz Airport . .	81–82
919	विमान चालकों की चैक पायलटों, इंस्ट्रक्टरों और एग्जामिनरों के पद पर पदोन्नति संबंधी नियम	Rules laid down for Promotion of Pilots as Check Pilots, instrnctors and examiners .	82
920	सूडान के साथ रुई का व्यापार	India's Cotton Deal with Sudan	82
921	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अग्रिम धनराशि देने के बारे में पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा	Neglect of North Eastern States in regard to advances by Nationalised Banks . .	83
922	अगस्त 1972 में पालम के निकट इंडियन एयरलाइन्स के फोकर विमान की दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय के निष्कर्ष और सिफारिशें	Findings and Recommendations of Court of Inquiry into Indian Airlnes Fokker Crash near Palam in August, 1972 .	83
923	31 मई, 1973 को बोइंग 737 विमान की दुर्घटना होने से पूर्व पालम हवाई अड्डे पर बेकार पड़ा निगरानी राडार	Surveillance Radar at Palam Airport rendered idle before Aircrash of Boeing 737 on 31-5-1973	83–84
924	विमान चालकों द्वारा उड़ान से पूर्व शराब न पिया जाना सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही	Steps to ensure that Pilots have not consumed liquor before Commencement of Flight	84
925	बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को रद्द करने का सुझाव	Proposal to shelve Banking Commission's Recommendations .	84
926	रक्षा प्रतिष्ठानों में हड़ताल करने का अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ का निर्णय	Decision by All India Defence Employees Federation of organise strike in Defence Installations . . .	84–85

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
927	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पुनर्विचार करने के लिय संसदीय समिति नियुक्त करने का संसद सदस्यों का सुझाव	Suggestions made by Members of Parliament in regard to Appointment of Parliamentary Committee to review the working of Nationalised Banks . .	85
928	पर्यटन के विकास के लिये गोविन्द सागर झील के लिये दो मोटर लांचों की खरीद का प्रस्ताव	Proposal to purchase two Motor Launches for Gobind Sagar Lake for Promotion of Tourism	85–86
929	पोंग बांध के जल से बनने वाली झील का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop the lake to be formed by the waters of Pong Dam for Tourist Purpose	86
930	पांचवीं योजना के दौरान पर्यटन का विकास	Development of Tourism during Fifth Plan	86
931	इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों की कार्यकुशलता के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिय उपाय	Steps to check Deteriorating Standards of Pilot Efficiency in Indian Airlines . .	86–87
932	विश्व बैंक से ऋण	Loans from World Bank . .	87
933	प्रत्यक्ष करों के बारे में वांचू समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Wanchoo Committee on Direct Taxes .	87–88
934	बैंक आफ बड़ौदा द्वारा चमड़े के सामान का व्यापार करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध	Seeking of Permission by Bank of Baroda from R.B.I. to Trade in Leather Goods . . .	88
935	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दरों में वृद्धि	Increase in Bank Rate by Reserve Bank of India . .	88–89
936	दिल्ली हवाई अड्डे पर निगरानी राडार	Surveillance Radar at Delhi Airport.	89
937	मूल्यों में वृद्धि होने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा	Compensation Payable to Central Govt. Employees in view of rise in prices . .	89–90
939	धागा नियंत्रण योजना के कारण मिलों में धागे का जमा हो जाना	Accumulation of Yarn Stocks in Mills due to Yarn Control Scheme . . .	90
940	इंडियन एयर लाइन्स के टिकटों को रद्द कराने का शुल्क	Cancellation charges for Air Tickets of Indian Airlines .	90–91
941	पर्वतीय स्थानों के विकास के लिये योजना	Plan for Development of Hill Stations	91
942	कपड़ा मिलों के स्वामियों द्वारा धागे के भंडार जमा करके काले बाजार में बेचा जाना	Hoarding of Stocks of Yarn by Textile Mill Owners and its Sale in Black Market .	91

अता० प्र० संख्या० U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
943	पालम हवाई अड्डे के नवीकरण और सुधार पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Renovation and Improvement of Palam Airport	91–92
944	एयर इंडिया के प्रबन्धकों के विरुद्ध इंडियन पायलट गिल्ड का आरोप	Accusations made by Indian Pilots Guild against Management of Air India	92
945	मिस्टर जस्टिस जी० डी० खोसला से सुझावों का कार्यान्वयन	Implementation of Suggestion of Justice G.D. Khosla	92–93
946	पालम हवाई अड्डे के निकट 31 मई, 1973 को हुई बोइंग विमाग की दुर्घटना के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Boeing Aircraft Disaster near Palam Airport on 31-5-73	93–95
947	पालम हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम और वाय निगरानी राडार	Instrument Landing System and Air Surveillance Radar at Palam Airport	95
948	बंगला देश से कच्चे पटसन के आयात के लिये लम्बी अवधि का समझौता	Long term Agreement for Import of Raw Jute from Bangladesh	95–96
949	एग्जीक्यूटिव पायलटों द्वारा फलाइट प्रशिक्षण के लिये अधिक समय देना सुनिश्चित कराने के लिये कार्यवाही	Steps to ensure that Executive Pilots give more Time to Flight Training	96
950	आस्ट्रेलिया तथा जापान से पर्यटक	Tourists from Australia and Japan	96–97
951	बम्बई हवाई अड्डे पर उतरते समय इंडियन एयरलाइन्स के केरेवले विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	Accident to Caravelle Aircraft of Indian Airlines while Landing at Bombay Airport	97
952	श्रीमती आर० कुट्टयाह द्वारा चाय पर लेख लिखा जाना	Article on Tea by Mrs. R. Kuttaih	97
953	ग्रामीण तथा नगरीय आय की न्यूनतम और अधिकतम सीमा	Minimum and Maximum limits of Rural and Urban Incomes	97–98
954	राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक धन निकालना	Overdrafts by States on R.B.I.	98
955	सभी हवाई अड्डों पर विमान चालकों की अनिवार्य डाक्टरी जांच	Compulsary Medical Check up of Pitots at all Airports	98
956	विमानों की खरीद के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स की पांचवी योजना	Fifth Plan of Indian Airlines regarding Purchase of Planes	98–99
957	खेती के उपकरणों की खरीद के लिये किसानों को बैंकों से ऋण	Bank Loans to Farmers for Purchase of Agricultural Implements	99
958	बैंक कर्मचारियों के आन्दोलनों के फलस्वरूप बिहार में बैंकों में काम ठप्प होना	Stoppage of work in Banks in Bihar due to Agitations by Bank Employees	99
959	वर्ष 1973 के दौरान आमों का निर्यात	Export of Mangoes during 1973	99–100
960	सी० डी० ए० पटना के कार्यालय की इमारत का निर्माण	Construction of Office Building for Controller of Defence Accounts, Patna	100–101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
961	पटसन के निर्यात के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बातचीत	Talks with EEC Re. Export of jute	101
962	न्यासों के निर्धारण के लिये पृथक न्यास सेलों की स्थापना	Formation of Separate Trust Cells for Assessment of Trusts	101
963	व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कनाडा की यात्रा	Visit by Trade Team Delegation to Canada	102
964	6 जून 73 को त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग हवाई जहाज का टायर फट जाना	Bursting of Tyre of Indian Airlines Boeing Aircraft at Trivandrum Air Port on 6th June 1973	102
965	पालम हवाई अड्डे के निगरानी राडार के सही कार्यकरण के लिये पर्याप्त परिचालन कर्मचारियों की भर्ती के लिये कार्यवाही	Steps to recruit adequate Operational Staff for proper Functioning of Surveillance Radar at Palam Airport	102
966	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ऋण देना	Disbursement of Loans by Nationalised Banks to Small Farmers	103
967	धागे की कमी के कारण उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बुनकरों का बेरोजगार होना	Unemployment of Weavers in U.P. and other States due to Shortage of Yarn	104
968	बिहार के मधुबनी जिले में उत्तम किस्म का कपड़ा बनाने वाले बुनकरों द्वारा उत्पादन	Production by weavers of Superior variety of cloth in Madhubani district of Bihar	104
969	सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकाधिकार गृहों को दिया गया ऋण	Credit advanced to Monopoly Houses by Public Financial Institutions	105
970	कनाडा को भारतीय वस्तुओं का निर्यात	Indian exports to Canada	105
971	पायलटों के प्रशिक्षण के उच्चस्तर को सुनिश्चित करने के लिये उठाये गये कदम	Steps to ensure strict standards training for pilots	105–196
972	रूस को औषधियों का निर्यात	Export of Drugs to USSR	106
973	1973 के दौरान काजू की गिरी का निर्यात	Export of Cashew Kernels during 1973	106
974	समाज के अभावग्रस्त वर्ग को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लाभ पहुंचाना	Benefits of Nationalised Banks to Vulnerable Section in Society	106–107
975	विभिन्न पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध	Request from Orissa Government for developmens of various Tourist Centres	107
977	पूर्व यूरोपीय देशों के लिये निर्यात नीति बनाना	Evolution of Export Strategy to cover East European Countries	107
978	सामान्य बीमा कम्पनियों में कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by General Insurance workers	108

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
979	भारत में दूर संचार परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) से ऋण	Loan from IDA for Telecommunication Porject in India .	108
980	खराब नोटों का प्रचलन	Circulation of Soiled Notes .	108–109
981	आने वाले हवाई जहाजों का मार्गदर्शन करने हेतु पालम हवाई अड्डे पर लगाये गये यंत्र और उपकरण	Instruments and Equipment Installed at Palam Airport to Guide Incoming Flights	109–110
982	दिल्ली हवाई अडडे पर कंट्रोल टावर	Control Tower at Delhi Airport	110–111
983	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और एजेंटों के वेतनमानों तथा कमीशन का पुनरीक्षण	Revision in Pay Scales and Commission of Staff and agents of LIC	111
984	केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समयोपरि भत्ते का भुगतान	Overtime Allowance paid in various Ministries and Departments of Central Government	111–112
985	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की नई दिल्ली शाखा में 40 लाख रुपयों के मूल्य की लेखन सामग्री का घोटाला	Bungling of Stationery worth Rs. 40 lakhs in New Delhi Branch of State Bank of India	112
986	दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने के लिये सुविधायें	Aircraft landing Facilities in Delhi	112
987	पालम हवाई अड्डे के निकट तीन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन	Enquiry Reports on three Accidents near Palam Airport .	113
988	बुनकरों और विद्युत चालित करघों की विभिन्न काउंट के सूत की आवश्यकता और उसका वितरण	Requirement of Different counts of Yarn by Weavers and Powerlooms and its distribution	113–114
989	राष्ट्रीयकृत बैंकों की परीक्षाओं में हिन्दी का वकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग	Use of Hindi as Optional Medium in Examinations of Nationalised Banks . . .	114
990	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ता देना	Payment of Overtime Allowwance to Employees of Nationalised Banks . . .	114–115
992	वर्ष 1972–73 में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अर्जित लाभ	Profis earned by Indian Airlines during 1972-73 . . .	115
993	पश्चिम बंगाल में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income tax in West Bengal	116–118
995	चिट फंड कम्पनियों तथा सेविंग यूनिटों में अनियमितताय	Irregularities in Chit Fund Companies and Savings Units .	118
996	कलकत्ता में हुगली पुल के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange for Hooghly Bridge in Calcutta	119

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
997	काले धन का पता लगाने के लिये कायवाही	Measures to Unearth Black Money	119–121
998	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में उपभोक्ताओं, ग्रामवासियों, कारीगरों और लघु उद्योगपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan paid by Nationalised Banks to consumers, peasants, Artisans and Small Industrialists in Faizabad Division of U.P.	121–122
999	पांचवी योजना के दौरान अयोध्या में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Ayodhya during Fifth Plan	122
1000	गुजरात में मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices in Gujarat	122–123
	ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रकिया)	Re. Calling Attention (Procedure)	123–124
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दमनकारी कार्यवाहियों का समाचार—	Reported repressive measures by the Aligarh Muslim University Authorities—	
	श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	124, 125–126
	प्रो एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nural Hasan	124–125व 126–127व 128
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Ajdournment (Query)	128–129
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	129–134व 138–139
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवदन के पांचवे अध्याय में की गई सिफारिशों के उत्तरों का विवरण	Statements showing replies to recommendations contained in Chapter V of Eighteenth Report of Committee on Welfare of S.C. and S.T.	135
	सभा का कार्य	Business of the House	135–136
	मधुपुर पर 5 अप हावडा-अमृतसर मेल और 87 अप दक्षिण बिहार एक्सप्रैस के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य—	Statement re. collision of 87 Up South Bihar Express with 5 Up Howrah-Amritsar Mail at Madhupur—	
	श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	136
	खान (संशोधन) विधेयक—	Mines (Amendment) Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	136
	कम्पनीज (संशोधन) विधेयक—	Companies (Amendment) Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	136–137

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
नियम 377 के अन्तर्गत मामले--	Matter under Rule 377—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन समा पटल पर रखने म सरकार की असफता	Failure of Government to lay on the Table Reports of the Tariff Commission	137–138
संशलिष्ट रबड़ के उचित विक्रय मूल्य के बारे म प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन--बेटा आक्सी-नेफथोंइक एसिड के मूल्य ढांचे के बारे म प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on Fair Selling Prices of Synthetic Rubber Report of Tariff Commission on Price-structure of Beta Oxy. Napthoic Acid .	138
उत्तर प्रदेश के रेंवा और सीधी जिलों में सूखे की स्थिति के बारे में	Re. Drought in Rewa and Sidhi Districts of U.P. . . .	139
मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक--	Mysore State (Alteration of Name) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant .	139
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya.	140
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Shri V. K. R. Varadaraja Rao	140
डा० एस० ए० मुरूरगनन्तम	Shri S. A. Muruganantham .	140–141
श्री एस० बी० पाटिल	Shri S.B. Patil . . .	141
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxmi Narain Pandeya .	141
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula . .	141–142
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा	Shri T. V. Chandrashekhrarappa Veerabasappa .	142
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao .	142
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy .	143
श्री के० मालन्ना	Shri K. Mallanna . .	143
श्री के० चिकलिंगय्या	Shri K. Chikkalingaiah .	144
श्री के० के० शेंटी	Shri K. K. Shetty .	144
श्री एस० एम० सिद्दय्या	Shri S. M. Siddayya .	144
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
28 वां प्रतिवेदन	Twenty-eighth Report . .	145
विधेयक पुरस्थापित--	Bills Introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, श्री आर० पी० उलगनम्बी का (नये अनुच्छेद 130क का अन्त:स्थापन) ।	Constitution (Amendment) Bill . . . . (Insertion of new article 130A) by Shri R. P. Ulaganambi	145
(2) संसद-सदस्यों की आस्तियों का प्रकटीकरण विधेयक, श्री आर० पी० उलगनम्बी का	The disclosure of assets of Members of Parliament Bill by Shri R. P. Ulaganambi	145

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(3) छात्रों के लिये अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण या समाज सेवा विधेयक, श्री विक्रम महाजन का	Compulsory Military Training or Social Service for the Students Bill by Shri Vikram Mahajan . . .	146
(4) अनिवार्य खेती तथा कृषि-सह-कुटीर उद्योगों की स्थापना विधेयक, श्री राम भगत पासवान का	Compulsory cultivation and setting up of Agriculture-cum-Cottage Industries Bill by Shri Ram Bhagat Paswan	146
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक, श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी का (अनुच्छेद 80 का संशोधन और चतुर्थ अनुसूची का लोप)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 80 and omission of Fourth Schedule) by Shri Dinesh Chandra Goswami . .	146–147
(6) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, श्री ई० वी० खिखे पाटिल का (धारा 224, 226 आदि का संशोधन)।	Companies (Amendment) Bill (Amendment of Sections 224, 226 etc.) by Shri E. V. Vikhe Patil . . .	147
(7) अनिवार्य परिवार नियोजन विधेयक, श्री विक्रम महाजन का	Compulsory Family Planning Bill by Shri Vikram Mahajan	147
(8) संविधान (संशोधन) विधेयक, श्री वसंत साठे का (अनुच्छेद 371 का संशोधन)।	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 371) by Shri Vasant Sathe .	148
(9) निर्धनों को नि:शुल्क विधिक सहायता विधेयक, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का	Free Legal Aid to the Poor Bill by Shri Viswanath Pratap Singh . . .	148
संविधान (संशोधन) विधेयक, श्री सी० टी० दंडपाणि का (अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन)—	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 335) by Shri C. T. Dhandapani—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एस० एम० सिददय्या	Shri S. M. Siddayya . .	148–149
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	149
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	149–152 & 153–154
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani .	152–153
संविधान (संशोधन) विधेयक, श्री एस० सी० सामान्त का (सप्तम अनुसूची का संशोधन)—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri S.C. Samanta—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	155–156
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . .	156
श्री समर गुहा	Shri Samar Guha . .	156
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	156–157

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey	157
श्री शिवनाथ सिंह	Shri S. N. Singh .	157
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav	. 157–158
श्री एस० सी० सामान्त	Shri S. C. Samanta	. 158–159
नेताजी राष्ट्रीय अकादमी विधेयक—	Netaji National Academy Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	. 159–160

2—17 LSS(ND)/73

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 27 जुलाई, 1973/5 श्रावण, 1895 (शक)
Friday, July 27, 1973/Sravana 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, पता नहीं यह छपाई की गलती है अथवा ऐसा जानबूझ कर किया गया है । इसमें लिखा है "श्री ज्योतिर्मय बसु इम्पोर्टेड थ्रु एम० एम० टी० सी०" । उनका आयात नहीं किया गया है । वह हमारे देश के हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसका पता लगाना होगा (**व्यवधान**) मैंने देखा है कि इसका शुद्धिपत्र पहले ही जारी कर दिया गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : परन्तु यह तो छपा रहेगा, यह समस्त देश में परिचालित होगा ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मुझे स्वयं संदेह है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे भी आज प्रातः इस सम्बन्ध में 2 या 3 टेलीफोन आये थे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनका निर्यात कर दिया जाता तो अच्छा होता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानता हूं कि आप यह बात सच्चे दिल से नहीं कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत दुर्लभ वस्तु हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात की गई स्टेनलैस स्टील की चादरों का बिक्री मूल्य

*81. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 से स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात एक "कैनेलाइज्ड" मद है जिसका आयात खनिज तभा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1971-72 और 1972-73 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इसका क्या बिक्री मूल्य निर्धारित किया था ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार इस आयातित मद को कुछ पार्टियों को वास्तविक बिक्री मूल्य से बहुत कम मूल्य पर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो (1) ऐसी पार्टियों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है तथा (2) इनसे कम दर लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात 30 अप्रैल, 1971 से पूरी तरह से मार्गीकृत किया जा चुका है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 26 गेज (0.5 मि० मी०) की स्टेनलैस स्टील चादरों की चार्ज की गई कीमतें

गोदाम से निकलते समय की प्रति मे० टन कीमत ।

अवधि	पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अंतर्गत जारी किये गये रिलीज आदेश	वास्तविक प्रयोक्ताओं (मशीनरी विनिर्माता) हेतु आयात नीति के अंतर्गत जारी किए गए रिलीज आदेश	कालम तीन के अंतर्गत आये वास्तविक प्रयोक्ताओं को छोडकर अन्य हेतु आयता नीति के अंतर्गत जारी किए गए रिलीज आदेश
	रुपये	रुपये	रुपये
अप्रल, 1971–जून, 1971 .	——कीमत निश्चित नहीं की गई——		
जुलाई, 1971–अक्तूबर, 1971	19,690	19,690	19,690
नवम्बर, 1971–दिसम्बर, 1971	14,150	15,250	28,000
जनवरी, 1972–मार्च, 1972	14,320	15,530	28,000
अप्रल, 1972–जून, 1972	15,300	15,820	28,000
जुलाई, 1972–सितम्बर, 1972	17,240	17,890	28,000
अक्तूबर, 1972–दिसम्बर, 1972 .	17,814	18,484	28,000
जनवरी, 1973–28 फरवरी, 1973 तक	19,396	20,125	28,000
मार्च, 1973 . . .	34,616	35,733	39,500

टिप्पणी :—(1) जुलाई, 1972 से कालम (2) के अंतर्गत दर्शायी गई कीमतें उन वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए भी प्रयोज्य हैं जो अपने निर्यात निष्पादन के आधार पर अधिमानी व्यवहार को पात्र बन गये हैं ।

(2) जुलाई, 1972 से कालम (2) के अंतर्गत दर्शायी गई कीमतें वस्तु विषयी निर्यातों संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए रिलीज आदेशों के संबंध में भी प्रयोज्य हैं ।

(3) अक्तूबर, 1972 से कालम (3) के अंतर्गत दर्शायी गई कीमतें मशीनी औजार और डेरी उपस्कर के विनिर्माताओं के लिए प्रयोज्य नहीं हैं । उनसे कालम (4) के अंतर्गत दर्शायी गई कीमतें चार्ज की जाएंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यद्यपि आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया गया था और सरकार ने वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये वर्ष 1971 में 19 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया था और वर्ष 1972 में 27 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया था, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि वास्तविक प्रयोक्ताओं को स्टेनलेस स्टील देने के बजाय उसे कुछ सिफारिशों पर गैर-प्रयोक्ता व्यापारियों को 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे दिया गया जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत सरकार की आय में कुल कितनी कमी हुई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि स्टेनलैस स्टील जैसे माल के प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिये हमने मूल्य ढांचों की तीन विभिन्न कोटियां बनाई हैं। पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत जारी किये गये 'रिलीज़' आदेशमें स्टेनलेस स्टील का मूल्य 19,690 रुपये प्रति टन था और मशीनरी निर्माताओं जैसे वास्तविक प्रयोक्ताओं के कुछ वर्गों के लिये भी 19,690 रुपये प्रति टन था। एक अन्य वर्ग था, एक तीसरा वर्ग, उनके लिये भी यही मूल्य था। यह स्थिति केनेलाइजेशन से पहले थी; मूल्य समान थे। परन्तु केनेलाइजेशन के बाद मूल्य ढांचा कुछ इस प्रकार था, पहले वर्ग के लिये 14,150 रुपये, दूसरे वर्ग के लिये 15,250 रुपये और तीसरे वर्ग के लिये 28,000 रुपये; इसका कारण यह था कि देश में बने स्टेनलेस स्टील का मूल्य लगभग 30,000 रुपये प्रति टन था। यह दुर्गापुर में बने इस्पात का मूल्य था। यदि दुर्गापुर के उत्पादन का मूल्य 30,000 रुपये प्रति टन है और आयातित मूल्य (लैंडिड प्राइस) लगभग 14,000 रुपये हैं तो इस बड़े अन्तर का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो उनके लिये अलाभकारी होगा और हमने अपनी आयात एजेंसियों को लाभ समेट लेने की अनुमति नहीं दी है। इसी कारण लाभ प्राप्त करने के लिये तीन मूल्य ढांचे बनाये रखे गये हैं जिसका निर्यात बढ़ाने के प्रयोजन के लिये प्रयोग किया गया है। इस नीति से किसी अनधिकृत व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने वर्ष 1971 और 1972 के लिये दो मूल्य निर्धारित किये थे, 19 रुपये प्रति किलोग्राम और 27 रुपये प्रति किलोग्राम और क्या वह गैर-प्रयोक्ताओं को दिया गया था। यह पक्के तौर पर निश्चित था कि केनेलाइज्ड स्टेनलेस स्टील वास्तविक प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त और किसी को नहीं दिया जा सकता। क्या वह गैर-प्रयोक्ताओं को भी दिया गया था ? उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने उत्तर दिया है, दो प्रकार के मूल्यों की कोई व्यवस्था नहीं, तीन प्रकार के मूल्यों वाली व्यवस्था है। यह मेरा पहला उत्तर है। तीसरे किस्म का मूल्य नीति सम्बन्धी निर्णय के कारण गैर-वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये रखा गया है कि कुछ अदलाबदली के सौदे करने के कारण वे इन चीजों के अधिकारी बन गये थे। आयात एवं निर्यात मुख्य नियन्त्रक, औद्योगिक विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, और आर्थिक कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से युक्त एक निकाय के नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार यह कार्यवाही की गई है। यह तीसरे वर्ग के लोगों के लिये प्रोत्साहन के रूप में है जिन्होंने विश्व की मंडियों में ऐसी वस्तुएं बेची हैं, जिनको बेचना बहुत कठिन है। इसमें अन्तर का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है; वह निर्यात संवर्धन के लिये खर्च किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि क्या वह केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को दिया गया था क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था कि वह केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को दिया जायेगा। क्या उन्होंने इस निर्णय की उपेक्षा करके कोई अन्य कार्यवाही की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है । एक सौदे में सरकार को 10 करोड़ रुपये की हानि हुई है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है । जब श्री बी० आर० भगत मंत्री थे तो उन्होंने श्री के० बी० लाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उसमें डा० आई० जी० पटेल तथा कुछ अन्य सदस्य थे जिसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से स्टेनलैस स्टील तथा अन्य वस्तुओं के आयात के केनेलाइजेशन के बारे में विचार करना था और विशिष्ट सिफारिशें की गई थीं कि केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाना चाहिये और माल केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचा जाना चाहिये और मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिये कि लाभ न्यूनतम हो । मुझे पता चला है कि जब एक मंत्री आये और उन्होंने कार्यभार सम्भाला, उन्होंने इन सब शर्तों को हटा दिया । क्या यह बात ठीक है या नहीं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बात ठीक नहीं है । ऐसे मामलों में मंत्री निर्णय नहीं करता ; जैसा कि मैं ने बताया है, ऐसे मामलों में निर्यात और आयात मुख्य नियंत्रक, औद्योगिक विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में बनाई गई समिति निर्णय करती है और लाभ का प्रयोग किसी आपत्तिजनक ढंग से नहीं किया गया बल्कि उसका प्रयोग एक नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार निर्यात के संवर्धन और विकास के लिये स्वयं खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया गया . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हर बात में संदेह मत कीजिये; हर बात को गलत रूप न दीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री एल० एन० मिश्र ने इस निर्णय को बिल्कुल बदल दिया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से पता चलता है कि स्टेनलेस स्टील सहित अलौह धातुओं के मूल्य में वृद्धि की गई है ताकि उसे देश में प्रचलित इस्पात मूल्यों के बराबर लाया जा सके । क्या वह हमें बतायेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इन धातुओं की मूल्य वृद्धि से कुल कितना लाभ हुआ और निर्यात संवर्धन के लिये उसका कैसे प्रयोग किया गया ? क्या वह एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने पहले ही बता दिया है कि लाभ अर्जित किया गया था और इसका प्रयोग निर्यात संवर्धन और विकास प्रयोजनों के लिये किया गया है; यदि वह चाहते हैं तो मैं उसका ब्यौरा दे सकता हूं . . . . **(व्यवधान)**

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय नीति सम्बन्धी निर्णय पर बहुत जोर दे रहे हैं । नीति सम्बधी निर्णय कोई ऐसी बहुत पवित्र चीज़ नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि जिन व्यापारियों को स्टेनलेस स्टील का कोटा दिया गया था उन्हें उसकी बिक्री पर 600 प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उसमें निर्माण का कोई काम नहीं था; केवल इस्पात का रूप दिया जाना था और उन्हें राज्य व्यापार निगम की अ-कार्यकुशलता को छिपाने के लिये 600 प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति दी गई थी ताकि वे यह कह सके कि राज्य व्यापार निगम ने इतना अधिक लाभ कमाया है ? क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रस्ताव है कि व्यापारी उपभोक्ताओं का अहित करके अनावश्यक लाभ न कमायें ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है, प्रश्न नहीं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the honble Minister has just now said that this has been done in pursuance of a decision. In case some bungling is done in pursuance of a decision, will it not be called bungling ? The fact is that it was the policy of the Government that stainless steel would not be supplied to non-users but later on when export scheme was chalked out, as hon'ble Minister is aware that I had written a letter to him in this regard a few days ago and he had sent a reply to me that he would take a long time in looking into this matter. The reason for taking a long time is that whatever bungling has been done by the former Minister of Foreign Trade, he will have to spend whole life in putting the record straight. Now, is it not the duty of the Ministry to ban the sale of stainless steel in the black market which was given to the non-users ? What sort of this export plan is that so me people are being allowed to make money by adopting unfair means ? May I know whe ther this scheme will be scrapped and whether an enquiry will be conducted by this Revenue Intelligence or any other intelligence agency in this matter.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने बताया है, वह वस्तुविनिमय सम्बन्धी सौदे के अन्त र्गत गैर-प्रयोक्ता, वास्तविक आयातकर्ताओं से ये चीजें प्राप्त करते थे । परन्तु कुछ कदाचारों के कारण हमने अब इसे बन्द कर दिया है । अब वस्तुविनिमय करार करने की अनुमति नहीं है । मूल्य ढांचे की तीसरी कोटि अबली है जोकि आयातित मूल्य से काफी अधिक है और इसका कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया है देश में देशी सामग्री की उत्पादन लागत अत्यधिक होना है ।

Shri Madhu Limaye: I seek your protection, Sir. I had asked whether any enquiry would be held by the Revenue Intelligence or any other intelligence Agency because I know that some of non-users have may shares in Maruti Limited ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं ने इसका उत्तर दे दिया है । वस्तुविनिमय के सब मामलों की जांच का कोई प्रश्न नहीं है ---जिन मामलों में विशिष्ठ आरोप लगाये गये थे उनकी जांच हमने की थी । कुछ पार्टियों द्वारा इस प्रकार के सौदे करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । हमने वस्तुविनिमय सौदे बिल्कुल बन्द कर दिये हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि नीति को बदला गया है परन्तु ऐसा करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाली जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस निर्णय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं या नहीं; क्योंकि संसदीय परम्परा में हम मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं, अधिकारियों को नहीं । मैं आपको सभा के अध्यक्ष के नाते पूछता हूं कि क्या मंत्री महोदय द्वारा जिम्मे-दारी न लेना उचित है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि मंत्री निर्णय नहीं करता । तो फिर निर्णय कौन करता है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : नि:संदेह समूचे तौर पर जिम्मेदारी मंत्री की है । परन्तु कुछ निर्णय मंत्री से नीचे के स्तर के होते हैं । मैं उनका उल्लेख कर रहा था । नीति बदलने का निर्णय निश्चय ही मंत्री के स्तर पर किया गया था । इस बात का श्रेय मंत्री महोदय को जाता है जिन्होंने इस निर्णय पर पुन: विचार किया और उसे असंतोषजनक समझा और उसे बदल दिया ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल को वादविवाद का रूप न दिया जाये . . .

Shri Madhu Limaye : I have raised a Constitutional issue. It is the question of collective and Ministrial responsibility. There is no question of Question Hour in it. When I am raising constitutional issue, will you not hear me ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि समूचे तौर पर जिम्मेदारी उनकी है ।

Shri Shyamanandan Mishra : We do not want to know the process of taking a decision. I want to know as to who is responsible for taking a decision ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि समूचे तौर पर जिम्मेदारी उनकी है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अत: वह निर्णय को बदलने के लिये जिम्मेदार हैं । यही प्रश्न पूछा गया था ।

Shri Atal Bihari Bajpayee : Then what is the necessity of dragging officers in it ? The hon'ble Minister has just now said that he had not taken the decision, it was taken by the officers Now he says that it is Ministerial Responsibility. This is a new phrase for us.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने समग्र जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली । You should not repeat such things daily in the House.

Shri Shyamanandan Mishra : The hon'ble Minister should himself take the responsibility.

Shri Madhu Limaye : I have raised constitutional point of order. Will you not hear me ? What is this ? How can you expect orderly proceedings in this fashion ?

Mr. Speaker : What you will not listen to ?

Shri Madhu Limaye : Kindly consider the Minister's reply. According to the Constitution Government is collective responsible to the House. If the matter concerned on two or three Ministers, during Nehru's time, he always used to be here and whenever such a situation arose, he himself used to give a reply. Now here a reply is not forth coming from the Minister and the Prime Minister is also not present. What will happen to the above principle? You are our custodian, will you also not protect our rights ?

Mr. Speaker : I cannot understand that .....(**Interruption**)

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to know from you whether you would protect the rights of the House or not ? You never allow us to put any fetters on Government? How can this go on ? As far as this question is concerned you may call the Prime Minister to explain matter if the Minister is unable to do so.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आपका प्रश्न सीधा था जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बता दिया है कि अंतत: जिम्मेदारी मंत्री पर आती है । इसके अलावा आप क्या चाहते हैं ? **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री से निचले स्तर का उत्तरदायित्व क्या होता है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मंत्रालय में मंत्री के अलावा अन्य कई स्तरों पर भी निर्णय किये जाते हैं फिर भी अन्तत: उत्तरदायित्व मंत्री का ही होता है । यह बात मैंने स्पष्टतया, विशिष्टत: और सीधे-सीधे बता दी है । परन्तु प्रश्न यह है ।. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न पर आपने 25 मिनट लगा दिए हैं और यही हररोज हो रहा है । प्रत्येक प्रश्न पर वाद-विवाद आरंभ हो जाता है । एक ही प्रश्न पर क्यों पूरा प्रश्न काल समाप्त कर दिया जाए ? चार दिन से ऐसा हो रहा है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : स्टेनलेस स्टील के प्रशासन का इतिहास बेदाग नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय, मंत्री या उप-मंत्री ने करनाटक एक्सपोर्टस नामक फर्म का नाम सुना है जिसके एक महानुभाव को, जो इस समय यहां नहीं हैं, स्टेनलैस स्टील के बड़े बड़े आयात पर्मिट दिए गए हैं और गैर-प्रयोक्ताओं को दिए गए इन लायसेंसों को कानूनी तौर पर उसे अन्य व्यक्तियों को बेचने का अधिकार प्राप्त है जो आगे तीसरे और चौथे व्यक्ति को भी बेच सकता है . . . **(व्यवधान)** क्या यह प्रणाली अभी चालू है ? यदि हां, तो क्या प्रेस और इस सदन में करनाटक एक्सपोर्टस की हुई आलोचना के संदर्भ में क्या सरकार कोई उचित स्तर की जांच करायेगी या यह मामला लोक-लेखा समिति को सौंपेगी ताकि सभा को वस्तुस्थिति का पता चल सके जिसके सभापति हमारे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पहले ही हमारी सूची में है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि नीति संबंधी हुए निर्णय के अनुसार कुछ वस्तु विनिमय वाली पार्टियां आयातकर्ताओं से सीधे कुछ स्टेनलेस स्टील खरीद सकती हैं परन्तु हमने देखा है कि इस नीति के क्रियान्वयन में दुरुपयोग होते हैं जिसमें इस फर्म का नाम आया है और यदि इस संबंध कोई पृथक सूचना दी जाए तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री वाजपेयी

श्री त्रिदिब चौधरी : मैंने पूछा था कि...

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न पूछे जाने के लिए कह दिया है । अब आप बैठ जाएं । श्री वाजपेयी ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं स्टेनलेस स्टील के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अगला प्रश्न पूछें ।

Decision taken by Government on the Recommendations of Third Pay Commission

+

***82. Shri Atal Bihari Bajpayee :**
Shri Chandra Bhal Mani Tewari :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the decisions taken by Government on the recommendations of the Third Pay Commission in regard to the pay scales etc. of the Central Government Employees and other related matters ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : वेतन आयोग ने जब से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तब से आयोग की सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करने के सभी संभव प्रयास किये गये हैं । इन सिफारिशों पर कार्यवाही पूरी करना अभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया जाना है । मंत्रिमंडल सचिव तथा अन्य सचिव कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों से मिले थे और उनसे कहा था कि वे विभिन्न मुख्य प्रश्नों पर अपने विचार पेश करें। संयुक्त परामर्श दाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् ने सरकार को एक नोट प्रस्तुत किया है जिसमें आयोग की सिफारिशों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और परिषद् ने उन प्रश्नों पर सरकार के साथ चर्चा भी करनी चाही थी। अत: कर्मचारी पक्ष 6 जुलाई 1973 को मंत्रीन्दल से मिला, जिस मुलाकात मे कर्मचारी पक्ष ने अपने दृष्टिकोण को विशेष स्पष्ट किया, जिस पर अब विचार किया जा रहा है । आशा है कि मुख्य सिफारिशों के बारे में निर्णय शीघ्र ही किया जायगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In a Labour Conference many years back the Centra Government had accepted in principle the minimum need-based wage. The present Pay Commission has also quantified the need-based minimum wage as 314 Rupees but it is reported that Government is not prepared to accept that. The other demand of the employees is regarding linking of DA with the rise in prices. The third demand of the employees is that the Pay Commission's recommendations should be applied with effect from 1st March, 1970. I want to know whether Government have applied thery mind to these issues ?

श्री के० आर० गणेश : सदस्य महोदय द्वारा उठाए गए तीन प्रश्नों पर वेतन आयोग ने विचार किया है और इन पर अपनी सिफारिशें की हैं । कुछ कर्मचारी वर्ग एवं उनके संगठन इन सिफारिशों से सहमत नहीं है । उन्होंने क्रियान्वयन सैल को अपने अभ्यावेदन भेजे हुए है । संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के सदस्यों के सभा में वे मंत्रिमंडल सचिव से और अन्य सचिवों तथा मंत्रियों से भी मिल चुके हैं । वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों और उनके संगठनों के विचार सरकार के सम्मुख है जिन पर विचार हो रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I had asked whether Government have applied their mind to these important issues ? The Pay Commission has not said 'no' to the implementation of these recommendations w.e.f. 1st March, 1970. This has to be decided by he Government. The hon. Minister has said that discussions are going on. I want to know whether a time limit has been fixed regarding taking a decision in this regard ?

Shri K. R. Ganesh : As far as the question of giving retrospective effect to these recommendations is concerned the Commission in their Report has set the date as 1st March, 1973. Regarding taking a decisions on employees' demands, Government would ake a decision as early as possible.

Shri Atal Bihari Vajpayee : When ? Will the decision of Government would come before the end of the current session of Parliament ?

श्री के० आर० गणेश : सरकार का यही आशय है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the Government prepared for a debate in Parliament on the Report before taking a decision thereon ?

Shri K. R. Ganesh : As I said yesterday, Government welcomes a debate in Parliament.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, time shall have to be allocated for this discussion. Government was not prepared for this during the last session on the plea that Government would not allow any discussion till they had made up their mind on the Report. Though they have not yet made up their mind, they are prepared for a discussion now.

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari : Will the proposed raise in the pay of higher Category of Staff Reduced to stem the deteriorating economy of the country and thereby give benefits to lower categories of emplyees ?

श्री के० आर० गणेश : वित्त मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था जैसा कि श्री वाजपेयी ने बताया है । उन्होंने तो कहा था कि निर्णय लेने से पूर्व वह सदस्यों के विचार जानना चाहेंगे । आगामी सत्र में हमें चर्चा का अवसर मिलेगा जिसमें समस्या के सभी पहलुओं पर विचार हो सकेगा । मैं इसपर चर्चा से बचना नहीं चाहता हूं ।

अब श्री तिवारी के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन कम करने से आयोग की सिफारिशों को बदलना होगा और यह मामला सरकार को स्थिति जे० सी० एम० प्रक्रिया आदि के संदर्भ में सोचना होगा ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा रेलवे और डाक-तार विभागों में टेलीग्राफ सिगनेलरों के वेतन-मानों में आयुक्तिसंगत भेदभाव किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस भेदभाव को दूर करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : यह तो विस्तार का विषय है । संचार विभाग में ही एक क्रियान्वयन सैल है और अनेक कर्मचारी संघ ऐसी असंगतियां ढूंढ रहे हैं । सरकार मूलभूत मामलों पर निर्णय लेने के बाद ही इन पर विचार कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बहुत प्रश्न पूछने की मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि इस पर अलग से चर्चा होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत हूं कि किसी भी सरकारी आयोग ने पहली बार न्यूनतम निर्वाह व्यय की मात्रा निश्चित की है जो 15 वें श्रम सम्मेलन के अनुसार 314 है । सभी कर्मचारी संगठन 185 को अस्वीकार कर चुके ह और उनकी मांग है कि 314 को स्वीकार करके महंगाई भत्ते में महंगाई के अनुसार स्वत: वृद्धि उनके वेतन का पायंट-वार निर्धारण और इन सिफारिशों को 1 मार्च, 1970 से लागू किया जाये क्योंकि इसी तारीख को अन्तरिम सहायता की घोषणा की गई थी जो वेतन आयोग द्वारा निश्चित की जाने वाली राशि को अग्रिम स्वरूप दिया गया था । मैं जानना चाहता

हूं कि क्या सरकार को पता है कि रेल कर्मचारी, चाहे वे 'इंटक' से या किसी अन्य संगठन से सम्बद्ध हैं, इसी मत के हैं और 3-1/2 लाख रक्षा कर्मचारियों ने भी मत द्वारा हड़ताल का निर्णय कर लिया है। यह सच है कि सरकार ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है और हम से मिले है। परन्तु यह इक-तरफा कार्यवाही ही है, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि द्विपक्षीय या सुलह-सफाई वाले फैसले के बिना कोई निर्णय नहीं किया जाएगा और इस पर यहां पूरी तरह चर्चा की जाएगी। मैं यह आश्वासन भी चाहता हूं कि 314 के न्यूनतम निर्वाह मूल्य पर यहां चर्चा करने दी जाएगी और यही दिया भी जाएगा।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के ये दृष्टिकोण सुपरिचित है और इन्हें जे० सी० एम० और मंत्रियों की सम्मिति सहित सरकार को बताया जा चुका है। सरकार को इन सभी पहलुओं की जानकारी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जे० सी० एम० की 3 अगस्त को रखी गई बैठक में इस विषय को शामिल नहीं किया गया है। मंत्री महोदय कृपया इसे कार्यसूची में शामिल करें।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय यह कर देंगे ?

श्री के० आर० गणेश : कल अपने उत्तर में मैंने कहा था कि जे० सी० एम० के सदस्य कर्मचारी यदि सरकार से पुनः मिलना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री ए० पी० शर्मा : हमने एक बड़ी अजीब खबर पढी है कि वेतन आयोग की किसी सिफारिश को बेहतर बनाने का कोई भी प्रयास विवाद का विषय बन जाएगा जबकि सरकारी स्थिति यह है कि किसी भी सिफारिश को स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। इस पर सरकार कब तक निर्णय कर लेगी। कर्मचारी-प्रतिनिधियों से सरकार मिल चुकी हैं और पुनः भी मिलने को तैयार है। दूसरी बैठक कब होगी ? यदि नहीं, तो सरकार अनुकूल सिफारिशों कब तक लागू कर देगी क्योंकि देश भर में वे सरकारी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

बोनस के बारे में उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें औद्योगिक कर्मकार माना जाता है बोनस देना सरकार ने स्वीकार किया है यह प्रश्न बोनस पुनरीक्षण समिति के समक्ष है--इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा और क्या सरकार उक्त समिति की रिपोर्ट के बाद घोषणा करेगी या इससे पहले क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक बोनस समिति का संबंध है, सदस्य महोदय को कार्मिक संघ कार्यकर्ता तथा जानकार सदस्य होने के नाते पता है कि इस संबंध में फैसला समिति द्वारा किया जाना है। उन की रिपोर्ट आने पर ही सरकार फैसला करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह मामला वेतन आयोग के विचाराधीन तो था ही नहीं।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक दूसरी बात है, अर्थात् कर्मचारियों से पुनः बातचीत करने का और सरकार द्वारा उस पर विचार करने का, इस बारे में मैं बता ही चुका हूं कि सरकार का इरादा इन सिफारिशों को और कम से कम मुख्य सिफारिशों को यथासंभव शीघ्र और वर्तमान सत्र में ही अन्तिम रूप दे देने का है।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल 2 प्रश्न ही 45 मिनट में निपटा पाए हैं। प्रश्न चाहे जैसा भी हो इसे विवाद का विषय न बनाया जाए। मेरी आपसे अपील है कि दो या तीन सदस्यों के प्रश्नों के बाद अन्य सदस्य प्रश्न न पूछें।

दिनांक 31 मई, 1973 को इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान की दुर्घटना के बारे में न्यायिक जांच की रिपोर्ट

+

*83. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 31 मई, 1973 को हुई इण्डियन एयरलाइन्स के उस बोइंग 737 विमान की दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने के लिए कोई न्यायिक आयोग नियुक्त किया था जिसमें केन्द्रीय इस्पात तथा खान मन्त्री श्री एस० मोहन कुमारमंगलम सहित अनेक यात्री मार गए थे ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । रिपोर्ट की एक प्रतिसभा पटल पर रख दी गई है ।

(ग) जांच-परिणाम स्वीकार कर लिये गये हैं, और सिफारिशों की जांच व उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रणबहादुर सिंह : अब आयोग के प्रतिवेदन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि विमान चालक द्वारा उस समय आल्टीमीटर का निरीक्षण न करने के कारण पालम हवाई अड्डे पर दुर्घटना हुई । क्या सरकारने एसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये, जिसमें विमान चालक द्वारा उपयुक्त समय पर आल्टीमीटर का निरीक्षण न करने के कारण ऐसी दुर्घटना की संभावना हो, कोई कार्यवाही की है ?

डा० कर्ण सिंह : पता नहीं माननीय सदस्य का आल्टीमीटर से क्या तात्पर्य है । न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विमानचालक ने कई गलतियां की हैं । उड़ान करने वाले सभी वर्तमान कमान्डरों के पुनर्परीक्षण सहित सीध नागर विमान महानिदेशक के अन्तर्गत दो वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों की नियुक्ति, जो परीक्षक विमान चालक होंगे, किसी संघ के सदस्य नहीं होंगे, किसी निगम के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु अलग से नागर विमानन विभाग के अधीन होंगे, विमान चालकों की कुशलता में सुधार के लिये उनके शारीरिक चिकित्सा परीक्षण आदि बहुत से उपाय विमान चालकों के प्रशिक्षण में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने के लिये हम समग्र रूप में कर रहे हैं ।

डा० हेनरी आस्टिन : बताया गया है कि इस दुर्घटना तथा अन्य बार बार होने वाली छोटी मोटे दुर्घटनाओं के कारणों में से एक कारण विमान अवतरण की पर्याप्त सुविधाएं तथा तकनीकी सुविधाओं के अभाव में विमान का अधिकतम उपयोग है । मुझे आश्चर्य होता है कि क्या न्यायिक जांच आयोग के प्रतिवेदन में स्थिति के इस पहलू का कोई संदर्भ दिया गया है, और इन अभावों की पूर्ति के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

इस महीने की 6 तारीख को मुझे कलकत्ते के लिये विमान लेना था, तब प्रात: 7.30 बजे जब हम लखनऊ में उतरे तो विमान के पंखों में फड़फड़ाहट की आवाज हुई; मेरा विचार है शायद यह गति पर नियंत्रण रखने के लिये होता है, पता नहीं कौनसा पुर्जा टूटा था । श्री पी० एन० हाक्सर तथा ढाका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे । विमान की मरम्मत मध्यान्होपरान्त 5.30 बजे हुई । हम प्रात: 7-30 बजे से रुके रहे । यह बात स्पष्ट है कि वहाँ पर्याप्त रखरखाव सामग्री उपलब्ध ही थी । अत: इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि विमानों का उपयोग किसी भी प्रकार से किसी दुर्घटना के लिये उत्तरदायी है। यह बात स्पष्ट है कि न्यायाधीश ने विमान को उड़ान के लिये उपयुक्त तथा समुचित रूप से अनुरक्षित बताया है।

मरम्मत आदि की व्यवस्था करना एक कठिन प्रश्न है क्योंकि सामान्यतया हमारा भंडार तथा फालतू पुर्जे आदि चार प्रमुख हवाई अड्डों पर ही रहते हैं। प्रत्येक हवाई अड्डे पर प्रत्येक फालतू पुर्जों की व्यवस्था रखना बहुत कठिन है। यदि लखनऊ, गोहाटी अथवा अन्य किसी ऐसे ही स्थान में कोई दुर्घटना होती है तो हमें ये फालतू पुर्जे इन चार प्रमुख हवाई अडडों से ले जाने पड़ते हैं। प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक पुर्जा रखना ना मितव्ययी है और ना ही व्यवहार्य। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसे मामले को निरन्तर पर्यवेक्षण में रखा जाना चाहिय तथा पद्धति में सुधार के लिये प्रयास किये जाने चाहियें।

प्रो० मधु दण्डवते : इस दुर्घटना के पश्चात एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, और यह हवाई अड्डे के एक विशेषज्ञ के नाम से हैं, जिसमें बताया गया है कि यह दुर्घटना तथा इससे पूर्व की दुर्घटना भी पालम हवाई अड्डे पर संचार व्यवस्था बकार हो जाने के कारण हुई हैं। पालम हवाई अड्डे पर संचार व्यवस्था सम्बन्धी दोष को पूर्णतया दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : पता नहीं माननीय सदस्य का तात्पर्य किस विशेषज्ञ से है और नाही मुझे उनके विशिष्ट वक्तव्य के बारे में पता है। परन्तु सामान्यतया संचारव्यवस्था तथा विमानन ढांचे की अन्य बातों को सुदृढ बनाने की आवश्यकता है और तुरन्त ही बहुत से उपाय किये जा रहे हैं। लाखों रुपय के, हो सकता है करोड़ो रुपये की लागत के भी हों, उपकरणों दे लिये क्रमादेश के दिये गये हैं और स्थिति सुधारने के लिये हमारे संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत आने वाला प्रत्येक प्रयास किया जायेगा।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है हवाई अड्डे के लिये उपकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं। क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान चालक संघ ने पालम हवाई अड्डे पर आवश्यक उपकरण न होने के कारण विमान उतारने से इन्कार कर दिया है ?

एक माननीय सदस्य : इसका खंडन कर दिया गया है।

श्री राम सहाय पांडे : मुझे खंडन के बारे में पता है। क्या इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ है और क्या मंत्री महोदय का ध्यान उसकी ओर दिलाया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सभी उपकरण उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० कर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय विमान चालक संघ का इस आशय का कथित वक्तव्य कि वे भारतीय हवाई अड्डों पर विमान नहीं उतारेंगे, सही नहीं है। हमारे कहने पर लन्दन में हमारे हाईकमीशन में उड्डान सलाहकार ने उड़ानों पर प्रतिबन्ध के बारे में कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में आई० एफ० ए० एल० पी० ए० के लन्दन स्थित मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित किया और मुख्यालय के वक्ता ने उन्हें बताया कि ऐसी कार्यवाही के बारे में उन्हें किसी समाचार का पता नहीं है और न ही उन्होंने किसी समाचार पत्र को ऐसा समाचार प्रकाशित करने के लिये कहा है। एसे समाचार प्रकाशित हो रहे हैं और हम इस बात के लिये बहुत आतुर हैं कि हमारे उपकरणों का परीक्षण तथा पुनर्परीक्षण हो। उसके लिये हमने व्यवस्था कर दी है।

जैसा कि मैंने उस दिन बताया था हमने इन्स्ट्रमेंटल लैन्डिग सिस्टम को अनुसंशोधित कराया है। साथ ही, इस उपकरण के निर्माणकर्ताओं का एक प्रतिनिधि भारत में है। यदि आवश्यक हुआ तो और

परीक्षण करा लिये जायेंगे। परन्तु विदेशों में इस प्रकार का प्रेस अभियान जो दिल्ली हवाई अड्डे के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ है, जिसके बारे में मुझे वास्तव में पता नहीं है, मेरे विचार से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने चारों हवाई अड्डों के कार्यकरण पर ध्यान दिया है, वहां जो भी कमियां पायी जायेंगी सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुधार कार्य किये जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विमान चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की पद्धति आरम्भ की गई है। क्या पहले विमान चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी ? अब क्या नई पद्धति बनाई गई है !

डा० कर्ण सिंह : स्वास्थ्य परीक्षण की एक सामान्य पद्धति थी जिसमें विमानचालकों को कुछ महीनों के अन्तर से समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना होता था। अब नई व्यवस्था यह है कि चार प्रमुख हवाई अड्डों पर जहाँ से उड़ानें आरम्भ होती हैं, डाक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। विमान चालक के उड़ान आरम्भ करने से पूर्व, डाक्टर उसका परीक्षण करता है और यदि कोई बात संदेहास्पद होती है तो डाक्टर "ब्रेथेलाइजर टेस्ट" करता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी है। सुरक्षा के हित में तथा भूतकालिक अनुभव को ध्यान में रखते हुये, उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था।

श्री भागवत झा आजाद : श्री लाल की नियुक्ति की प्रशंसा करते हुये मैं यह बात जानना चाहता हूं कि इन्स्ट्रुमेंट लेन्डिग सिस्टम अथवा उचित अनुरक्षण के अभाव आदि विवादों को भली प्रकार समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा विभागीय स्तर पर क्या प्रयास तथा कार्यवाही की जाती है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने अभी बताया है, हमने श्री पी० सी० लाल तथा मेरे मंत्रालय के सचिव सहित श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो नागर विमानन विभाग के सम्पूर्ण ढांचे तथा कार्यकरण के बारे में जांच करेगी। इस विभाग की स्थापना लगभग 40 अथवा 45 वर्ष पूर्व की गई थी। उड्डान की आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुये हम इस पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं और समिति इस बात का निर्णय करेगी कि क्या बड़े संशोधन अथवा परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

श्री मोइनुलहक चौधरी : उठे—

अध्यक्ष महोदय : आप अचानक ही बड़े सक्रिय हो गये।

श्री मोइनुलहक चौधरी : जी, हां। मुझे सक्रिय होना पड़ा है। लखनऊ हवाई अड्डे का संदर्भ देते हुये मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि प्रत्येक हवाई अड्डे पर फालतू पुर्जे रखने की व्यवस्था नहीं है। कलकत्ता से दिल्ली को बोइंग में यात्रा करते समय उसे रात्री में 9.30 बजे लखनऊ की ओर मोड़ा गया था।

अध्यक्ष महोदय : कहानियां तो सभी के पास होंगी, आप विषय संगत प्रश्न पूछिये।

श्री मोइनुलहक चौधरी : क्या यह सच है कि लखनऊ हवाई अड्डे पर रात्रि में 9.30 बजे स्थल अधिकारी (ग्राऊण्ड आफिसर) नहीं था, खाने का प्रबन्ध नहीं था और मेरे सहित सभी यात्रियों को एक बून्द पानी भी नहीं मिल सका और 12 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ? क्या नागर विमानन विभाग सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की सामान्य सुविधाओं के लिये कुछ प्रबन्ध करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विमान दुर्घटना से सम्बद्ध नहीं है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि त्रुटियों की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है। मुझे यह पता नहीं कि समिति के निर्देश पद क्या है। चूंकि इस मामले में बहुत बड़ी संख्या में तकनीशन अन्तर्ग्रस्त है अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति में तकनीकी कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा ? यदि उक्त समिति में तकनीकी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण है ?

डा० कर्ण सिंह : समिति न केवल चार अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, बल्कि देश के सभी हवाई अड्डों और सब असैनिक उड्डयन सम्बन्धी समस्याओं के बारे में जांच कर रही है। एयर मार्शल श्री पी० सी० लाल, जो वायुसेना अध्यक्ष रहे है और जो 1 अगस्त से इंडियन एयर लाइंस के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का भार सम्भाल रहे है; उक्त समिति में है। इसके अतिरिक्त किसी भी तकनीकी निकाय अथवा व्यक्ति को, जिसके द्वारा साक्ष्य देना अपेक्षित होगा, उसे साक्ष्य देने की अनुमति दी जायेगी। हम इस सम्बन्ध में उपलब्ध सब तकनीकी विचारों का स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमे खुशी है कि श्रीमती जयलक्ष्मी और श्री भौरा हमारे बीच मौजद है। क्या वे कोई प्रश्न पूछना चाहते है।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : जी, नहीं। धन्यवाद

श्री सेझियान : सच्चर आयोग ने विमान उतरने सम्बन्धी यंत्रों और उपकरणों में त्रुटियों और उनके फेल हो जाने के बारे नें बताया है। लेकिन उक्त त्रुटियां और यंत्र केवल उसी दिन ही खराब नहीं हुए थे। वे बहुत समय से खराब थ और उनका पता पालम और अन्य हवाई अड्डों पर हुई दुर्घटनाओंसे पहले की गई जांच के समय किया जाना चाहिये था। पहले की गई जांच के आधार पर लम्बे समय से विद्यमान त्रुटि दूर करने के लिये, जिसके लिये मेरे विचार से मंत्रालय जिम्मेवार है, क्या कार्यवाही की गई ? असैनिक उड्डयन मंत्री इतने भावुक है कि उन्होंने एवरो के दुर्घटनाग्रस्त होने पर त्यागपत्र दे दिया था। मेरे विचार से 31 मई की विमान दुर्घटना के बाद समस्त मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

डा० कर्ण सिंह : रिकार्ड के लिये में यह बताना चाहता हूं कि न्यायाधीश ने यह कहा है कि दुर्घटना उपकरण में त्रुटि के कारण नहीं हुई है। इसके विपरीत न्यायधीश ने यह स्पष्ट किया है कि आई० एल० एस० का उपलब्ध न होना दुर्घटना का कारण नहीं माना जा सकता। मैं यह रिकार्ड के लिये कह रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान जांच और इससे पूर्व की गई जांच से कुछ बातों का पता लगा है जिनमें सुधार करना आवश्यक है।

श्री पीलू मोदी : इन्स्ट्रुमैंट लेडिंग सिस्टम का क्या कार्य है ?

डा० कर्ण सिंह : इनसे विमान चालक को कुछ निश्चित ऊंचाई से नीचे आने में सहायता मिलती है। लेकिन दुर्घटना का कारण यह नहीं था। अनेक हवाई अड्डे ऐसे है जिन पर इस सिस्टम की व्यवस्था नहीं है और वहां बोइंग विमान उतरते है।

श्री पीलू मोदी : विमान चालक को उक्त सिस्टम उपलब्ध न होने की जिम्मेदारी मंत्रालय की है।

श्री सेझियान : उनका यह कहना कि उनमें सुधार की आवश्यकता है इस बात का द्योतक है कि उसमें कुछ कमी थी।

डा० कर्ण सिंह : मैं यह स्वीकार करता हूं कि उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, स्थिति में सुधार करने के लिये पहले ही अनेक उपाय किये जा चुके है और अनेक उपाय किये जायेंगे।

श्री वीर भद्र सिंह : जांच के बारे में प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचारों से यह विदित होता है कि सब लोगों और विशेषकर असैनिक और उड्डयन मंत्रालय के कर्मचारी इस दुर्घटना की सारी जिम्मेवारी विमान चालक पर डालना चाहते है । क्या न्यायाधीश इतने अधिक तकनीकी मामले पर निर्णय देने में सक्षम थे और यदि ऐसा था, तो क्या इस मामले में उन्हें किसी तकनीकी कर्मचारी से सहयोग प्राप्त हुआ था ?

डा० कर्ण सिंह : मैं इस बात का खंडन करता हूं कि किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास किया गया है । यह न्यायिक जांच है । वह दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान व्यायाधीश हैं । उन्हें भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैपटन ए० डी० रैली और एयर इंडिया के कैपटन डी० बोस ने सहायता दी थी । उन्होंने अपना स्वतन्त्र निर्णय दिया है । किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री एच० एम० पटेल: ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय सुधार करने के लिये तभी कार्यवाही करता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है । एवरो दुर्घटना की जांच के निष्कर्षों के पश्चात् ही यह पता लगा है कि प्रशिक्षक एक माना हुआ शराबी था । मंत्रालय ने इसको रोकने के लिये की गई कार्यवाही के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है । जैसाकि अब दुर्घटना के पश्चात् चिकित्सा परीक्षण आरम्भ किया गया है मुझे आशा है कि विमान की उड़ान से पूर्व इस बात की जांच की जायेगी कि विमान चालक शराब के नशे में तो नहीं है । यह भी कहा गया है कि आपने विमान चालक का परीक्षण करने के लिये उपकरण भी मंगाया है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात का पता कैसे लगा कि एक माने हुए शराबी व्यक्ति को विमानन विभाग में विमान का इंचार्ज नियुक्त करने की कैसे अनुमति दी गई ?

डा० कर्ण सिंह : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना अधिक वेतन पाने वाले विमान चालक जैसे व्यक्ति उड़ान से पूर्व शराब का सेवन करें । यदि कोई विमान चालक शराब पीता भी है तो भीउ से कम से कम उड़ान के समय शराब नहीं पीनी चाहिये । यदि वह चाहें तो अपने घर पर यदा-कदा शराब पी सकते हैं । इसी कारण सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगाये है कि उड़ान से निश्चित अवधि पूर्व शराब न पी जाये। मेरा अपना विचार है कि किसी को भी शराब नहीं पीनी चाहिये । यदि विमान चालक छुट्टी पर है और वह शराब पीना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नही है । लेकिन उसे उड़ान के समय कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिये । विमान उड़ाने से पूर्व शराब पीना दण्डिक अपराध है । इसी कारण हमने उक्त प्रणाली अपनाई है ।

श्री एच० एम० पटेल : एवरो विमान दुर्घटना के मामले में विमान चालक ने शराब पी हुई थी । उसको शराब पीने की आदत छुडाने के लिये चिकित्सा संस्था में रखा गया था । वह हमेशा शराब पिये रहता था । यह मेरे अपने विचार नहीं हैं । यह समिति का निष्कर्ष है । इस मामले में पहले कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? वह विमान चालक कैसे विमान उड़ाता रहा ?

डा० कर्ण सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है चुंकि विमान चालन की मृत्यु हो गई थी इसलिए इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । कार्यवाही दुर्घटना की पुनरावृती को रोकने के लिए की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत सरल है । जब यह विदित था कि वह विमान चालक शराब पीने का आदि है तो उसे विमान चलाने की अनुमति क्यों दी गई थी ? प्रश्न यह नहीं है कि उसकी मृत्यु हुई अथवा नहीं ।

डा० कर्ण सिंह : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति का निगम में रहने या गया । हम आप इस मामले की जांच कर रहे है । हमने अनेक विमान चालकों को विमान चलाने से रोक दिया है । हम अपनी जांच और विमान चालकों को दिये जाने वाली प्रशिक्षण की प्रणाली की जांच कर रहे है और इस बात को सुनिश्चित कर रहे है कि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

*84. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के लिए नये बैंक ऋणों सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित करने के बारे में भारत और विश्व बैंक के बीच उत्पन्न हुए मतभेद दूर हो गये है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए समझोते की शर्तों की मुख्य बातें क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) , भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए टेण्डर मांगने तथा सिविल निर्माण कार्यों के ठेके देने की कार्यविधियों के संबंध में सुझाव दिए है जो अभी विचाराधीन है।

मथरानी समिति की सिफारिशें

*85. **श्री समर मुखर्जी :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतनमानों के संबंध में मथरानी समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्य** एल० टी० 52/18/73]

निर्यात बढाने के लिए एक योजना का बनाया जाना

*86. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढाने के लिए एक 10 वर्षीय भावी योजना बनाई है;

(ख) क्या इस योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस योजना के आधार पर वर्ष 1980 के समाप्त होने पर विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितनी और आय होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) को बनाते समय 1968–69/1980–81 की अवधि के लिए निर्यात हेतु एक बारह वर्षीय भावी योजना बनाई गई थी।

(ख) इस योजना का विवरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के पृष्ठ 42–44 पर उपलब्ध है, जिसकी एक प्रति पहले ही सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग) इस योजना के अनुसार 1980–81 तक कुल निर्यात 3020 करोड रु० के होंगे और इस प्रकार 1968-69 की तुलना में 1660 करोड रु० की वृद्धि होगी।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार विषयक वार्ता

*87. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावी व्यापार संबंधों पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ब्रूसल्स गया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिनिधि मंडल तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार के प्रति दृष्टिकोण पर मई तथा जुलाई, 1973 में दोनों पक्षों के बीच वार्ताए हुई थी। करार की शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

2 मई, 1973 में हुई वार्ताओं के दौरान पटसन तथा कवर से संबंधित हमारी समस्याओं पर भी विचार विमर्श हुआ था। कुछ समझौते हो गए थे लेकिन इन समझौते को समाविष्ट करने वाले करारों पर विचार विमर्श चल रहा है।

रबड़ उद्योग को राहत देने के लिए प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

*88. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री दिनेश जोरदर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर प्राकृतिक रबड के भंडार जमा हो जाने और दूसरी ओर कृत्रिम रबड के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से रबड उद्योग के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या रबड उद्योग को राहत देने के लिए सरकार के समक्ष प्राकृतिक रबड का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। संश्लिष्ट रबड बनाने के लिये लाइसेंस देते समय प्राकृतिक रबड की उत्पादन प्राप्यता को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में 1971 से संश्लिष्ट रबड के उत्पादन में गिरावट आती रही है। प्राकृतिक रबड के जो स्टाक जमा हो गये हैं उसके विभिन्न कारण है जैसे कि बिजली की कमी, विस्तार क्षमता और लाइसेंसो के क्रियान्वयन में विलम्ब और औद्योगिक वाद विवाद जिनके अधिक समय तक चलते रहने की आशा नहीं है।

(ख) वर्तमान जमा स्टाकों और प्राकृतिक रबड की पुर्वानुमानित उपज को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा 5000 मे.] टन प्राकृतिक रबड का निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

Reaction of Japanese Government to Enquiry Report on Crash of Aeroplane of Japan Airlines on 14-6-1972

***89. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Maulana Ishaque Sambhali :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the reaction of Japanese Government to the Report of the Enquiry Commission into the crash of the Japan Airlines Plane at Palam Airport on the 14th June, 1972?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : While the Japanese Airlines were unhappy at the findings of the Court, a statement made by the Japanese Minister of Transport on the 22nd June, 1973 to Press reporters described the conclusion arrived at by the Government of India on the report of the Court of Inquiry as "generally reasonable".

भारत में पी० एल० 480 के अन्तर्गत जमा धन का निबटान

***90. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुपयों में अमरीका की जमा राशि को बट्टेखाते में डालने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरिका के राजदूत ने गत सप्ताह प्रधान मंत्री को एक स्मरण पत्र भेट किया था जिसमें अतिरिक्त अमरीकी रुपयों के निबटार के सम्बन्ध में प्रस्ताव थे। राजदूत ने 23 जुलाई, 1973 को वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी और उनके साथ प्रारम्भिक विचार विमर्श किया । अब इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही हमारे अधिकारियों तथा अमरीकी दूतावास के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी । इन विचार विमर्शों में कुछ प्रगति होने के बाद ही अन्तिम प्रस्ताव सामने आयेंगे ।

तटीय क्षेत्रों में तुफान की चेतावनी देने वाले राडार स्टेशनों की स्थापना

***91. श्री पी० गंगादेव :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान की चतावनी देने वाले आठ राडार स्टेशन स्थापित किये जा रहे है और यदि हां, तो वे कब और कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे;

(ख) क्या कोई राडार स्टेशन पहले ही स्थापित किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो वह कहां पर स्थापित किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। पूर्वी तट पर कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम्, मसूलीपत्तनम्, मद्रास तथा कराईकल में और पश्चिमी तट पर बम्बई तथा गोवा में।

(ख) और (ग) विशाखापत्तनम् और मद्रास में राडार स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है तथा वे कार्य कर रहे हैं। पारादीप तथा कलकत्ता में इनके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। शेष पांचवीं योजनावधि के दौरान स्थापित कर दिये जाएंगे।

ऊनी चिथड़ों के आयात पर लगी रोक हटाना

*92. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिथडों से कताई करने वाली मिलों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाले ऊनी चिथडों के आयात पर लगी रोक हटा ली है;

(ख) क्या इस बारे में कदाचार के समाचार प्राप्त होने के बाद गत नवम्बर में ऊनी चिथडों के आयात पर रोक लगा दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रोक का आदेश वापीस लेने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) चिथडों का आयात स्थगित नहीं किया गया था। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिथडों के रूप में पहनने योग्य परिधानों का आयात करने का कदाचार दुबारा न हो, मार्गीकरण अभिकरण के रूप में राज्य व्यापार निगम से चिथडे आयात करने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया था।

भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

*93. **श्री राज देव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अप्रैल 1973 में, 13 लाख रुपए के विदेशी कारोबार सहित कुल 25.08 करोड रुपए का नया कारोबार किया था; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष इसी अवधि के दौरान कितना कारोबार किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल 1972 में कुल 26 करोड 25 लाख रुपये का नया कारोबार किया गया जिसमें विदेशी कारोबार 16 लाख रुपये का था ।

बैंक दर बढाने के बारे में सट्टा बाजार को रिजर्व बैंक के निर्णय का समय से पूर्व पता लग जाना

*94. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक दर को बढाकर सात प्रतिशत कर देने का रिजर्व बैंक का निर्णय सरकारी घोषणा से कुछ घण्टे पूर्व सट्टा बाजार में पता लग गया था; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय मे उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नही ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों के टायर फट जाना

***95. श्री सतपाल कपूर :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुफ्तान्सा के एक विमान के तीन टायर 3 जुलाई, 1973 को दिल्ली हवाई अड्डे को उडान पट्टी पर उतरते समय फट गये थे;

(ख) क्या इस से पूर्व बी० ओ० ए० सी० के एक विमान के 5 टायर 30 जून, 1973 को दिल्ली के हवाई अड्डे की उडान पट्टी पर उतरते समय फट गये थे; और

(ग) क्या उड्डान पट्टी की तकनीकी जांच की गई है और उसे दोष पूर्ण पाया गया है; और यदि हां, तो उसको सुधारने के लिये क्या उपाय किये गय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । यह घटना उड्डान भरने के एक परित्यक्त प्रयास के दौरान हुई।

(ख) जी, हां ।

(ग) रनवे को तकनीकी दृष्टि से जांच की गयी है तथा उसकी सतह (सफस) दोष-रहित पायी गयी है।

रिजर्व बैंक, बम्बई की इमारत में आग

***96. श्री गदाधर साहा :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक बम्बई की इमारत में 24 मई, 1973 का आग लग गयी थी और यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई; और

(ख) आग लगने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि 24 मई, 1973 को भगत सिंह रोड पर भारतीय रिजर्व बैंक की इमारत के उत्तरी पूर्वी कोने में आग लगी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, कार्यालय के अभिलेखों खजाने और अन्य मूल्यवान, वस्तुओं को कोई हानि नहीं पहुंची, केवल कृत्रिम छत, बिजली और टलीफोन की तारों अधिकारियों के भोजन कक्ष की तीसरी मंजिल की छत तीसरी मंजिल के चार छोटे वातानुकूलन पैकेज एककों और पीने के पानी

के शीतल संयत्रों को हानि पहुंची । लगभग 7 लाख रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचना भी दी है कि उसने आग लगने के कारण जानने के लिए अग्नि विभाग और बम्बई इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग की सहायता से जांच की थी। जांच का परिणाम यह था कि आग सम्भवत: वातानुकूलन शाफ्ट की पैंदी के प्लीनम में लगे बिजली के संस्थापनों में शार्ट सरकिट हो जान के कारण लगी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बम्बई नगर निगम के अग्नि विभाग ने भी स्वतन्त्र रुप से जांच की थी और उसने बताया है कि आग लगने का कारण बिजली के सरकिट की खराबी था।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वतंत्र रूप से विद्युत् उत्पन्न करने के प्रबन्ध करने का प्रस्ताव

*97. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वतन्त्र रूप से विद्युत् उत्पन्न करने के प्रबंध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और ये व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों के लिए निर्विघ्न रूप से पावर सप्लाय सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो पावर सप्लाई के अन्य स्त्रोतों की व्यवस्था करने पर विचार करना होगा।

एयर इंडिया द्वारा दो और जम्बो जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव

*98. **श्री भोला मांझी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया का विचार दो और जम्बो जेट विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है; और

(ग) वे विमात कब खरीदे जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एयर इण्डिया की पांचवीं योजनावधि के दौरान तीन चौडे आकार वाले जेट विमान खरीदने की योजना है । उन्होंने सरकार के अनुमोदन से लगभग 264.1 लाख डालर (19.23 करोड रुपए) की लागत से एक बोईंग 747 विमान के दिसम्बर, 1974 में वितरण करने के लिए बोईंग कम्पनी को आशय पत्र (लैटर आफ इन्टेंट) जारी कर दिया है ।

भारत सहायता सार्थ संघ की जून 1973 मे हुई बैठक में लिये गये निर्णय

*99. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री फतेहसिंहराव गायकवाड :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1973 में, पैरिस में भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक में हुये विचार विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत सहायता संघ की बैठक में, जो जून 1973 में पैरिस में हुई थी, भारत के आर्थिक विकास की प्रगती की समीक्षा की गयी तथा विकास की सम्भावनाओं और पहली अप्रैल, 1973 से शुरू होने वाले राजस्व वर्ष के लिए विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार किया गया।

(ख) बैठक में चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त सहायता वचनों की आवश्यकता पर सहमति प्रकट की गयी ताकि आर्थिक विकास की प्रगति में सहायता पहुंचाने के प्रयोजन से आयातों का पर्याप्त स्तर बनाया रखा जा सके। संघ के सदस्य इस बात पर सहमत थे कि पहली अप्रैल, 1973 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए ऋण रहित सहायता सहित 70 करोड अमरीकी डालर की परियोजना भिन्न सहायता के तथा लगभग 50 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना-गत सहायता के वचन वांछनीय होंगे। अधिकतर सदस्यों ने आवश्यक स्वीकृति मिलने तक, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऋण राहत सहायता सहित पहले से किये गये अपने अंशदानों अथवा उन अंशदानों का संकेत दे दिया था जो वे बाद में कर सकेंगे। अन्य सदस्यों ने यह आशा व्यक्त की कि वे भी बाद में इसी वर्ष ऐसा कर सकेंगे और उन्होंने इस सारे कार्यक्रम का समर्थन किया।

खराब नोटों को चलन में रखने का निर्णय

*100. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खराब नोटों को नष्ट करने के बजाय जैसा कि अब तक किया जाता था; उन्हें चलन में रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। इस्तेमाल किये गये नोटों को छांटने तथा उन्हें फिर से जारी करने अथवा उन मैले नोटों को नष्ट करने की कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो आगे चलाये जाने के लायक न हों।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आत्मनिर्भरता संबंधी समिति की सिफारिशें

801. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय की आत्मनिर्भरता संबंधी समिति ने 'केयर' जैसे विदेशी स्वयं-सेवी संगठनों तथा अन्य विदेशी सहायता को धीरे धीरे समाप्त करने की दृष्टि से अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने ठीक ठीक क्या सिफारिशें की है और उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि काम आने वाली आयातित सामग्री के स्थान पर देश में उपलब्ध सामग्री से काम चलाना सम्भव है बशर्ते कि इस सामग्री के उत्पादन के प्रयोजन से देश में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये पहले से काफी समय दिया जाये। जहां तक स्वयंसेवी अभिकरणों से सहायता को विभिन्न चरणों में समाप्त करने की तारीख निर्धारित करने का सम्बन्ध है, समिति ने यह निर्णय सरकार पर छोड़ दिया है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान समय सूची को सामान्य बनाने के लिये कार्यवाही

802. **श्री बयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स में कुल कितने विमान है और उनकी विमान-वार संख्या कितनी है;

(ख) हाल की कई विमान दुघटनाओं के कारण कितने विमान नष्ट हुए अथवा सेवा-योग्य नहीं रहे; और

(ग) विमानों की अनुपलब्धता के कारण देश में गत तीन महीनों में कितनी उडानों को रद्द किया गया और इण्डियन एयरलाइन्स की पहले ही अस्तव्यस्त उडान समय सूची को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय इण्डियन एयर लाईंस द्वारा परिचालित किये जा रहे विमानों की कुल संख्या 46 है । उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

बोइंग	6
कार्वेल	6
एफ–27	8
वाईकाऊन्ट	6
एच० एस०–748	13
डी०सी०–3	7
	46

(ख) 6 ।

(ग) विमानों की अनुपलब्धता के कारण पिछले 3 महीनों के दौरान 113 उडाने रद्द की गयी थीं। इण्डियन एयरलाईंस के बेडे में वृद्धि हो जाने के पश्चात् सेवाएं सामान्य हो जाएंगी जिस के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

मलयेशिया और बैल्जियम से व्यापार करार

803. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार दुहरी ने कार्यवाही को रोकने के लिये मलयेशिया और बेल्ज्यिम के साथ करार करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) करारों पर सरकारी स्तर पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए है । इन करारों के लागू होते ही, उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी जाएंगी।

बंगला देश द्वारा सूती धागे की मांग

804. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने यह मांग की है कि उन्हें सूती धागे की 25,000 गांठें तुरन्त सप्लाई की जायें; जिनमें से प्रत्येक का वजन 180 किलोग्राम हो; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बंगला देश से धागे की कोई नई मांग नहीं है । तथापि, बंगला देश का व्यापार निगम निजी पूर्तिकर्ताओं के साथ अपनी निलंबित संविदाओं के आधार पर सूत की पूर्तियों के लिये आग्रह करता रहा है । 18 और उससे उपर के काउन्टों के सूत के निर्यात पर सामान्य तौर पर रोक लगी हुई है । आन्तरिक प्राप्यता सुगम हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निर्यातों पर लगी रोक में जब भी छूट देना सम्भव होगा, तभी बंगला देश को धागे के निर्यातों के संम्बध में विचार करना सम्भव हो सकेगा।

Recovery of arrears of sales tax in Uttar Pradesh

805. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a huge amount of arrears of Sales-tax is outstanding in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the approximate amount thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government to recover the arrears?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) to (c) The administration of sales tax (both local and Central) vests in the State Governments The information asked for in the question, has, therefore, been called for from the Government of Uttar Pradesh and the same will be laid on the Table of the House on its receipt from the State Government.

रुई के मूल्यों में समानता लाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये समिति

806. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की भान्ति रुई के मूल्यों में समानता लाने के प्रश्न की जांच करने तथा जुलाई, 1973 तक प्रतिवेदन देने के लिये उसे एक समिति को सौंपा था;

(ख) समिति की बैठक कितनी बार हुई और क्या समिति ने सुझाव मांगे थे अथवा उन राज्यों, जिन पर मूल्यों में समानता न लाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है के प्रतिनिधियों की बात को सुना है; और

(ग) क्या समिति ने इस बीच अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने कपास के सम्बन्ध में भाड़े में समानता लाने के प्रश्न को जनवरी 1973 में सचिव (वाणिज्य) की अध्यक्षता में बनी एक समिति को सौंपा था ।

(ख) समिति की तीन बैठकें हुई और उसने सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार किया ।

(ग) जी, नहीं ।

रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात को बढाने के लिये भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद का यूरोप का दौरा

807. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों का व्यापार करने वाली भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद ने हाल में पश्चिम यूरोप का दौरा किया है और उसे रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों की बहुत अच्छी मंडी पाया है;

(ख) पश्चिम यूरोप को इन वस्तुओं के निर्यात के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये है और यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता द्वारा प्रायोजित एक बिक्री-सह-अध्ययन दल ने अभी हाल ही में इटली, स्विटजरलैंड, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटन, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा फ्रांस का दौरा किया और इसने इस परिषद द्वारा संचालित कुछ उत्पादों का अच्छा बाजार पाया । 20 लाख रुपये मूल्य के पुख्ता आदेश बुक किये गये है तथा विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में अनेक पूछताछें प्राप्त हुई है जिन पर नमूने तथा विशिष्टियां आदि भेज कर परिषद अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है ।

2. पश्चिम यूरोप को तथा अन्यत्र भी निर्यात बढाने के लिये आयात प्रतिपूर्ति देना, शुल्क की वापसी आदि कुछ मुख्य कदम उठाये गये है । निर्यात संवर्धन के लिये उठाये गये कुछ अन्य कदम ये है : प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, विदेशी खरीदारों को आमन्त्रित करना ।

इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों द्वारा निलम्बित किये गये पायलट

808. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों द्वारा नई दिल्ली में 21 जून, 1973 को बड़े पैमाने पर की गई कार्यवाही में कुछ पायलटों से उनकी कमान छीन ली गई है तथा कुछ अन्य पायलटों को निलम्बित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के निम्नलिखित विमानचालकों को प्रत्येक के सामने दिए गए कारणों से 21 जून, 1973 से कमाण्ड से हटा दिया गया है अथवा निलंबित कर दिया गया है :—

1. कैप्टेन सी० एल० नन्दा	21-6-71	निलम्बित किया गया; उन पर भारतीय वायुयान नियम के नियम 24 के उल्लंघन का सन्देह था ।
2. कैप्टेन ए० आर० अजीज	3-7-73	सांताक्रूज पर कारबेल विमान की अवतरण दुर्घटना में ग्रस्त था ।
3. कैप्टेन डी० वर्मा	6-7-73	अहमदाबाद में वाइकाउंट विमान की दुर्घटना मे ग्रस्त था ।
4. कैप्टेन एन० पी० सिंह	20-7-73	दमदम पर एफ-27 विमान की दुर्घटना मे ग्रस्त था ।

इन के अतिरिक्त, छः विमानचालकों को स्तर-निर्धारण के लिये की गयी जांचों मे निम्नस्तर का पाये जाने के कारण जुलाई मास मे कमांड से हटा दिया गया है ।

केरल सरकार द्वारा रोजवुड का निर्यात

809. श्री वरके जार्ज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह रोजवुड निर्यात बन्द कर दे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल सरकार ने रोजवुड के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्धों का सुझाव दिया था।

(ख) केरल सरकार द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के फलितार्थों पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के मुख्यालय और शाखाओं के किये गये निरीक्षण के निष्कर्ष

810. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1973 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के मुख्यालय और शाखाओं का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या इन निष्कर्षों से पता चला है कि जनरल मैनेजर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों नें आपराधिक कदाचार किये है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 दिसम्बर, 1972 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत सामान्य रूप में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर में अनियमितताएं

811. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा अक्तूबर 1932 में पुस्तकों की जांच के फलस्वरूप पता लगे धोख घडी के मामलों तथा गम्भीर कदाचारों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 एए के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36 कक (1) रिजर्व बैंक को किसी बैंकिंग कम्पनी के कार्यकारी अधिकारी, किसी निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी को हटाने का अधिक प्रयत्न करती है, यदि बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाय कि वैसा करना लोकहित में अथ बैंकिंग कम्पनी के कार्यों को इस प्रकार किये जाने से रोकने के लिए जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो या उसका प्रबन्ध उचित रुप से चलाने के लिए आवश्यक हो। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की यह धारा

भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहायक बैंकों और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं होती। इसलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36 क क (1) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

फिर भी रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर की नयी दिल्ली स्थित शाखा के एजेण्ट के विरुद्ध की गयी दो शिकायतों में दिये गये कुछ आरोपों के बारे में, अक्टूबर, 1972 में रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा बैंक की नयी दिल्ली, न्यू रोहतक रोड और चंदनी चौक स्थित तीन शाखाओं की पुस्तकों तथा लेखों की जांच की गयी। नयी दिल्ली शाखा के एजेण्ट के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दो आरोप लगभग ठीक पाये गये।

(1) उसके द्वारा, जनवरी, 1971 में बैंक की न्यू रोहतक रोड शाखा के ऋण कर्ताओं से सम्बन्धित गोदामों में किये गये निरीक्षण की रिपोर्टों का प्रस्तुत न किया जाना।

(2) नियोजन केन्द्र से प्राप्त किये जाने वाले नामों की सूची का न रखा जाना।

रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि यहां तक उपर्युक्त (1) का सम्बन्ध है, स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के द्वारा सम्बन्धित एजेण्ट को उचित चेतावनी दे दी गयी है और जहां तक उपर्युक्त (2) का सम्बन्ध है अब ठीक प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

महाराष्ट्र में ब्याज की विभिन्न दरों संबंधी योजना के अन्तर्गत लाये गये जिलें

812. श्री वसंत मराठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में छोटे किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिये ब्याज की विभिन्न दरों की योजना को कितने जिलों में लागू किया गया है;

(ख) वर्ष-वार तथा जिला-वार कितने लोगों को इससे लाभ हुआ ;

(ग) क्या पांचवीं योजना में इसका विस्तार किया जायेगा और यदि हां, तो इसकी मुख्य बाते क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार योजना के प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु इसका मूल्यांकन करन का है ताकि ऐसे मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक उपस्कारी कार्यवाही की जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) ब्याज की विभेदी दरों की योजना जिसे जुलाई, 1972 के आरम्भ से चालू किया गया था, महाराष्ट्र राज्य के 26 जिलों में से 16 जिलों में अब भी चालू है। मार्च, 1973 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में कुल 14.81 लाख रुपये के ऋणों की राशि थी और ऋण खातों की संख्या 5882 थी। यह सूचना आंशिक विवरणियों पर आधारित है और इसमें स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के आंकडे शामिल नहीं है।

(ग) योजना अभी प्रायोगिक दौर में है। योजना के विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय प्रायोगिक दौर में प्राप्त किये गये अनुभव की विस्तृत समीक्षा करने का दावा किया जायेगा।

(घ) योजना के लागू किये जाने के पहिले छः महीने की अवधि के दौरान इसमें हुई प्रगति की समीक्षा जनवरी 1973 में की गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप 28 फरवरी, 1973 के बजट भाषण में योजना में किये गये कुछ संशोधनों के सम्बन्ध में घोषणा की गयी

थी। बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे योजना की प्रगति के विषय में तिमाही विवरण भेजें; बैंकों द्वारा भेजी गयी सूचना के परिवेक्ष्य में योजना पर निरन्तर ध्यान रखा जायेगा, ताकि ऐसे उपाय किये जा सकें जिनसे योजना अधिक प्रभावकारी हो।

कोयला उद्योग में नया पूंजी निवेश

813. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री कोयला उद्योग में नये पूंजी निवेश के बारे में 11 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10,007 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब सभापटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : अभी तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयकर दाताओं की राज्यवार डायरेक्टरी

814. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यवार करदाताओं की डायरेक्टरी जारी करने का कोई विचार ह और यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी, हा। किन्तु, इन करदाता-निर्देशिकाओं को आयकर आयुक्तों के क्षेत्राधिकारों के आधार पर क्षेत्र वार तैयार किया जाना है न कि आवश्यक रुप से राज्य वार। आयकर आयुक्त असम, नागालड, मेघालय, मणिपूर और त्रिपुरा के कार्यक्षेत्र की निर्देशिका पहले ही छापी जा चुकी है और अन्य आयकर आयुक्तों के कार्यक्षत्रों की निर्देशिकाओं को तैयार करने का काम विभिन्न स्त रों पर चल रहा है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

815. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय तथा विदेशी फर्मों के नाम क्या है जो समुद्री उत्पादों का निर्यात करते है; और

(ख) प्रत्येक ऐसी फर्म द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितनी मछली निर्यात की गई और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है अत: फर्मवार निर्यात आंकडे नहीं रखे जाते। तथापि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन ने वर्ष 1972 के दौरान ताजे प्रशितित तथा डिब्बों में बन्द समुद्री उत्पादों के 201 निर्यातकों तथा सुखाये हुए समुद्री उत्पादों के 70 निर्यातकों को अपने सदस्य के रूप में पंजीकृत किया है। प्रत्येक वर्ग के 10 उच्च निर्यातकों के नाम उनके निर्यात निष्पादन सहित अनुबन्ध में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या अेल० टी० 5219/73**]

गुजरात में दुर्लभता की स्थिति का अध्ययन करने संबंधी केन्द्रीय दल की सिफारिशें

816. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि वह गुजरात में एक अध्ययन दल भेजे जहां के कुल 18,604 गांवों में से 12,417 गांवों में दुर्लभता की स्थिति व्याप्त है जिससे 1.34 करोड व्यक्ति प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो क्या जून, 1973 में विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था ;

(ग) क्या उक्त दल द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गए और राज्य में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने अनुरोध पर केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने के लिये सितम्बर, 1972 और फरवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया था। परन्तु जून, 1973 में कोई दल वहां नहीं गया।

केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर 1972-73 और 1973-74 के दौरान सूखा कार्यों के लिये अब तक 31.75 करोड रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है । खर्च की प्रगति को देख कर तथा समय समय पर केन्द्रीय दल द्वारा सूखे की स्थिति की समीक्षा करने पर ही और धनराशि दी जायेगी।

युगांडा को बसों की सप्लाई

817. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा ने भारत से कुछ बसें खरीदने के लिये समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत युगांडा को कितनी बसें बेचेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) 107 गाडियां (82 बसें तथा 25 डम्पर) ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन संबंधी निष्कर्ष

818. **श्री निंबालकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऋतु विज्ञानी डा० विन्सटेनले के विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनों संबंधी निष्कर्षों के बारे में पता है;

(ख) इन निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित अध्ययनों से यह प्रकट नहीं होता कि पिछले दो दशकों के दौरान भारतीय क्षेत्र के ऊपर उच्चतर वायु परिसंचरण पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन या चिरस्थायी प्रवृत्ति रही हो। ये अध्ययन डा० विंस्टेनले के इस तर्क का भी समर्थन नहीं करते कि उत्तरी गोलार्द्ध के सामान्य परिसंचरण में तथा जलवायु कटिबंधों के भूमध्य रेखा कि ओर खिसकने की प्रक्रिया में हाल ही में परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं विभिन्न सांख्यिकीय परीक्षणों से पता चलता है कि न तो उत्तर पश्चिमी भारत की ही और न इस उपमहाद्वीप की ही वृष्टि पद्धति में कोई बड़े पैमाने पर ह्रासात्मक प्रवृत्ति है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोलैंड से माल डिब्बों का सौदा

819. **श्री प्रबोधचन्द्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलंड से माल डिब्बों के लिये नया सौदा करने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत द्वारा पोलंड को 4,000 बोगी फ्लैट वैगनों की पूर्ति किये जाने के लिये परियोजना तथा उपस्कर निगम द्वारा सम्बन्धित पोलिश उद्यम के साथ बातचीत की जा रही है।

अखबारी कागज का आयात

820. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में कितना अखबारी कागज आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1973 के दौरान कितना अखबारी कागज आयात करने का प्रस्ताव है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयात आंकडे वित्तीय वर्ष वार के आधार पर रख जाते है और पंचांग वर्षवार के आधार पर नहीं। वर्ष 1969–70, 1970-71 1971–72 तथा 1972–73 (दिसम्बर, 1972 तक) आयात किये गये अखबारी कागज की मात्रा क्रमश: 155 हजार मे० टन, 144 हजार मे० टन 207 हजार म० टन तथा 101 हजार मे० टन थी।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने वर्ष 1973–74 के दौरान 1,26,700 मे० टन अखबारी कागज खरीदन के लिये क्रयादेश दिये हैं जिसमें चैकोस्लावाकिया से 5,700 मे० टन शामिल है, जिसके लिये कीमत सम्बन्धी बातचीत को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। इसमें लगभग 21 करोड रु० की विदेशी मुद्रा लगेगी। निगम को 33,000 मे० टन की अतिरिक्त सप्लाइ मिलन की भी आशा है जिसके लिये संविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार सम्बन्धों के बारे में बातचीत

821. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अधिकारियों के एक दल ने भारत और इंगलेंड के बीच व्यापार सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने के लिये जुलाई में इंगलेंड की यात्रा की थी; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री ए० सी० जार्ज : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Losses Suffered by Public Sector Undertakings

822. Shri M. S. Purty :

Shri Srikrishna Agarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of public sector undrtakings which suffered losses during 1971-72 and the amount thereof ;

(b) the amount of assistance given by Government to them; and

(c) the steps taken by Government to minimise the losses.

The Minister of State in the Ministy of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Information is given in Annexure. **[Placed in Library See. No. LT 5220/737.]**

(b) While no assistance was given by way of subsidy or grant to compensate for the loses incurred during 1971-72. in some cases, Government have converted loans into equity and /or waived interest charges for limited periods in order to ease their ways and means position The details are given in Annexure.

(c) Government constantly review the performance of the enterprises with a view to taking timely remedial measures. An Action Committee on Public Enterprises under the Chairmanship of Member, Planning Commission was appointed to identify the steps necessary to maximise production, minimise operating costs, improve preventive mainteance & promote better employer/labour relationship and adequate Research and Development activities. The Committee has so far submitted reports on Hindustan Steel Ltd.'s Bhilai and Rourkela Plants, Heavy Electricals (I) Ltd., Bhopal, Plants of Bharat Heavy Electricals Ltd. at Hyderabad and Hardwar, Heavy Engineering Corporation Ltd., Trombay unit of Fertilizer Corporation of India, Hindustan Copper Ltd., Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd., Mining and Allied Machinery Corporation Ltd., Mandhar Plant of Cement Corporation of India and on the organisational aspects of Fertilizer Corporation of India Ltd., Cement Corporation of India Ltd. and Hindustan Paper Corporation. The Committee's recommendations are at various stages of implementation.

The steps taken as a result of the reviews mentioned above include.

(i) improvements in organisational structure and mining at the corporate as well as plant level;

(ii) improvements in technology; operating methods and maintenance systems;

(iii) diversification & export to improve plant utilisation;

(iv) provision of additional facilities to remove bottle-necks and imbalances;

(v) improvement of the quality and availability of indigenous materials;

(vi) import of critical components and raw materials, not indigneously available to minimise losses of production;

(vii) improvements in Industrial Relations, Communication System, Personnel Management, Training and Development; and

(viii) institution of improved incentive/reward scheme at all levels.

महाराष्ट्र के बुनकरों को धागे की सप्लाई

823. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने महाराष्ट्र के बुनकरों को धागा सप्लाई करने के लिये क्या उपाय किये हैं; और

(ख) सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य के बुनकरों की आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चालू धागा वितरण योजना के अंतर्गत, राज्यों को धागे का आबंटन महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य में हथकरघों तथा शक्ति चालित करघों की संख्या के आधार पर किया जाता है । राज्य सरकारों को आबंटन सम्पूर्ण उपलब्धता और राज्यों की मांग के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ।

(ख) विभिन्न राज्यों को आबंटन राज्यों में स्थित हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों के आधार पर किए जा रहे है और न कि केवल राज्यों द्वारा की गई मांगों के आंकडों के आधार पर 1 मार्च 1973 से अब तक महाराष्ट्र को किए गए आबंटन इस प्रकार है :

	हैंक्स	कोन्स
	(लाख कि०ग्रा० में)	
मार्च 1973 .	7.26	24.57
अप्रैल से जून 1973 तक .	25.69	135.89
जुलाई से सितम्बर 1973 तक . .	10.91*	80.08*

काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

824. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने, कच्छ के पिछडे जिले में उद्योगों को उपलब्ध रियायती वित्त सुविधाओं को अब कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थित उद्योग को भी बढा दिया है ।

---

*17 काउन्टों तक का धागा शामिल नहीं है ।

(ख) अखिल भारतीय दीर्घावधि सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई० डी० बी० आई० आई० एफ० सी० आई० तथा आई० सी० आई० सी० आई ने 1970 में योजना आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों/क्षेत्रों में स्थापित लघु तथा मध्यम औद्योगिक परियोजनाओं की सहायता की रियायती शर्तों की योजनाएं घोषित की। बाद में ये योजनाएं उन एककों पर भी लागू कर दी गई जो अपना विस्तार कर रहे थे। आई० डी० बी० आई० ने हाल में इन योजनाओं को और भी उदार बना दिया है। इन संस्थाओं की 9 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य उधार दर के मुकाबले अब व्याज की रियायती दर 7.5 प्रतिशत है ।

जून, 1973 में सरकार के इस विनिश्चय के अनुसरण में कि कच्छ के औद्योगिक पिछडे इलाके में उद्योगों को उपलब्ध रियायती वित्त कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थित उद्योगों को उपलब्ध होना चाहिए, आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० आई० सी० आई० आई० को उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है । कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के उद्योगपतियों तथा नये उद्यमियों को इस रियायत की सूचना दे दी गई है और उनसे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनुरोध किया गया है।

"इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुल" को समाप्त करना।

825. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने उसके परामर्श के बिना 'इन्डस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल' को समाप्त करने के सरकारी नियम पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च कार्यकारी पदों के लिए कुछ अधिकारियों को भर्ती किया जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात करने की योजना

826. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का आयात करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके आयात कार्यक्रम की मोटी रुपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का आयात करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई संविदाओं तथा उनकी सुपुर्दगी की समय सूची को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	देश का नाम	मद	संविदा की तारीख	की गई संविदा की मात्रा (मे० टन)	सुपुर्दगी की समयसूची
1	रुमानिया	सी०ए०एन०	(1) 30–8–72	75,000	जनवरी से जून 73
			(2) 16–12–72	100,000	जुलाई से दिसम्बर 73
2	ज० लो० गणराज्य	प्युरियेट आफ पोटाश	14–11–72	150,000	फरवरी 73 से दिसम्बर, 73
3	सोवियत संघ	यूरिया	24–1–73	55,000	जुलाई, 73 से मार्च, 74
4	सोवियत संघ	एम०ओ०पी०	24–1–73	35,000	जून, 73 से दिसम्बर, 73
5	बल्गरिया	यूरिया	27–1–73	100,000	फरवरी, 73 से दिसम्बर, 73
6	पोलंड	यूरिया	27–4–73	200,000 + 10 प्र०श०	जुलाई, 73 से जून, 74
7	बर्मा	यूरिया	17–2–73	6,000	मार्च/अप्रैल 73

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्म-निर्माताओं को दिये गये ऋण

827. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को अब तक कितना ऋण दिया गया है;

(ख) फिल्म निर्माताओं द्वारा कितना ऋण वापस कर दिया गया है;

(ग) उन लोगों से, जो ऋण लेकर उसे लौटाने में निरन्तर रूप में असफल रहे है की ऋण राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनके नाम क्या हैं और उनकी ओर कितनी राशि बकाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र मे उद्योगों की स्थापना के लिए काण्डला जिले का विकास

828. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु काण्डला जिले के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन पाने वालों द्वारा सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त लाभों के लिये ज्ञापन का दिया जाना

829. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों ने तीसरे वेतन आयोग की स्थापना के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिये सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त लाभों की बात पर जोर डालने के लिये प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है और;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के 1 मार्च, 1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को राहत की मंजूरी के लिए पेंशनरों तथा उन की संस्थाओं से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे है। 31 जनवरी, 1973 को मद्रास में हुए केन्द्रीय सरकार के पेंशनरो के वार्षिक सम्मेलन में भी कुछ प्रस्ताव पास किये गये जिनकी प्रतियां सरकार को पेश की गयी थीं। केन्द्रीय सरकार की सेवा में स्थित कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ती लाभों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं। केन्द्रीय सरकार के 1 मार्च, 1973 से पूर्व सेवानिवृत्ती हुए पेंशनरों को किसी प्रकार की राहत मंजूर करने के प्रश्न की जांच कालांतर में उन निर्णयों की दृष्टि से की जा सकती है जो इन सिफारिशों पर लिये जांये।

अन्तः सत्रावधियों में मंत्रियों के विदेशी दौरे

830. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तः सत्रावधि (19 मई, 1973 से 22 जुलाई, 1973 तक) के दौरान मंत्रियों के विदेशों के दौरों प्रयोजन क्या थे; और

(ख) सरकार का इस कारण कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5221/73]**

विमान सेवा समझौते के बारे में बर्मा सरकार से वार्ता

831. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्मा सरकार को यह सुझाव दिया है कि पुराने विमान सेवा सरकार के अन्तर्गत व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिये;

(ख) क्या दोनों सरकारों के नागर विमानन अधिकारियों के बीच हाल में कोई वार्ता हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इण्डियन एयर लाईन्स की रंगून के लिए तथा बर्मा एयरवेज कारपोरेशन की कलकत्ता के लिए सेवाएं कई वर्षों से दोनों देशों के मध्य की गयी एक अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत परिचालित की जा रही हैं। इस वर्ष अप्रैल और मई में दो बार वार्ताओं का आयोजन किया गया था । पिछली बैठक में भारत तथा बर्मा के प्रतिनिधि मंडलों की एक विमान परिवहन करार और उसके अनुबंध के पाठ पर सहमति हो गयी तथा उन्होनें उन पर आद्यक्षर कर दिये । यह तय किया गया था कि करार अपनी अपनी कानूनी अपेक्षाएं पूरी करने तथा राजनयिक टिप्पणियों के आदान प्रदान द्वारा इस की पृष्टि कर दिय जाने के पश्चात लागू होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों के कारण हानियां

832. श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1973 से 30 जून 1973 तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तालाबन्दियों, हडतालों तथा नियमानुसार काम के कारण कुल कितनें जन घंटों और धनराशि की हानि हुई; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तालाबन्दी और हडतालों के कारण उत्पादन में हुई हानि और बेकार गये काम के घंटों के बारे में उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गई है । धीमें काम करने के कारण हुई हानि के बारे मे सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकार यह स्वीकार करती है कि अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में हुई हानि को कम करने में सहायक होंगे । सरकार ने मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच मेल पैदा करने वाले और भागीदारी सम्बन्धों को बढावा देने के लिए विभिन्न उपाय हाथ में लिये हैं। इस दीशा में किये गये कुछ उपाय इस प्रकार है :–

(1) नियुक्त और पदोन्नति सम्बन्धी नीति बनाते समय मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श

(2) कठिनाइयों का शीघ्र निपटारा करने के लिए तरीका या प्रणाली तैयार करना;

(3) मजदूरों के कल्याण के हेतु किए गए उपायों का प्रभावी रुप से क्रियान्वयन करना ;

(4) कामगारों को प्रबन्ध में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा देना;

(5) प्रत्येक उद्योग में विभिन्न संयुक्त प्रतिनिधि निकायों में कामगारों का संघ;

(6) राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मजदूरों और प्रबन्धकों दोनों में अधिक विश्वास और भाग लेने की प्रेरणा देना।

विवरण

नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर सरकारी उपक्रमों में तालाबन्दी और हड़तालों के कारण काम के दिनों और उत्पादन में हुई हानि के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—*

1—केन्द्रीय क्षेत्र **जनवरी से अप्रैल, 1973**

(क) हड़तालें :

(1) हडतालों की संख्या .	172
(2) काम के दिनों की हानि .	464075
(3) उत्पादन में हुई हानि की कीमत	73,34,346 रुपये (केवल 96 मामलो से सम्बन्धित)

(ख) तालाबन्दी :

(1) तालाबन्दी की संख्या . .	1
(2) काम के दिनों की हानि . .	13779
(3) उत्पादन में हुई हानि का मूल्य .	1,27,960 रुपये (एक मामले से सम्बन्धित)

2—राज्य क्षेत्र

(क) हड़तालें :

(1) हडतालों की संख्या . .	35
(2) काम के दिनों की हानि . .	23,975
(3) उत्पादन में हुई हानि का मूल्य .	5,02,817 रुपये (11 मामलों से सम्बन्धित)

(ख) तालाबन्दी :

(1) तालाबन्दी की संख्या . .	3
(2) काम के दिनों की हानि . .	34526
(3) उत्पादन में हुई हानि का मूल्य .	1,48,81,800 रुपये (एक मामले से सम्बन्धित)

टिप्पणी :— उपरोक्त आंकडे अनन्तिम हैं। मई और जून 1973 के लिए आंकडे उपलब्ध नहीं है। धीमें काम करने से हुई हानि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

*श्रम कार्यालय (लेबर ब्यूरो), शिमला द्वारा दिये गये आंकडे क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और औद्योगीक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत राज्यीय श्रम विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित है। ये आंकडे केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के लिए हैं।

1972–73 में घाटे की अर्थ व्यवस्था

833. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972–73 में बजट में कितने घाटे की अर्थ व्यवस्था के अनुमान थे और 1973-74 के बजट अनुमानों के अनुसार संशोधित अनुमानों के आंकडे क्या है;

(ख) क्या ये अनुमान हाल ही में फिर से पुनरीक्षित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो नवीनतम पुनरीक्षित अनुमान क्या है और घाटे की अर्थ व्यवस्था की मात्रा के विभिन्न अनुमान तैयार करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है; और

(घ) इस अत्यधिक घाटे की अर्थ व्यवस्था का मूल्यों पर समूचे रूप में क्या प्रभाव पड़ा है और सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के बजट संबन्धी घाटे में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को की गई राजकोष हुण्डियों की बिक्री में शुद्ध वृद्धि और रिजर्व बैंक और राजकोषों में रखे उसके नकद शेषों में हुई घटबढ़ शामिल होती है । इस परिभाषा के अनुसार, 1972–73 में केन्द्रीय सरकार के बजट में घाटे की रकम संशोधित अनुमानों में बढकर 550 करोड़ रुपये हो गई है जबकि उस वर्ष के बजट में 251 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उपलब्ध अनन्तिम आंकडों से वह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार का वास्तविक बजट संबंधी घाटा, जैसे उपर्युक्त (क) में बताया गया है, 882 करोड़ रुपये हो गया है । राज्य सरकारों की स्थिति को हिसाब में लेने के बाद, (राज्य सरकारों के घाटे में रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों में होने वाली शुदध वृदिध और उन के नकद शेषों में हुए परिवर्तन शामिल होते हैं) जिसमें 14 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखाया गया है, 1972–73 के वर्ष के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट संबंधी घाटे की कुल रकम 868 करोड़ रुपये हो जाती है ।

तीसरी आयोजना से शुरू कर के, घाटे की वित्त व्यवस्था की धारणा को व्यापक रुप दे दिया गया है ताकि इसे "रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए शुद्ध ऋण" द्वारा निरूपित घाटे की वित्त व्यवस्था की मुद्रा संबंधी धारणा के निकट लाया जा सके, क्योंकि यह सरकार के घाटे के स्फीतिकारी प्रभाव को अधिक सही तरीके से प्रतिबिम्बित किया करता है । इस धारणा के अधीन, जिसे "आयोजना धारणा" भी कहा जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था में निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं अर्थात् (i) रिजर्व बैंक द्वारा धारित राजकोष हुण्डियों में शुद्ध वृद्धि (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा धारित सरकारी रुपया प्रतिभूतियों में शुद्ध वृद्धि, (iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नकद शेषों में घटबढ, और (iv) रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारो को दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों में शुद्ध वृद्धि। ये दोनों धारणाएं लगभग समान ही हैं सिवाय इन दो मामूली सी भिन्नताओं के, अर्थात (i) आयोजना धारणा में रुपये का सिक्का और छोटे सिक्के शामिल नहीं होते, और (ii) नकद शेष के आंकडों में राजकोषों द्वारा धारित नकदी में होने वाली घटबढ़ शामिल होती है और यह रकम वर्ष के अन्त में लेनदेनों के संबंध में नकद शेष की समायोजित राशि होती है ।

घाटे की वित्त व्यवस्था के आंकड़े देते समय पंचवर्षीय आयोजनाओं, वार्षिक आयोजनाओं, आर्थिक समीक्षा आदि जैसे सरकारी प्रकाशनों में केवल आयोजना धारणा का उपयोग किया जाता है । इस धारणा के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की 1972–73 के घाटे की राशि 862 करोड़ रुपये रखी गयी है और राज्य सरकारों के 14 करोड़ रुपये के अधिशेष की राशि को हिसाब में लेने के बाद घाटे की वित्त व्यवस्था की वास्तविक राशि 848 करोड़ रुपया बैठती है।

बजट सम्बन्धी घाटे की राशि और आयोजना धारणा के अनुसार आंकी गयी घाटे की राशि के बीच अन्तर होने के दो कारण है :—(क) पहली राशि में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के हाथ बेची जाने वाली राजकोष हुंडियों की बिक्री की समस्त वास्तविक राशि शामिल की जाती है और उसमें रिजर्व बैंक द्वारा बाद में अन्य पार्टियों के हाथ बेची जाने वाली राजकोष हुंडियों की बिक्री की राशि का कोई समायोजन नहीं किया जाता, और (ख) इसमें रिजर्व बैंक के पास पड़ी सरकारी रुपया प्रतिभूतियों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता ।

(घ) यदि अन्य बातें ज्यों की त्यों बनी रहें और यदि अतिरिक्त उत्पादन करके तथा/अथवा अपेक्षाकृत अधिक आयात करके घाटे की भारी वित्त व्यवस्था की पूर्ति नहीं की जाती तो घाटे की इस भारी वित्त व्यवस्था का कुल मिलाकर यह प्रभाव पडेगा कि मूल्य सम्बन्धी स्थिति और बिघड़ जायगी । मूल्यवृद्धि रोकने के लिए अनेक वित्तीय, राजस्व विषयक तथा प्रशासनिक उपाय किये गये हैं जिनमें ये शामिल हैं :–

(i) आयातों और अपेक्षाकृत अधिक देशी उत्पादन के कार्यक्रमों के द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों में उचित दर की दुकानें खोल कर अधिक संख्या में लोगों को, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अनाज उपलब्ध कराना और मुख्य अनाजों को सस्ते मूल्यों पर अधिक मात्रा में जारी करना;

(iii) मूल्य और वितरण पर नियंत्रणों को लागू करके आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का यथोचित मूल्यों पर समान वितरण;

(iv) सरकारी व्यय में, विशेष रूप के विकास-भिन्न व्यय में किफायत करना ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था की आवश्यकता को कम किया जा सके और अर्थ-व्यवस्था की अतिरिक्त क्रय शक्ति को बटोरा जा सके।

(v) 30 मई, 1973 स बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर के तथा उद्योग और व्यापार को दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज लेकर बैंक ऋण की लागत में वृद्धि करना।

(vi) बैंक अग्रिमों की उपलब्धता को कम करने के लिए विनियमन कारी उपायों को सुदृढ करना अर्थात् प्रारक्षित निधि के अनुपात और नकदी तथा नकदी जैसी सम्पत्ति के शुद्ध अनुपात में वृद्धि करना और ऋणों के उपयोग को उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए सीमित करना।

मूल्यों में वृद्धि

834. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'एकोनोमिक टाइम्स' बम्बई के 17 जून, 1973 के अंक में 'प्राइज राइज अलार्मिंग' शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सरकार ने 'एकोनोमिक टाइम्स' के 17 जून 1973 के अंक में प्रकाशित मूल्य वृद्धि स सम्बन्धित रिपोर्ट देखी है।

(ख) मूल्यों में भारी वृद्धि विशेष रुप से अनाज और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है । मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण देश के विभिन्न भागों में पिछले दो वर्षों से लगातार भारी सूखा पडने के परिणामस्वरूप देश में वनस्पति तेलहनों और आदि अनाजों (विशेष रूप से मोटे अनाजों) के उत्पादनों में काफी कमी होना है। सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायो का उद्देश्य अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार की अतिरिक्त मांग और सट्टेबाजी को रोकना है । इस सम्बन्ध में विशेष रूप से इन उपायों का उल्लेख किया जा सकता है; सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिक अनाज का जारी किया जाना, अनाज और खाद्य तेलो, तिलहनों का अधिक आयात करना, मूल्य और वितरण पर नियंत्रण लगाना, सरकारी खर्चों किफायत करना, साथ ही बाजार ऋणों द्वारा अधिक साधन जुटाना, व्याज को न्यूनतम दर निर्धारित कर के व्यापार और उद्योग को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की उपलब्धता और लागत पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखना, और प्रारक्षित निधियों तथा नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के अनुपात को बढाना। परिसम्पत्तियों के इन राजस्व तथा मुद्रा सम्बन्धो प्रशासनिक उपायों का अधिक उत्पादन के कार्यक्रमों द्वारा समर्थन किया जा रहा है जिसमें खर्चों और पूर्ति के बीच पहले से अधिक सन्तुलन कायम रखा जा सके।

पालम हवाई अड्डे पर इन्सट्रुमेन्टल लैंडिंग सिस्टम और एयरपोर्ट सर्विलेन्स राडार

835. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 31 मई, 1973 को बोईंग 737 विमान के उतरने से कुछ समय पूर्व ही पालम हवाई अड्डे में बिजली बंद हो गई थी; और

(ख) क्या 4 जून, 1973 को विमानन विभाग के एक प्रवक्ता ने नई दिल्ली में कहा था कि यद्यपि इन्स्ट्रुमेंटल लैंडिंग सिस्टम और एयर पोर्ट सर्विलेंस राडार दिल्ली हवाई अड्डे में काम नहीं कर रहे थे, जब कि इंडियन एयरलाइंस को बोईंग 737 विमान 31 मई की रात को उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, परन्तु अन्य चार मार्ग तथा उतरने के सहायता उपकरण सुरक्षित उतरने के लिये उपलब्ध थे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 31 मई, 1973 को दिल्ली हवाई अड्डे पर 20.05 बजे तथा 22.00 बजे क्षणभर के लिए बिजली फेल होने की दो घटनाएं हुई थीं। दोनों ही अवसरों पर, आपाती (स्टैंड बाई) बिजली की सप्लाई 10 सैकिन्ड के अन्दर ही चालू हो गयी।

(ख) जी, हां। 4 जून, 1973 को नागर विमानन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि 31 मई की रात को "नान डाइरेक्शनल बीकन", "वैरी हाइ-फ्रीक्वेंसी डाइरेक्शन फाइण्डर", "वैरी हाई फरीक्वेन्सी आम्नी रेंज", "डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमैंट", "लोकेटर बीकन एट मिडिल एण्ड आउटर मार्कर लोकेशन्स", "वेरी हाइ फरीक्वेन्सी मिडिल एण्ड आऊटर मार्कर्स", कार्योपयोगी स्थिति में थे तथा विमानों के अवतरण के लिए सामान्य रूप से काम कर रहे थे।

Rise in Prices of Essential Commodities

836. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the prices of essential consumers goods prevailing during the last one year, month wise;

(b) the prices of these goods at the end of April during each of the last three years; and

(c) the relief provided to the general consumers through measures taken to check rising prices during the above period ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Two statements giving the wholesale price indices (1961-62= 100) of selected essential consumer goods are enclosed. [*Placed in Library. See No. LX 5221/73.*]

(c) The Government has been operating a public distribution system for supply of major foodgrains through fair price/ration shops. There has been a progressive increase in its coverage so as to cover vulnerable sections of the society. Foodgrains are being sold at subsidised prices which have been generally kept unchanged for the last three/four years. Price and distribution controls have been extended in respect of other essential consumer goods as and when necessity arose. Shortfalls in indigenous output have been made up through imports to the extent feasible. Upward adjustments have also taken place in the money earnings of government, industrial and other employees along with the increases in the Consumer Price Indices thereby offsetting to a large extent the adverse effects of higher prices. State Governments have also been raising from time to time the minimum wages in the scheduled employments.

मसूर को मोटे कपड़े का कोटा देने के आदेश देना

837. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को मोटे कपड़े का कोटा शीघ्रता से दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नियंत्रित कपड़े के मामलों में राज्यों को आवंटन वस्त्र आयुक्त द्वारा किए जाते हैं । यदि वस्त्र आयुक्त को मैसूर सरकार का ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि कोटा जल्दी रिलिज किया जाये, तो उसके बारे में और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लेखा वर्गीकरण पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तन

838. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्पादन बजट पद्धति लागू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए लेखा वर्गीकरण की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने को किसी प्रस्ताव पर सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, हां। भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से, पहली अप्रैल 1974 से संशोधित लेखा वर्गीकरण निर्धारित कर दिया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पांच वर्षों में पटसन के निर्यात पर "जीरो" टैरिफ का प्रस्ताव

839. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पांच वर्षों में पटसन के निर्यात पर 'जीरो' टैरिफ का सरकारी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) ब्रुसेल्स में 21 से 23 मई, 1973 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत से पटसन की वस्तुओं के आयात पर टैरिफ तथा अन्य रियायतों के संबंध में कुछ समझौता हुआ है। इस समझौते को समाविष्ट करने वाले करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विभिन्न पक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण

840. **श्री समर मुकर्जी** :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न पक्षों द्वारा की गई आपत्तियों के संदर्भ में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के पुनरीक्षण की दिशा में क्या उपाय किए है; और

(ख) क्या इस प्रतिवेदन के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ सलाह की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयोग की सिफारिशों की जांच आदि करते समय सिफारिशों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर यथोचित विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां इस संबंध में राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों से मंत्री दल 8 जून, 1973 को मिला था।

जापान द्वारा कपड़े के अनेक क्रयादेशों को रद्द करना

841. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित उक्त समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जापान के साथ बुक किये गये कपड़े के अनेक क्रयादेश रद्द हो गये ह; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० जी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। मुख्यत: उन्हीं संविदाओं को रद्द किया गया है जो कि नमूनों के अनुमोदन की शर्त के अधीन थी। क्रयादेशों में से लगभग 25 प्रतिशत इस प्रकार रद्द किए गए। चूंकि जापान के साथ सूती वस्त्रों का बड़े पैमाने पर व्यापार करने का यह प्रथम वर्ष है अत: जापान के उच्च क्वालिटी स्तरों के कारण कुछ क्रयादेश रद्द किये जाने की संभावना थी। खरीदारों द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप माल प्रदान करके ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे जिससे कि कम से कम क्रयादेश रद्द हों।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए होल्डिंग कम्पनी की स्थापना करना

842. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए होल्डिंग कम्पनी की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) सभी वित्तीय संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिये शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सरकारी वित्तीय संस्थानों की एक स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में पुनर्गठित करने का विचार किया गया है। इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

भारत सहायता संघ से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का उद्योग में उपयोग होना

843. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता संघ से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ख) किस विशेष उद्योग में सहायता का उपयोग किया जायगा और इससे देश के किन भागों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) 1973-74 में सहायता संघ से 1.1 अरब डालर की सहायता मिलने की सम्भावना है।

(ख) सहायता के परियोजना भिन्न भाग का, जिसमें ऋण राहत भी शामिल है, उपयोग अर्थ व्यवस्था की अनुरक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जायगा तथा परियोजनागत सहायता विभिन्न क्षेत्रों की आयोजनागत परियोजनाओं को कियान्वित करने के लिए काम में लाई जाएगी। आशा है कि इससे देश के सभी भागों को लाभ होगा।

हवाई अड्डों पर उपलब्ध "नेविगेशनल एपरोच" लैंडींग तथा अन्य सुविधाओं के अध्ययन के लिए गठित समिती

844. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के हवाई अड्डों पर उपलब्ध 'नेविगेशनल एपरोच' लैंडिंग तथा अन्य सुविधाओं के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली-तथा मद्रास के अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर वर्तमान दिक्चालन, पहुंच तथा अवतरण उपकरणों का पुनर्विलोकन करने तथा उनको मजबूत बनाने, उनका संधारण तथा शोधन (केलिब्रेशन) करने के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक उच्चस्तरीय दल का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव हैं तथा नागर विमानन के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक, इंडियन एयरलाइंस के प्रबंध निदेशक तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन इस के सदस्य हैं। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के परिचालन निदेशकों को सदस्यों के रूप में सहयोजित किया गया। दल ने अपनी रिपोर्ट 25 जून, 1973 को प्रस्तुत कर दी। इस ने चारों अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर दिक्चालन, पहुंच तथा अवतरण उपकरणों को और सुदृढ़ करने के लिए सिफारिश की है जिस में उड़ान-शोधन (फ्लाइट केलिब्रेशन) सुविधाएं, संधारण कर्मचारीवर्ग को सुदृढ़ करने, फालतु पुर्जोंको प्राप्त एवं स्टाक करने की क्रियाविधि को सुव्यवस्थित करने तथा विमान यातायात नियंत्रकों और संचार कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार करना सम्मिलित हैं, सिफारिशों पर संबद्ध अभिकरणों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

भारत तथा बंगला देश के बीच नया व्यापार समझौता

845. श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1973 में तथा तत्पश्चात् भारत बंगला व्यापार वार्ताएं हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत सरकार तथा बंगला देश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच व्यापार वार्ताएं ढाका में जुलाई, 1973 के प्रथम सप्ताह में हुई थीं। इन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच 5 जुलाई, 1973 को एक नया व्यापार करार सम्पन्न हुआ। यह करार, जो कि 28 सितम्बर, 1973 से लागू होगा जबकि विद्यमान व्यापार करार की अवधि समाप्त हो चुकी होगी, प्रथमत: 3 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा और पारस्परिक सहमति से उसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

2. दो स्तरीय व्यापार होगा :

(क) दोनों देशों की विशेष रूचि वाली वस्तुओं में प्रत्येक ओर से 30.5 करोड़ रु० तक का संतुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध; तथा

(ख) संतुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध के अलावा व्यापार जो सामान्य आयात निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियमों से विनियमित हो ।

पालम हवाई अड्डे के निकट इण्डियन एयरलाइन्स के "फोकर" विमान की दुर्घटना के बारे में जांच-प्रतिवेदन देने में विलम्ब

846. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पालम हवाई अड्डे के निकट इंडियन एयरलाइन्स के 'फोकर' विमान की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने वाली जांच-अदालत ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पिछले नवम्बर में प्रस्तुत कर दिया था;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रतिवेदन हाल ही में प्रकाशित किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन को इतने विलम्ब से प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली के निकट 11 अगस्त 1972 को इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप विमान वी० टी०-डी० एम० ई० की दुर्घटना के कारणों की औपचारिक जांच करने वाली जांच-अदालत की रिपोर्ट सरकार को नवम्बर 10, 1972 को प्राप्त हुई थी ।

नागर विमानन के महानिदेशक के साथ परामर्श पूर्वक रिपोर्ट की जांच की जा रही थी । इसे 21 जून, 1973 को प्रकाशित किया गया ।

जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल में कर्मचारीयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के बारे में निगम की योजना

847. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने संबंधी निगम की योजना को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को निगम के प्रतिनिन्धियों के तौर पर नियुक्ति करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय को लागू करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है, क्योंकि कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी व्यवस्था को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Payment of Overtime Allowance to Employees of Nationalised Banks

848. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount paid in the form of Over-time Allowance to the employees of fourteen nationalised banks upto 30th June, 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): A statement showing the information available in regard to the overtime paid in the nationalised banks from 1969 to 30th June, 1973 is attached. [*Placed in Library See. No. LX* 5233/73].

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण संबंधी नीति

849. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंको की ऋण संबंधी नीति से जमाखोरों औरचोरबाजारो करने वाले लोगों को खरीफ की फसल के दौरान सरकार की वसूली नीति को असफल करने में सहायता मिली है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 1 जून, 1973 को 'स्टेट्समैन' के कलकत्ता संस्करण में 'बैंक फंड्स प्रूव्ड टु डिफीट फूड पालिसी, शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की असफलता को रोकने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण संबंधी नीति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट देखी है ।

(ग) कई वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये नियंत्रण के अधीन अनाज के ऐवज में अग्रिम दिये जाते रहे हैं । 1972-73 में उन्हें काफी कडा कर दिया गया । नवम्बर, 1972 से अपनाये गये विभिन्न उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) खाद्यान्न के ऐवज में अग्रिम देने की अनुमत सीमा के आधार 1972-73 में बैंकवार से बदल कर पार्टीवार कर दिया गया । यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि बैंक अन्य ऋणकर्ताओं की अनुपयुक्त ऋण सीमाओं का उपयोग करके कुछेक पार्टियों को बड़े ऋण न दे सके ।

(2) अधिकतम सीमा, जो पिछले वर्ष की तदनुरूप दो महीने की अवधि में बैंक द्वारा रखी जाने वाली कुल औसत ऋण सीमा (गेहूं के अतिरिक्त धान तथा अन्य खाद्यान्न के ऐवज में) का 110% था, प्रत्येक पार्टी के लिए घटा दी गयी है, यह सीमा अब उस पार्टी के लिए पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष अधिकतम बकाया स्तर का शत प्रतिशत है । गेहूं के सम्बन्ध में नीचे दिये गये पैराग्राफ 6 और 7 देखिये ।

(3) अब पार्टियों को भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना अग्रिम नहीं दिया जा सकता । इसी प्रकार वर्तमान पार्टियों के लिए ऋण के स्तर में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्यान्न के ऐवज में सतर्कतापूर्वक ऋण देने की नीति अपनाने का सलाह बैंकों को दी है ताकि ऋणकर्ताओ द्वारा भण्डारों को अनुचित रूप से रखने को रोको जा सके ।

(5) अप्रैल, 1973 में, खाद्यान के ऐवज में बैंक अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को 50% से बढ़ा कर 60%कर दिया गया । इसके साथ ही इन अग्रिमों पर ब्याज की न्यूनतम दर भी 10 % से बढ़ा कर 12 % कर दी गई ।

(6) मई, 1973 में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उन व्यापारियों को छोड़कर जिनके पास भण्डार रखने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से प्राप्त लाइसेंस हैं, गेहूं की प्रतिभूति के ऐवज में किसी भी थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी के पास कोई ऋण बाकी नहीं है ।

(7) मई, 1973 में, मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार स्थित बैंकों से 20,000 रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं की विशेष समीक्षा करने के लिए कहा गया था ।

आयकर की बकाया राशियां

850. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों की तुलना में आयकर की बकाया राशियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

आयकर की बकाया	रकम	
	सकल बकाया	शुद्ध बकाया
31-3-1973 को . .	790.02	483.10
31-3-1972 को . .	805.37	438.60
31-3-1971 को	738.77	499.68

उपर्युक्त तारीखों को सकल और शुद्ध बकाया का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

विवरण

31-3-71, 31-3-72 और 31-3-73 को आयकर की सकल और शुद्ध बकाया का ब्यौरा :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	31-3-71 को	31-3-72 को	31-3-73 को
I. सकल बकाया	738.77	805.37	790.02
II. बकाया के ब्यौरे :—			
1. रकम जो तिमाही के अन्तर्गत पहले देय नहीं हुई	129.32	222.78	159.88
2. रकम जिसके बारे में अग्रिम-कर के रूप में अथवा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में अदा किये जाने का दावा है और जिसका समायोजन/ सत्यापन होना है . . .	4.66	6.55	5.97
3. रकम जिसके लिए स्थान आदेश मंजूर किया गया है—			
(क) न्यायालयों द्वारा . .	15.05	25.15	18.40
(ख) आयकर प्राधिकारियों द्वारा :			
(i) अपील का निपटान होना है .	42.49	62.74	75.78

	31-3-71 को	31-3-72 को	31-3-73 को
(ii) समझौता याचिकाओं का निपटान होना है . . .	5.80	7.17	4.72
(iii) अन्य कारणों से . .	14.48	11.53	7.44
4. रकम जो उपर्युक्त मद 3 के अन्तर्गत नहीं आती और जिसके लिए किस्तें मंजूर की गई हैं :			
(i) अपीलों का निपटान होना है .	11.97	11.72	13.58
(ii) समझौता याचिकाओं का निपटान होना है	1.49	3.25	2.05
(iii) अन्य कारणों से . .	13.83	15.88	19.10
शुद्ध बकाया (I ऋण मद II की मद 1, 2, 3 और 4) . . .	499.68	438.60	483.10
5. रकम जो दोहरे कर से राहत अथवा अन्य राहत के दावों के निपटान न होने के कारण अनिर्णीत पड़ी है . . .	9.36	6.87	7.47
6. रकम जो बट्टे-खाते डालने/मांग कम करने की याचिका पर विचार होने तक अनिर्णीत पड़ी है	20.32	30.07	27.78
7. रकम जो समापनाधीन कम्पनियों की तरफ देय है	10.69	14.48	14.76
8. रकम जो ऐसे व्यक्तियों की तरफ देय हैं जो भारत छोड़ गये हैं और/अथवा लापता हैं और/अथवा जिनकी कोई ज्ञात परिसम्पत्तियां नहीं हैं और/अथवा जिनकी परिसम्पत्तियां निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक, पाकिस्तान में निहित हैं और/अथवा जो दीवालिया संबंधी कार्यवाही के अन्तर्गत आते हैं (ऊपर मद 6 के अन्तर्गत आने वाली रकम को छोड़ कर)	12.16	26.22	30.05
9. अतिलाभ कर की बकाया . .	11.71	10.66	10.53
10. व्यापार लाभ कर की बकाया . .	0.95	0.84	0.97
11. अपीलों/संदर्भ याचिकाओं में विवादग्रस्त रकम किन्तु जो स्थगित नहीं की गई है अथवा किस्तों के अन्तर्गत नहीं आती . .	29.69	63.70	92.17
12. अन्य सभी बकाया रकमें . .	404.80	285.76	299.42
जोड़ .	738.77	805.37	790.02

Cases Pending for Assessment of Estate Duty in Madhya Pradesh

851. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of persons in Madhya Pradesh against whom assessment of Estate Duty is yet to be made and since when the assessment is pending; and

(b) the reasons for which the arrears of Estate Duty are not being realised from the persons against whom these are outstanding?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The number of cases pending wih the Assistant Controllers of Estate Duty in Madhya Pradesh, in which estate duty assessments were yet to be made as on 30-6-1973, was 297. In 28 cases, returns had at been received. The details regarding the years from which assessments were pending in the remaining cases are given below :

Financial year in which return was filed	Number of cases
1958-59	1
1962-63	1
1963-64	3
1964-65	4
1965-66	3
1966-67	6
1967-68	8
1968-69	6
1969-70	5
1970-71	11
1971-72	29
1972-73	146
1973-74	46
	269

(b) The reasons for which the arrears of estate duty are not being realised from the persons against whom these were outstanding as on 30-6-1973 are generally as listed below :

(1) Demands not having fallen due for collection.

(2) Instalments having been granted for payment.

(3) Stay of demands.

(4) Accountable Persons not receiving possession of the assets.

(5) Restrictions on remittance from abroad.

दिल्ली में तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

852. श्री पी० गंगादेव :

श्री के० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में दिल्ली मे राजस्व आसूचना निदेशालय ने विदेशी घड़ियों, सोना, सोना, की तस्करी करने वाले छः गिरोहों का पता लगाया है और तस्करी का सामान पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए तस्करी के सामान का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्तिको गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग)अप्रैल, मई और जून, 1973 के महीनों के दौरान राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय ने दिल्ली में 5 मामलों में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और लगभग 29 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

पकड़ा गया माल	लाख रुपयों में मूल्य
सोना	7
घड़ियां	7
संश्लिष्ट कपड़ा	9
कैमरे	1
अन्य	5
कुल	29

हवाई अड्डे की सुरक्षा सम्बन्धी कार्य दल (टास्क फोर्स) का प्रतिवेदन

853. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या बम्बई हवाई अडडे में बिना टिकट यात्रा करने की घटना के उपरान्त हवाई अडडे के सुरक्षा सम्बन्धी नियुक्त कार्य दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उस पर सरकार की क्या क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडों को, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य-मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं । सरकार ने इन समस्त सिफारिशों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है ।

(ग) चारों अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षत्रों पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनों, अर्थात परिचालन क्षेत्रों, धावन पथों, टैक्सी-पथों, एप्रनों, हैंगरों, 'रि-फ्यूएलिंग' प्रतिष्ठापनों, उपकरण अवतरण प्रणालियों आदि को 'आफिशल सिक्रेटस एक्ट', 1923 के अंतर्गत पहले ही 'निषिद्ध स्थान' घोषित किया जा चुका है। औद-योगिक सुरक्षा दल को चारों विमानक्षेत्रों पर तैनात किया जा रहा है ।

विवरण

(1) सब यात्रियों को अपने बोर्डिंग कार्ड, पासपोर्ट तथा एयरलाइंस टिकट बोर्डिंग गेट (एयर क्राफ्ट स्टेप लैडर) पर एयरलाइन के कर्मचारियों को दिखाने चाहिये ।

(2) समस्त बोर्डिंग कार्डों पर क्रमानुसार नम्बर दिय जाने चाहिय तथा उन्हें ताले के अन्दर रखा जाना चाहिये । इन कार्डों पर उस विमानक्षेत्र का नाम होना चाहिए जहाँ से ये जारी किए गए हैं ।

(3) विमान क्षेत्रों की चार दीवारी होनी चाहिए जिसके उपर कंटीले तारों की बाढ़ होनी चाहिए। एप्रन के प्रवेश द्वारों पर विद्युत परिचालित "बैरियर्स" की व्यवस्था होनी चाहिये। द्वारों पर कर्मचारी नियुक्त होने चाहिएं तथा मुख्य द्वार पर गार्ड कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिये।

(4) परिचालन/एप्रन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त वाहनों को अपनी 'विंड-शील्डों' पर परमिट प्रदर्शित करने चाहिए। परिचालन क्षेत्र पर उनके संचलन को नियंत्रित करने के लिए, वाहनों में रेडियों तथा चेतावनी बत्तियां लगी होनी चाहिए।

(5) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तैनात करके तथा विमानक्षेत्रों पर अथवा उनके निकट पुलिस स्टेशन खोल कर पहरा और निगरानी प्रबंधों में सुधार किये जाने चाहिएं। उपकरणों पर तैनात गार्ड परिचालन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पहचान करेंगे। इसके अलावा, उपयुक्त शस्त्रों से लैस आक्रमक दल 'स्ट्राइक फोर्स' की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(6) विमानक्षेत्र निदेशक (भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण) को पास जारी करने का प्राधिकार होगा, तथा उन व्यक्तियों के पास को जिन्हें कि सीमाशुल्क वाले क्षेत्रों में ड्यूटी करनी होती है, सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। विमानक्षेत्र पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हैसियत अथवा पद का विचार किए बिना पहचान बिल्ले लगाने चाहिएं।

(7) विमानक्षेत्र सुरक्षा समितियों को सुरक्षा उपायों का पुनरावलोकन करने के लिए प्रति मास मीटिंग करनी चाहिये तथा नोटिस में आई खामियों को दूर करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(8) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारीयों को बमनिपटान में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

(9) सभी चारों विमानक्षेत्रों को 'आफिशल सीक्रेट्स एक्ट' के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) घोषित किया जाना चाहिए।

चिथड़े कपड़ों के घोटाले की जांच

854. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों में हुए 'चिथड़े कपड़े के घोटाले' के बारे में पूरी जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इस घोटाले के लिए ठहराये गए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी जांच पूरी नही की गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नही उठते।

कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर की वसूली

855. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री सरजू पांडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि भूमि पर कुल कितना सम्पत्ति कर वसूल होने की संभावना है और वर्ष 1970-71 1971-72 और 1972-73 में कुल कितना वास्तविक कर एकत्रित किया गया है ;

(ख) इस क्षेत्र में कम सफलता मिलने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1970-71, 1971-72 1972-73 के दौरान कृषि योग्य भूमि पर धन कर की प्रत्याशित तथा वास्तव में वसूल हुई कुल रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्रत्याशित रकम (रु० करोड़ में)	वसूल रकम (रु० लाख में)
1970-71	4	8.72
1971-72 .	8	49.43
1972-73 . . .	8	*69.51
		(*असत्यापित आंकड़े)

(ख) कम वसूली के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) **कर की संवैधानिक वैधता को चुनौती** : कर लगाने के पहले वर्ष के दौरान ही अर्थात् 1970-71 में इसकी संवधानिक वैधता को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। सितम्बर, 1970 में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस कर को असंवैधानिक घोषित किया। अन्य बहुत से उच्च न्यायालयों ने अन्तरिम स्थगन के आदेश दिये। मामले का अन्तिम निर्णय अक्टूबर, 1971 में उस समय हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निर्णय दिया। अक्टूबर, 1971 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, कृषक संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर निर्धारण-वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिए कृषकों द्वारा सम्पत्ति-कर की विवरणियां प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ाकर फरवरी, 1972 के अन्त तक कर दिया गया।

(2) **भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान** : हाल ही में यह निर्णय किया गया था कि भूमि सीमाओं को और कम किया जाय तथा कुछ राज्यों में आवश्यक विधान पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है अथवा अधिनियमित किया जा रहा है। इस प्रकार का विधान सामान्यतः जनवरी, 1971 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने के लिए आशयित है। इसको देखते हुए निर्धारितियों के धारण की उस सीमा की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है जिस पर उन्हें कानूनी रूप से कर की अदायगी करनी होगी।

(3) **गलत आरम्भिक अनुमान** : इस कर के लगाये जाने के कारण वसूली के आरम्भिक अनुमान भूमि-धारण के उन आंकड़ों पर आधारित थे जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सोलहवां दौर (जुलाई, 1960-जून, 1961) में दिये गये थे। अतीत पर्यालोचन में ये अनुमान गलत सिद्ध हुए जिसका कारण कृषि योग्य धारणों का व्यापक रूप से विखण्डित किया जाना था, जो प्राकृतिक कारणों अथवा अवेक्षित सीमा विधान और कृषि-योग्य भूमि के लिए की गई 1.5 लाख रुपये तक की छूट की भी व्यवस्था के कारण से हुआ।

(4) **हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक छूट का दावा** : अनेक भूमि धारणों को जिन्हें सर्वेक्षण के समय तथा आरम्भिक अनुमानों को तैयार करते समय अलग-अलग व्यक्तियों की सम्पत्ति के रूप में लिया गया था, कर-निर्धारण के समय उनका दावा हिन्दू-अविभाजित परिवार की सम्पत्ति के रूप में किया गया है और इसलिए वे 2 लाख रुपये की अपेक्षाकृत अधिक छूट के हकदार हो गये हैं। इस प्रकार अधिकांश सीमान्तिक मामले कर की अदायगी करने योग्य नहीं रहे और अन्य मामलों में अपेक्षाकृत अधिक मूल छूट के परिणामस्वरूप इस दायित्व में कमी हो गई है।

(5) **कर नहीं लगने योग्य सत्ताओं की परिसम्पत्तियां :** निजी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर निर्धारण-वर्ष 1960-61 से तथा सार्वजनिक धार्मिक धर्मदायों पंजीकृत फर्मों अथवा व्यक्तियों के संघों पर धन कर नही लगाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह पाया गया है कि कृषि-योग्य उपजाऊ भूमि के बहुत बड़े खण्ड धार्मिक धर्मदायों के स्वामित्व में हैं।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये हैं कि सर्वेक्षण, कर-निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि पर धन कर की वसूली के मामले में कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाय।

(2) क्षेत्र-अधिकारियों को उचित सर्वेक्षण करने और उन कृषकों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करने के लिए निदेश दिया गया है जो प्रथम दृष्ट्या कृषि-योग्य भूमि पर धन-कर लगाया जा सकता है। उनसे कहा गया है कि वे अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने तथा कर निर्धारण करने में कर्मचारियों का उपयोग नहीं करें, बल्कि कृषकों के संघों के साथ बैठकों का आयोजन करने के लिए भूमि के मूल्यांकन पर विभाग द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों का उपयोग करने के निमित्त कृषकों को आमंत्रित करने (उन्हें) उनकी धन-कर विवरणियां दाखिल करने में परामर्श देने तथा सहायता करने के लिए भी उनका उपयोग करने के लिए कहा गया है।

मोटे धागे के उत्पादन में कमी और सुपरफाइन किस्म के धागे के उत्पादन में वृद्धि

856. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री प्रभदास पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सूती कपड़ा मिलों को सलाह दे रहा है कि मोटे धागे के उत्पादन में कमी की जाए और फाइन और सुपरफाइन किस्म के धागे के उत्पादन में वृद्धि की जाए ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह निर्णय किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आदेश नही निकाले गए।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नही उठते।

मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने वाले सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन

858. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने हेतु गठित सर्वेक्षण दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उसकी सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण दल ने अनेक सिफारिशें की जिनके अन्तर्गत निदेशकों के बोर्ड का सुदृढ़ किया जाना, विक्रय-पर्चियों के जारी किये जाने के संबंध में यंत्रीकरण का लागू किया जाना, उपभोक्ताओं, उद्योगों आदि की एक परामर्शी समिति का स्थापित किया जाना, इकाई वसूली निर्यातों में सुधार करने के उद्देश्य से गवेषणा तथा विकास की आवश्यकता शामिल हैं।

(ग) जिन सिफारिशों में निगम के कार्यकरण में सुधार करने संबंधी दीर्घकालिक उपाय अन्तर्ग्रस्त हैं उन पर विचार किया जा रहा है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्टाफ कारों का उपयोग

859. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 'स्टाफ व्हीकेल्स' शीर्षक के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिये स्टाफ कारों का दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्टाफ कारों के दुरुपयोगों को रोकने के लिये क्या अन्य उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार इस प्रकार की सूचना नहीं रखती क्योंकि यह उद्यम के दैनिक प्रशासन से सम्बन्ध रखती है ।

(ख) और (ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उच्चतम पदों के अन्य पदधारियों को निजी कामों के लिये दफ्तर की मोटर गाड़ियां इस्तेमाल करने की अनुमति है । यह सुविधा सामान्यत: अन्य कार्यकारी अधिकारियों को उपलब्ध नहीं है । सरकारी उद्यमों के उच्चतम अधिकारियों को उपलब्ध की गयी दफ्तर की मोटर गाड़ियों के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिये अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं । जहां निजी काम के लिये कम्पनी की मोटर गाड़ी किसी उच्चतम अधिकारी को दी जाती है, तब कार के आकार के अनुसार, निर्धारित दर पर वसूली की जाती है । प्राय: गाड़ी के ड्यूटी से भिन्न काम के लिये 500 किलो मीटर की सीमा निर्धारित है, इससे अधिक इस्तेमाल के लिये सामान्य किलोमीटर की दर किराया लिया जाता है । कार यात्रा दैनिकी (कार-लोग) रखी जानी होती है जिसमें सरकारी और निजी यात्रा का ब्यौरा होता है ।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन

860. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) भविष्य में यह बैंक किन विशिष्ट क्षेत्रों में अपना ध्यान देगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) सभी वित्तीय संस्थानों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये शीर्ष वित्तीय संस्थान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सरकारी वित्तीय संस्थानों के लिये एक स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में पुनर्गठित किये जाने का विचार है । इस समय यह कहना कि विकास बैंक का किस रूप में पुनर्गठन किया जायेगा, समय से पूर्व होगा ।

वाणिज्य मंडलों और अन्य औद्योगिक संगठनों की सदस्यता समाप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश

861. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश दिये हैं कि वे वाणिज्य मंडलों और अन्य औद्योगिक संगठनों की सदस्यता समाप्त कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी उद्यमों को वाणिज्य मंडलों या अन्य औद्योगिक संगठनों का सदस्य न बनने का अनुदेश दिया है, जिनकी स्थापना मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिये की जाती है और जिनके सदस्य अधिकांशत: निजी क्षेत्र के संगठन होते हैं। फिर भी, सरकारी उद्यम उन व्यावसायिक निकायों के सदस्य बन सकते हैं जो प्रबन्ध तकनीक, उत्पादिता आदि में सुधार करने में लगे हुए हैं; अत: यह संघ उपक्रमों की व्यावसायिक क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये लाभदायक होंगे।

वर्ष 1970-72 में विदेशियों के चाय बागानों का क्रय

862. श्री सतपाल कपुर :

श्री नवल किशोर सिन्हा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-72 की अवधि के दौरान विदेशियों के चाय-बागानों को खरीदने वाले व्यापार गृहों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा इन सौदों की जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाले चाय बागानों को बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित जिन खरीदारों ने खरीदा है, उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) उन विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाले चाय बागानों की बिक्री के मामलों में जो बिक्री से प्राप्त राशि को स्वदेश भेजना चाहती है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्वीकृति की आवश्यकता है लेकिन इस स्वीकृति से एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाएं अधिनियम के अन्तर्गत खरीदार के लिए स्वत: स्वीकृति नहीं मिल जाती। जहां भी आवश्यक होता है, एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाएं अधिनिथम के अन्तर्गत खरीदार को सरकार से अलग से आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती है। किसी भी खरीदार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाएं अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।

विवरण

क्र०	खरीदार कम्पनी का नाम	प्रत्येक भारतीय व्यापार प्रतिष्ठान द्वारा अधिकार में ली गयी कम्पनियों/चाय बागानों के नाम	बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संबंधित खरीदार का नाम
1	2	3	4
1	जयश्री टी इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	(1) वैस्टर्न कछार कं० लि०, ब्रिटेन की जालापोर टी एस्टेट (2) कैलाइन टी कं० लि०, ब्रिटेन की कैलाइन डी एस्टेट	बिड़ला

1	2	3	4
2	दि जनरल फाइबर्स लि०, कलकत्ता	(1) आसाम कं० लि०, ब्रिटेन की चेरिदेव पर्वत टी० एस्टेट (2) आसाम कं० लि०, ब्रिटेन की गटक टी एस्टेट	कनोडिया बी
3	राजगढ़ टी कं० लि०, कलकत्ता	आसाम कंसालिडेटिड टी एस्टेट (इंडिया) लि०, लन्दन का टिनकौंग डिविजन	एण्ड्रयू युले
4	मोरघाट टी कं० लि०, कलकत्ता .	सिगलो टी कं० लि०, कलकत्ता की तेलपारा टी एस्टेट	मेंकनील एण्ड बैरी
5	विलियमसन मैगर एण्ड कं०, कलकत्ता ।	रोमई टी कं० लि० की रोमई टी एस्टेट	जी० डी० जेतिया

कांडला निर्बाध व्यापार जोन में उद्योगों को रियायतें

863. श्री भोला मांझी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांडला निर्बाध व्यापार जोन में उद्योगों को वित्तीय संस्थानों से रियायती दरों पर वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कांडला निर्बाध व्यापार जोन में उद्योगों को किस प्रकार की रियायतें दी जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय दीर्घावधि सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई० डी० बी० आई० आई० एफ० सी० आई० तथा आई० सी० आई०सी०आई० ने 1970 में योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित लघु तथा मध्यम औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता की रियायती शर्तों की योजनाएं घोषित की । बाद में ये योजनाएं उन एककों पर भी लागू कर दी गई जो अपना विस्तार कर रहे थे । आई० डी० बी० आई० ने हाल में इन योजनाओं को और भी उदार बना दिया है । इन संस्थाओं की 9 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य उधार दर से मुकाबले अब ब्याज की रियायती दर 7.5 प्रतिशत है ।

जून, 1973 में सरकार के इस विनिश्चय के अनुसरण में कि कच्छ के औद्योगिक पिछड़े इलाके में उद्योगों को उपलब्ध रियायती वित्त-कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थित उद्योगों को उपलब्ध होना चाहिये, आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० को उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है । कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के उद्योगपतियों तथा नये उद्यमियों को इस रियायत की सूचना दे दी गई है और उनसे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनुरोध किया गया है ।

सिगरेटों और साबुन के मूल्य में वृद्धि की मांग

864. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट और साबुन के निर्माता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के पास हो जाने के परिणामस्वरूप अपने उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि की मांग कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इसका संदर्भ सम्भवत: केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक (संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 से है जिसका सम्बन्ध उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल के मूल्यांकन से है। इस उपबन्ध को अभी लागू नहीं किया गया है। यद्यपि सिगरेटों और साबुन के निर्माताओं ने अपने कुछ उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है, जो विभिन्न कारणों से हो सकती है, तथापि उक्त संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप अपने उत्पादों के मूल्यों में कोई वृद्धि करने की उनसे कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

हैदराबाद में एवरो–748 की दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन

865. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री सरजू पांडे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में हैदराबाद में एवरो-748 की दुर्घटना की जांचकरने हेतु गठित जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डॉ० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना के कारण तथा परिस्थितियों के सम्बन्ध में न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है :—

(i) 3 मार्च, 1973 को प्रशिक्षण उड़ान के समय विमान उड़ान-योग्य परिस्थिति में था। उड़ान के दौरान उसमें कोई दोष पैदा नहीं हुआ ।

(ii) प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षु द्वारा उड़ान के दौरान कई गलतियाँ की गई, अर्थात् :—

(क) अंडर कैरेज का प्रत्याहरण (रिट्रैक्ट) न करना ;

(ख) फ्लैप्स को 0° स्थिति तक उठाना ;

(ग) सिंक्रोनाइज़र स्विच को "आन" रखना ;

(घ) विमान की रफ्तार को पर्याप्त न बनाए रखना ;

(ङ) पर्याप्त ऊंचाई न बनाए रखना ;

(च) जल मैथनोल को "आफ" रखना ; तथा

(छ) बनावटी (सिम्युलेटेड) सिंगल इंजन उड़ान के दौरान कम उंचाई पर प्रोपेल्लर को शांत करना (फैदरिंग) ।

इन गलतियों के कारण विमान को जो कि उड़ान प्रशिक्षण पर था, तथा जिस म प्रशिक्षु को सिंगल इंजन, खराब मौसम सर्किट में अभ्यास कराया जा रहा था, एक आपाती परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिससे विमान चालक निपट न सके और परिणामस्वरूप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

(iii) उड़ान से तुरन्त पहले कार्मिकों ने मद्यपान किया था। उनके द्वारा की गई गलतियों को उचित रूप से, मद्यपान का ही परिणाम माना है जिसने कि उनकी एकाग्रता को प्रभावित किया तथा उनकी निर्णय शक्ति और कुशलता को दूषित किया।

(ग) जहांतक दुर्घटना के कारण तथा परिस्थितियों का सम्बन्ध है भारत सरकार न्यायालय के मत से सहमत है।

न्यायालय ने कई सिफारिशे की हैं जिनकी सम्बधित अधिकारियों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। इस बीच, इण्डियन एयरलाइंस के सभी कमांडरों की कार्यदक्षता का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय किया गया है। मूल्यांकन का कार्यक्रम 9 जुलाई, 1973 से प्रारंभ किया जा चुका है।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

866. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकारी थोक मूल्य सूचकांक में 20 प्रति शत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्न, खाद्य तेल, दालें, मछली, अण्डे तथा मांस के मूल्यों मे तेजी से होने वाली ऐसी वृद्धि के लिये उत्तरदायी कारणों का पता लगाया है; और

(ग) इन वस्तुओं के मूल्यों को कम करने अथवा कम से कम स्थिर और जनता को उनकी सप्लाई उचित मूल्य में करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अनाजों, खाद्य तेलों और दालों के मूल्यों मे वृद्धि के कारण ये हैं--विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण उत्पादन घट जाने से बाजारों में माल की कम आमद, कमी की मनोवृत्ति पैदा होना जिससे सट्टेबाजी के लिए खरीद को प्रोत्साहन मिलता है तथा अर्थ व्यवस्था में सामान्य मुद्रा स्फीतिकारी प्रवृत्तियां।

मछली, अण्डों तथा मांस के मूल्यों में वृद्धि के कई कारण हैं जिनमें विशेष रूप से दालों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता मे कमी हो जाने के संदर्भ में सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मांग पूर्ति स कहीं अधिक है। अण्डों और मछली के संबंध में दोषपूर्ण वितरण संग्रहण और परिवहन सुविधाओं तथा मुर्गीदाने जैसी वस्तुओं के मूल्यों मे अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाने से इनके मूल्य और बढ़ गए हैं। यद्यपि प्रशीतन सुविधाओं की व्यवस्था से ताजा मछली की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, किन्तु इसस कुछ हद तक लागत बढ़ गई है।

(ग) मुल्य-वृद्धि को रोकने के लिए उठाये गए कदमों में ये शामिल है :—

(i) अतिथि नियंत्रण आदेश लागू करके अनाज की खपत पर रोक लगाना।

(ii) जमाखोरी और चोर बाजारी के विरुद्ध कारवाई तेज करना;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों पर उचित दर की दुकानें खोल कर अधिक संख्या में लोगों को, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अनाज उपलब्ध कराना और मुख्य अनाजों को सस्ते मूल्यों पर अधिक मात्रा में जारी करना।

(iv) मूल्य और वितरण पर नियंत्रणों को लागू करके आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का यथोचित मूल्यों पर समान वितरण;

(v) आयातों और देश में पहले से अधिक उत्पादन करने के कार्यक्रमों के द्वारा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करना;

(vi) चालू रबी मौसम से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ लेना।

(vii) सरकारी व्यय में, विशेष रूप से विकास भिन्न व्यय में किफायत करना ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था की आवश्यकता को कम किया जा सके और अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्रय शक्ति को बटोरा जा सके;

(viii) 30 मई, 1973 में बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर के तथा उद्योग और व्यापार को दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज ले कर बैंक ऋण की लागत में वृद्धि करना;

(ix) बैंक अग्रिमों की उपलब्धता को कम करने के लिए विनियमन कारी उपायों को सुदृढ़ करना अर्थात प्रारक्षित निधि के अनुपात और नकदी तथा नकदी जैसी परिसम्पत्ति के शुद्ध अनुपात में वृद्धि करना और ऋणों के उपयोग को उत्पादन की वास्तविक अवश्यकताओं के लिए सीमित करना।

अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार के सरकारीकरण के बारे में मुख्य मंत्रियों के विचार

867. श्री रणबहादुर सिंह :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह विचार व्यक्त किये थे कि चीनी, वनस्पति तेल, डीज़ल तेल, मिट्टी का तेल, और दालों सहित सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार का सरकारीकरण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 14 जन, 1973 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो बातचीत की गई वह मुख्यत: खाद्य स्थिति की समीक्षा, 1973-74 के मौसम में खरीफ के अनाजों बारे में मूल्य-नीति और गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण पर ही केन्द्रित रही। किन्तु कुछ मंत्रियों ने अन्य सम्बद्ध विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किये जिनमे अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को हाथ में लिए जाने का विषय भी शामिल है।

(ख) यद्यपि सरकार की यह नीति है कि धीरे धीरे बिचौलियों की संख्या को कम कर दिया जाए तथापि इस संबंध मे निर्णय कुछ खास वस्तुओं के बारे में सभी सम्बद्ध पहलुओं की यथोचित जांच कर लेने के बाद ही किए जाते हैं।

दिल्ली और हरियाणा में आयकर विभाग द्वारा छापे मारना

868. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छुपे धन का पता लगाने के लिये आयकर विभाग ने वर्ष 1972-73 मे दिल्ली और हरियाणा मे कितने छापे मारे हैं; और

(ख) इससे कितने छुपे धन का पता लगा और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) छिपे धन का पता लगाने के लिये दिल्ली और हरियाणा में 1972-73 में 38 तलाशियां ली गयीं।

(ख) इन छापों में लगभग 28 लाख रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं। इन मामलों के बारे में जांच-पड़ताल चल रही है और कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेडे में विमानों की संख्या बढाने के लिये विमानों की खरीद करने का निर्णय

869. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के कैरेवेल और वाइकाउन्ट विमानों को बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने विश्व भर के विमान निर्माताओं से मूल्य सूचियां मांगी है;

(ग) क्या एक रुसी दल ने अभी हाल में अपने टी० यू० 154 और याक 40 किस्म के विमानों की बिक्री के लिये भारत की यात्रा की; और

(घ) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के बेडे में विमानों की संख्या बढ़ाने के लिये जिस किस्म के विमानों की खरीद की जायेगी, उस बारे में सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। तथापि अपने विमान बेडे की तंगी को दृष्टि में रखते हुये, इंडियन एयरलाइन्स सीमित अवधि के लिये तीन कारवेल विमान पट्टे (लीज) पर प्राप्त कर रही है।

(ख) अपने विमान-बेडे की अभिवृद्धि के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने कई प्रकार के विमानों पर विचार किया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने अपने प्रस्ताव सरकार को दे दिये हैं और इनकी जांच की जा रही है ।

दिल्ली में वर्ष 1974 में होने वाला विश्व व्यापार मेला

870. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष में दिल्ली में विश्व व्यापार मेले का आयोजन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित व्यापार मेले के सम्बन्ध में प्राथमिक कार्य आरम्भ हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का होगा और इसमें व्यापार संवर्धन पर मुख्य रूप से जोर दिया जायेगा। इसमें उद्योग, कृषि, व्यापार तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति संबंधी सभी पहलू सम्मिलित किए जाएंगे। मेले में व्यवसायिक वार्ताएं करने और वहीं मौके पर अंतिम रूप से सौदे

तय करने के लिये सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध होंगे। मेले का प्रातःकाल का समय पूरी तरह से व्यापारिक दर्शकों के लिए रखा जायेगा। मेले के दौरान अनेक व्यापारिक सम्मेलन आयोजित करने का भी विचार है।

(ग) जी हां।

सेन्ट्रल बैंक द्वारा जमा राशि पर दी गयी क्षतिपूर्ति के भुगतान में हुई कथित अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की गयी जांच का निष्कर्ष

871. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल बैंक द्वारा जमा राशि पर दी गयी क्षतिपूर्ति के भुगतान में हुई कथित अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

पालम हवाई अड्डे म वरिष्ठ एयरपोर्ट अधिकारियों के उपस्थित न होने के बारे में आरोप

872. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि पालम हवाई अड्डे पर किसी भी समय विशेषकर बुरे मौसम में वरिष्ठ एयरपोर्ट अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) सम्भवतः यह प्रश्न विमान यातयात नियंत्रण अधिकारियों से संबंधित है। इस आशय की भी कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि ऐसे अधिकारी चौबीसों घंटे ड्यूटी पर नहीं रहते। पालम पर यातायात नियंत्रण यूनिटों में दिन-रात राजपत्रित अधिकारी काम करते हैं, परन्तु इस समय पर्यवेक्षण अधिकारियों (सुपरवाइजरी आफिसर्स) की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

873. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षित कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से निरन्तर बाहर जा रहे है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हैवी इलेक्ट्रिकल्स, नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन, इंडियन ग्रासल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसे सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की बिकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस समस्या को कैसे हल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) कुछ समय पूर्व कुछ बड़े सरकारी उद्यमों के संबंध में, जिनमें हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० और इंडियन आयल कारपोरेशन लि० भी शामिल हैं, तकनीकी कार्मिकों के चले जाने के बारे में एक अध्ययन किया गया था। इससे पता चला था कि जाने वाले तकनीकी कार्मिकों की संख्या कोई असामान्य नहीं थी। और यह विभिन्न उपक्रमों में भिन्न भिन्न थी। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने सूचित किया है कि उन्हें कार्मिकों की उनके चले जाने के परिणामस्वरूप कोई कमी महसूस नहीं हुई। नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि० के संबंध में सूचना पता लगायी जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार तकनीकी कार्मिकों के चले जाने का एक प्रमुख कारण कुछ उदयमों मे विकास संभावनाएं कम होना है। इसके अन्य कारण परिस्थिति जन्य पहलू से संबंधित थे जैसे वज्ञानिक जनशक्ति आयोजन का अभाव, अपर्याप्त प्रबन्ध विकास आयोजनाएँ, कुपरिभाषित पदोन्नति नीतियाँ, गलत स्थानो पर नियुक्तियाँ और कार्य से अपर्याप्त असंतोष। इस समस्या के समाधान का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित कंपनी के प्रबंधक वर्ग पर है। परन्तु सरकार ने समय समय पर सरकारी उद्यमों को ऐसे विषयों पर सलाह दी है जैसे कि सोद्देश्य प्रबन्ध प्रशिक्षण और विकासात्मक आयोजनाएं, वैज्ञानिक प्रबंध मूल्यांकन प्रणाली, वेतन और पदक्रमों का युक्तियुक्त ढांचा, शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन और भरती संबंधी उचित नीतियां अपनाना और इसके अतिरिक्त उच्चतर संचलनात्मक कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए कदम उठाना जिससे कि उद्यमों की विकास सम्भावनाओं में वृद्धि होगी।

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी व्यय में कमी

874. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था में अधिक वृद्धि और एक वर्ष में ही 20 प्रतिशत मूल्यों तेजी के साथ हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकारी व्यय कम करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) सभी केन्द्रीय मंत्रियों से आयोजना भिन्न व्यय में नितांत मितव्ययता बरतने के लिए कहा गया है। उन्हें आयोजनागत योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बजट में निर्धारित राशियों की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है। प्रमुख लक्ष जो ध्यान में रखा जाना चाहिये, वह यह है कि जो योजनाएं और परियोजनाएं अत्यावश्यक हैं और जिन्हें पूरा करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है उन्हें ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब कि उन योजनाओं की गति धीमी कर दी जानी चाहिए जिन्हें पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा ; कार्यक्रम को इस प्रकार परिवर्तित करने का उद्देश्य उपलब्ध राशियों से अल्प काल में अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। इसी प्रकार, सामग्री और उपकरणों की प्राप्तियां अथवा भूमि अधिग्रहण आदि जैसे विषयों के सम्बध में, जहां बचा जा सकता हो, दायित्व नहीं उठायें जाने चाहिए।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी बजट-स्थिति की तत्काल समीक्षा करें और साधनों तथा व्यय में संतुलन रखें। उन्हें यह परामर्श भी दिया गया है कि वे उपर्युक्त सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए, आयोजनागत और योजना-भिन्न दोनों प्रकार के व्ययों में अधिकतम मित-व्ययता बरतें। उपर्युक्त उपाय उन उपायों के अतिरिक्त किये गये हैं जो मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन और ऋण नियंत्रण के लिए पहले ही किये जा चुक हैं।

राज्यों में पूरी मात्रा में बिजली उपलब्ध होने से धागे के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण धागे के वितरण पर लगा नियंत्रण हटाना

875. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पूरी मात्रा मे बिजली उपलब्ध होने के कारण हर प्रकार के धागे का उत्पादन काफी बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार धागे के वितरण से नियंत्रण हटाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अधिकांश राज्यों में अभी हाल में ही बिजली की कटौतियां हटा ली गई हैं और यह आशा की जाती है कि इससे धागे के उत्पादन में वृद्धि होगी। तथापि इन कटौतियों को हटाने से उत्पादन में होने वाली वृद्धि के विषय में अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) विकेन्द्रित क्षेत्र की आवश्यकताओं की तुलना मे धागे की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित किस्मों तथा वर्गों के धागे के वितरण पर लगे नियंत्रण में छूट दी गई है ,

(1) एक तथा दो प्लाई वाले 35 काऊंट तक के धागे में ;

(2) तीन प्लाई तथा उससे अधिक का लपेटा हुआ सभी काऊंटों वाला धागा ;

(3) ब्लेंडिड धागा ;

(4) मिश्रित धागा; तथा

(5) हार्ड वेस्ट ।

स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और जैसी परिस्थितियां होंगी, उनके अनुसार और आगे परिवर्तनों के बारे में विचार किया जायेगा ।

अर्ध-परिष्कृत खाल और चमड़े के लिए निर्यात कोटे की योजना

876. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने वर्ष 1973-74 के लिए परिष्कृत खालों और चमड़े के संबंध में नई निर्यात कोटा योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) योजना की स्थूल रुपरेखा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अर्ध-परिष्कृत खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों के लिए वर्ष 1973-74 के कोटा योजना की प्रमुख बातें निम्नोक्त हैं :—

(1) कोटे निर्धारित करने के प्रयोजन से अर्ध-परिष्कृत खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों का स्तर निश्चित करने के लिए '1972' के पंचांग वर्ष को आधार वर्ष मान लिया गया है।

(2) 1972 के दौरान समग्र निर्यातों पर ई० आई० तथा क्रोम से कमायी हुई गाय तथा भैंस की खालों पर 20 प्रतिशत तथा गाय के बछड़ों, भैंस के कटरों, भेडों, तथा बकरियो की ई० आई० और क्रोम से कमायी हुई चमड़ियों पर 10 प्रतिशत की कटौती की गई है । इस आधार पर वर्ष 1973-74 के लिए समग्र कोटा-सीमा निर्धारित की गई है ।

(3) इसमें से 10 प्रतिशत "गैर-निर्यातक चर्मशोधकों" के लिए सुरक्षित किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान औसत उत्पादन के आधार पर, जिस के समर्थन के लिए बिक्री कर निर्धारण आदेश जैसे लिखित प्रमाण हों, प्रत्येक प्रकार की खालों तथा चमडियों के लिये प्रत्येक एकक को राज्य व्यापार निगम यथानुपात आबंटन करेगा।

(4) समग्र कोटा-सीमा का शेष भाग अर्थात् 90 प्रतिशत भाग का आबंटन, विनिर्माताओं तथा व्यापारी-निर्यातकों को 1968 से 1972 के बीच पांच पंचांग वर्षों में से किसी एक पंचांग वर्ष के दौरान उनके निष्पादन के सर्वोत्तम वर्ष के आधार पर यथानुपात किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार की खालों तथा चमड़ियों के संबंध में अलग-अलग रूप से आबंटन किया जायेगा तथा निर्यातक, विभिन्न प्रकार की खालों तथा चमड़ियों के संबंध में विभिन्न वर्षों को अपने सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन वर्ष के रूप में चुन सकता है। अलग-अलग निर्यातकों की कोटों का आबंटन, आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठनद्वारा किया जायगा।

(5) ऐसे छोटे निर्यातक, जिनका निर्यात 1968 से लेकर 1972 तक किसी भी वर्ष के दौरान निम्नलिखित आंकड़ों से अधिक नहीं होते, वे अपने गत निर्यातों के पूरे स्तर तक कोटा प्राप्त करेगा :

ई० आई० का कमाया हुआ तथा क्रोम से कमाया हुआ (क्रस्ट चमडा सहित)

	अदद
1. भैंस के कटरों की चमडिया	7,500
2. गाय के बछडों की चमडियां	7,500
3. गाय की खालों तथा चमडोयां	5,000
4. भैंस की खालें	5,000
5. भेड़ की चमड़ियां	25,000
6. बकरों की चमड़ियां	25,000

(6) ई० आ ई० तथा क्रोम से कमायी हुई खालों तथा चमड़ियों और साथ ही खालों तथा चमड़ियों की अलग-अलग मदों के बीच आबंटित कोटे अपरिवर्तनीय तथा परस्पर न बदले जा सकने वाले होंगे। अलग-अलग व्यक्तियों को आबंटित कोटे अहस्तांतरणीय होंगे।

(7) अप्रैल, 1973 से अब तक किये गये निर्यातों को प्रत्येक निर्यातक को आबंटित किये जाने वाले कोटे में समंजित किया जायेगा। यदि किसी मामले में अधिक मात्रा में आबंटन होता है तो उसे निर्यातक के अगले वर्ष के कोटें में समंजित किया जायगा।

कच्ची फिल्मों के भण्डार पर सीमाशुल्क में वृद्धि किये जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद से प्राप्त विरोध पत्र

877. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् ने कच्ची फिल्मों के भण्डार पर सीमाशुल्क में वृद्धि करने के विरुद्ध विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 के लिए बजट प्रस्तावों के भाग के रूप में अनुद्भाषित सिनेमा फिल्मों पर सीमाशुल्क 15 पैसे प्रति मीटर की लम्बाई से बढ़ाकर 50 पैसे प्रति मीटर लम्बाई किया गया है। इस वृद्धि के विरुद्ध बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे जिनमें अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल है। इन अभ्यावेदनो पर विचार किया गया था और सरकार ने निम्नलिखित श्रेणियों की अनुद्भाषित फिल्मों पर शुल्क 50 पैसे से घटाकर तीस पैसे प्रति मीटर लम्बाई करने की घोषणा सदन मे 30 अप्रैल, 1973 को की थी :–

(1) श्वेत-श्याम पोजिटिव;

(2) श्वेत-श्याम नेगेटिव; तथा

(3) ध्वनि फिल्में ।

अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद ने और अधिक रियायतों के लिए अभ्यावेदन दिया है। यह मामला विचाराधीन है ।

स्टेट बैंक कर्मचारी ऐसोशिएशन की युनियन के नेताओं को निलम्बित करना

878. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शाखा की स्टेट बैंक कर्मचारियों की एसोसिएशन के यूनियन के कुछ नेताओं को हाल ही में निलम्बित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि दिल्ली परिमण्डल स्टेट बैंक कर्मचारी संघ ने तीन कर्मचारी 24 फरवरी, 1973 से तब तक के लिये निलम्बित कर दिये गये जब तक उनके विरुद्ध जांच पूरी न हो जाय । इनके विरुद्ध सक्रिय रूप से हिंसात्मक कार्यों को भड़काने, सम्पत्ति को नष्ट करने, उपद्रव और दंगा करने तथा अन्य कदाचार के अभियोग हैं ।

उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना

879. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना करने के संबंध में अब तक कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने के लिए तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । लाइसेंस समिति ने राज्य सरकार से विशेष सिफारिश करने के लिए कहा था । उड़ीसा सरकार ने अब उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम के आवेदन-पत्र की सिफारिश की है । इस मामले को लाइसेंस समिति के समक्ष उनके विचार के लिए रखा जाएगा ।

फसल बीमे को प्राथमिकता कार्यक्रम के आधार पर लेना

880. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सामान्य बीमा व्यापार गृहों को आह्वान किया है किफसल बीमा को प्राथमिकता कार्यक्रम के आधार पर लिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य बीमा ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने भारत के विविध बीमा-निगम को कुछ चुने हुए इलाकों में कुछ चुनी हुई फसलों का मार्गदर्शी आधार पर फसल के बीमा की योजना को लागू करने को कहा है । विविध बीमा कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की संस्थाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति द्वारा 9 जून, 1973 को 'राष्ट्रीयकरण-बीड़ा उठाना' विषय पर समायोजित गोष्ठी में वित्त मंत्री के भाषण में भी फसल के बीमा के महत्व का उल्लेख किया गया था ।

(ख) इस विषय में विविध बीमा निगम ने सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है ।

मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड पर करों की बकाया राशि

881. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड पर कितने विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय करों की राशि बकाया है ;

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) निर्धारित अवधि में करों का भुगतान न करने के कारण उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड की और आयकर, अतिभार-कर और केंद्रीय उत्पादन -शुल्क के रूप में केंद्रीय कर बकाया है। सीमाशुल्क की बकाया के संबंध में, यदि कोई है, सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त करों के विषय में की गयी मांगों को इसलिए प्रवर्तित नहीं किया जा सका क्योंकि वे संबंधित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में विवादास्पद हैं। अपीलीय आदेशों के फलस्वरूप, कुछ मामलों में परिशोधित मांगें जारी की गयी हैं जबकि दूसरे मामलों में पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में स्वीकृत (धन) वापसी को अनुवर्ती वर्षों की बकाया के एवज में समायोजित किया जा रहा है। करदाता को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि उनपर जुर्माना क्यों न किया जाय। नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

Places Selected as Tourist Centres During the Last Three Years

884. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of places, symbolising Indian culture and civilisation, selected as Tourist Centres during the last three years;

(b) the criteria of selection of such places; and

(c) the list of the places likely to be selected in the near future?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Places of archaeological and historical interest where tourist facilities have been provided in the last 3 years are Elephanta, Ajanta, Ellora, Agra, Khajuraho, Sanchi, Srinagar, Sabarmatti Jaipur, Mahabalipuram, Ranakpur, Bodhgaya, Jaisalmer and Rameshwaram.

(b) The criteria adopted for determing the *inter se* priorities in the selection and development of such places are their popularity with tourists, the need to augment or improve the existing facilities, their accessibility, availability of infrastracture such as water and electric supply and the availability of funds.

(c) The programme of tourism development during the Fifth Five Year Plan is under the consideration of the Government. Subject to availability of resources additional schemes will be taken up for providing tourist facilities at places of archaeological and historical importance during the Fifth Plan. The criteria adopted for the selection of these places are (1) the existing international tourist traffic to the centre or its potential to attract such traffic (2) whether it falls within the country or such traffic can be developed to the centre in relation to other developmental programmes of the Department (3) the priority assigned by the Archaeological Survey of India in its programme of conservation of monuments (4) the investment that the State Government would make in its Plan for developing the infrastructure.

Nnmber of Accidents Involving Indian Airlines Planes

885. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Shri Vayalar Ravi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of accidents involving Indian Airlines planes during the current year Airport-wise, with reasons therefor;

(b) the loss of life and property suffered as a result of these accidents; and

(c) the preventive steps taken by Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) &(b) There have been six accidents involving Indian Airlines aircraft duiing the current year upto 22 July 1973. A statement giving the requisite information about these accidents is attached.

(c) The following are among the preventive steps that have been taken :

(i) It has been decided to re-assess the proficiency of all Commanders of Indian Air lines. The programme of assessment has commenced on 9 July 1973.

(ii) Sanction has been accorded to two new posts of Examiners of Flying for checking the proficiency and skill of pilots of Indian Airlines and Air India for Command Ratings.

(iii) A system of pre-flight medical checks has been introduced by Indian Airlines at the four major airports to ensure that the provisions of Aircraft Rules regarding consumption of alcohol are not violated.

(iv) A system has been introduced whereby the pilots have to personally take the pre-flight briefing at the Movement Control before each flight.

(v) A system of surprise checks during flight by Regional Operations Manager has been introduced by Indian Airlines to keep a watch over the observance of the prescribed procedures and regulations by the flying crew.

Statement

Sl. No.	Date/Place of accident	Aircraft Regn. No./ Type	Fatalities			Brief cause of the accident	Loss suffered
			Passengers	Crew	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15-3-1973 Secunderabad.	VT-EAU HS-748		3	3+1 (outsider)	Several errors were committed during the flight by the Instructor and the trainee, due to which the aircraft which was on a training flight in which the trainee was being given an exercise in single engine, bad weather circuit, encountered an emergency situation with which the	The aircraft was insured for Rs. 95 lakhs which is recoverable from General Insurance Corporation of India.

1	2	3	4	5	6	7	8
						pilots could not cope up, with the result the aircraft crashed. The members of the crew had consumed alcoholic beverages immediately before the flight. The mistakes committed by them may reasonably be attributed to the consumption of alcohol, which affected their concentration and impaired their judgement and skill.	
2	1-5-1973 Hyderabad	VT-DXH HS-748				Due to heavy landing causing substantial damage to aircraft including collapse of nose gear.	Not yet available.
3	2-5-1973 Bhavnagar	VT-AYH DC-3				Under investigation.	Not yet available.
4	31-5-1973 Palam (Delhi)	VT-EAM Boeing 737	43	5	48	The pilot's incorrect decision to attempt in instrument approach to land, even when the reported visibility was well below the laid down minima and the faulty technique of flying and descent even below the O.L.C. in instrument flying conditions. The Pilot did not receive the required assistance from the Co-pilot, regarding the "standard call outs".	The aircraft was insured for Rs. 3.5 cores which is recoverable from General Insurance Corporation of India.
5	3-7-1973 Bombay [Airport.	VT-DPO Caravelle			..	Under investigation.	Not yet available.
6	20-7-1973 Calcutta Airport	VT-DMD F-27			..	Under investigation	Not yet available.

भारत सहायता सार्थ की पैरिस में हुई बैठक के बाद विश्व बैंक द्वारा निकाली गई प्रेस विज्ञप्ति

886. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थ संघ की पैरिस में हुई बैठक के बाद विश्व बैंक द्वारा निकाली गई एक प्रेस विज्ञप्ति में भारत को और अधिक तथा दीर्घावधि के लिये ऋण की अदायगी में छूट देने पर विचार किये जाने का क्या उल्लेख नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा अधिक लम्बी अवधि के लिये ऋण की अदायगी में छूट देने की मांग न करने के क्या कारण हैं जिससे लगभग आधी विदेशी मुद्रा ऋण का भुगतान किया जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सहायता संघ की पैरिस में हुई बैठक के बाद विश्व बैंक द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञाप्ति में भारत के लिए अधिक लम्बी अवधि की ऋण राहत का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु विश्व बैंक द्वारा लम्बी अवधि के ऋणों तथा सहायता के अध्ययन के काम को शीघ्र ही शुरू किए जाने की सम्भावना है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के सामने पेश आने वाली ऋण-भार की समस्या के दीर्घकालीन समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया है ।

वर्ष 1966 में इंडियन एयर लाइन्स के लिये ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट की खरीद के बारे में जांच

887. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में दो अधिकारियों द्वारा, जो इस बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं; इंडियन एयरलाइन्स के लिए ग्राऊंड हैंडलिंग इक्विपमेंट की खरीद के बारे में जांच का आदेश दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस खरीद में पहिले ही क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और क्या इस मामले में इस आधार पर और आगे जांच करने का आदेश दे दिया गया है ; और

(ग) जांच का आदेश देने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) कारवेल ग्राऊंड हैंडलिंग उपस्कर की खरीद में पाई गयी कुछ त्रुटियों का 30 अगस्त, 1971 को प्राप्त हुई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के मसोदे में उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कर दी जो कि इसकी जांच कर रहे हैं ।

विश्वबैंक से कलकत्ता नगरीय विकास परियोजना के लिए ऋण

888. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से कलकत्ता नगरीय विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिए ऋण प्राप्त होने की कोई संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां। नगर विकास परियोजना के लिए 3.5 करोड़ डालर की रकम के एक ऋण के सम्बन्ध में हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बातचीत पूरी हो गयी है। यह परियोजना कलकत्ता महानगर विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जायगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मण्डल द्वारा शीघ्र ही इस ऋण के लिए स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है। यह ऋण ब्याजमुक्त है तथा इस पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगेगा और इसे 50 वर्षों

में चुकाना होगा जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल हैं। इस ऋण से अगले तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाने वाली जलपूर्ति, मल निकासी, जल निकासी, कूड़ा, स्वच्छता, नगरीय यातायात और क्षेत्र विकास सम्बन्धी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायगा ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मैसर्स अमृतसर शुगर-मिल्स को दिये गये ऋण के बारे में जांच

889. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री श्यामनंदन मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मैसर्स अमृतसर शुगर मिल्स को उसके वनस्पति एकक के लिये दिये गये ऋण के बारे में जांच के आदेश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) अब तक कितनी राशि वसूल की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार ने इस मामले की जांच के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है परन्तु स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने आवश्यक जांच करने के पश्चात्, अपने हितों के संरक्षण हेतु कई एक कदम पहले ही उठा लिए हैं। चूंकि जो सूचना मांगी गयी है, वह स्टेट बैंक आफ इंडिया के एक निजी संघटक के खाने से सम्बन्धित है इसलिए बैंकों में प्रचलित परिपाठियों तथा प्रथाओं के अनुसार और स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1955 कि उपबन्धों के अनुरूप, ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती ।

दिल्ली में मजदुरों की हड़ताल के कारण कपड़ा उद्योग में उत्पादन की हानि

890. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1973 में दिल्ली में कपड़ा मिल मजदुरों की हड़ताल के कारण उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल के सागर द्वीप समूहों में निर्बाध व्यापार निर्यात क्षेत्र की स्थापना

891. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री माधुर्य हालदार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप समूहों में एक निर्बाध व्यापार निर्यात क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सागर द्वीप समूह में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सुझाव प्राप्त हो चुका है लेकिन सरकार ने अब तक कोई प्रस्थापना तैयार नहीं की है। पांचवी योजना के दौरान निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्थापनाएं तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है और आशा है कि इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी। सागर द्वीप समूह में निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के बारे में विनिश्चय, कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा ।

बिहार में कृषकों और उद्योगपतियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

892. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिहार में कृषकों और उद्योगपतियों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई; और

(ख) राष्ट्रीयकरण से पहले के आंकड़ों की तुलना में इसके क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषकों और छोटे पैमाने के उद्योगपतियों को दिए गए अग्रिमों की, जून 1969 (बैंक राष्ट्रीयकरण से तुरन्त पूर्व) और दिसम्बर 1972 (सब से हाल के उपलब्ध) के अन्त में तदनुरुप प्रतिशत वृद्धि सहित, बकाया धनराशि इस प्रकार थी :—

(लाख रुपयों में)

	जून 1969	दिसम्बर 1972	प्रतिशत वृद्धि
1. कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बागानों को छोड़कर)	26	6.86	2,538
2. लघु उद्योग	5,24	12,51	2,86

बिहार में अन्य उद्योगपतियों को दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

मोटे और फाइन कपड़े पर मूल्य छापना

893. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटे और फाइन कपड़े पर मूल्य छापने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय कपड़ा व्यापारी संघ ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मोटे, लोवर तथा हायर मिडियम किस्मों वाले पहनने के अनियन्त्रित कपड़े हेतु 20 जुलाई, 1973 से प्रवृत्त स्वैच्छिक कीमत नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत मिलों से योजना के अन्तर्गत आने वाले कपड़े के प्रत्येक थान पर मिल से निकलते समय की अधिकतम कीमतें और अधिकतम खुदरा कीमतें दोनों ही अंकित करने के लिए अनुरोध किया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपभोक्ता के हित की रक्षा करने के लिए सरकार वर्तमान परिस्थितियों में कपड़े पर कीमतों का अंकित किया जाना अनिवार्य समझती है और इसके अलावा कोई बेहतर सुझाव भी नहीं दिया गया है ।

करो की बकाया राशि वसूल करने के लिए अमरीकी पद्धति लागू करना

894. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों की बकाया राशि वसूल करने के लिए आयकर विभाग में किसी अमरीकी पद्धति को अपनाया गया है;

(ख) यह पद्धति कितनी अवधि तक लागू रही थी ;

(ग) उन अमरीकी अधिकारियों की संख्या कितनी है जो इस सम्बन्ध में आय-कर विभाग में रहे थे, वे कितनी अवधि तक रहे थे और उनको कितनी धनराशि का भुगतान किया गया था; और

(घ) इस पद्धति को लागू करने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन आदि से नकद या किसी वस्तु के रूप में कितनी सहायता ली गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) भारत सरकार के निमन्त्रण पर 1965 में एक अमेरिकी कर सलाहकार दल, अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत आया। अन्य बातों के साथ-साथ इस दल की सिफारिशों पर आधारित कर्तव्यानुसार कार्य-विभाजन प्रणाली, आयकर विभाग में सितम्बर 1966 में चार मार्गदर्शी परियोजनाओं में प्रायोगिक उपाय के रूप में चालू की गई। इन मार्गदर्शी परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के प्रकाश में यथा संशोधित योजना धीरे-धीरे अन्य बडे बड़ आयकर परिमण्डलों में भी लागू की गई जिससे कि इस समय इसके अन्तर्गत आयकर कार्यालयों का लगभग 50 प्रतिशत भाग आ जाता है ।

कर्तव्यानुसार कार्य विभाजन की इस योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक, कर-निर्धारण तथा वसूली कार्य आयकर अधिकारियों के भिन्न-भिन्न दलों द्वारा किए जाते हैं। लिपिक कार्यों को भी फिर से गठित किया गया है और उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त सेलों को सोंपा गया है। इस प्रकार यह योजना विशेषीकरण का लाभ प्राप्त करती है और जन-शक्ति के अधिक प्रभावी उपयोग में सहायक होती है।

अमेरिकी कर-सलाहकार दल में 4 दीर्घावधिक विशेषज्ञ और 13 अल्पावधिक विशषज्ञ थे। इस दल का कार्यकाल आरम्भ में एक वर्ष था किन्तु बाद में, काम की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे 31 दिसम्बर 1968 तक बढ़ा दिया गया। प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके भारत में रुकने के लिए 15 रु० दैनिक भत्ता अदा किया गया था और कुल खर्च लगभग 66,000 रु० था।

इस योजना के कार्यान्वियन के लिए अमेरिकी सहायता एजेन्सी से भिन्न किसी अन्य एजेन्सी से नकद अथवा जिन्स के रूप में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई ।

भारत और श्रीलंका के संयुक्त प्रयास से श्रीलंका में स्थापित उद्योग

896. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और श्रीलंका के संयुक्त प्रयास से श्रीलंका में कितने उद्योग स्थापित किए गए तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) भारत में सरकारी क्षेत्र द्वारा श्रीलंका सरकार को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या औद्योगिक विकास में सहायता के लिए श्रीलंका सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय तथा श्रीलंका के उद्यमकर्ताओं के बीच सहयोग के परिणामस्वरूप श्रीलंका में अब तक तीन औद्योगिक संयुक्त उद्यम एकक स्थापित किए गए हैं। ये हैं : सिलाई मशीन संयन्त्र, ग्लास फैक्टरी तथा पी०वी०सी० लैदर क्लाथ बनाने का एकक।

(ख) से (घ) श्रीलंका की सरकार ने, प्रबन्ध सम्बन्धी हुनरों, प्रोद्योगिकीय विशेषज्ञता, संयुक्त विपणन सेवायें तथा औद्योगिक सहयोग आदि विकसित करने के लिए भारतीय सहायता का लाभ उठाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है ।

छोटे किसानों की सहकारी समितियों की राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सहायता देने की योजना

897. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों की सहकारी समितियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता दिलाने की योजना लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधारपर सरकारी क्षेत्र के बैंक सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्शसे विभिन्न राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में किसान सेवा संस्थाएं गठित करने पर विचार कर रहे हैं । प्रस्तावित किसान सेवा संस्थाओं का लक्ष्य मुख्यत: छोटे और सभी सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना है । संस्थाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं वित्तपोषक बैंक द्वारा पूरी की जाएगी । यह संस्था कृषि के काम आने वाली वस्तुओं और अन्य सेवाओं की पूर्ति का प्रबन्ध करेगी जिसमें स्थानीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए विपणन और परिष्करण का कार्य भी शामिल है और अपने सदस्यों की अल्प मध्यम और दीर्घावधिक ऋणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त उन्हें एकीकृत सेवाएं भी उपलब्ध करेंगी । राज्य इन संस्थाओं में भागीदार होंगे और आशा है कि प्रारम्भिक अवधि में इन संस्थाओं को वित्तपोषक बैंकों और राज्य सरकारों से अर्हताप्राप्त प्रबन्ध निदेशकों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों पर होने वाले खर्च के लिए राज सहायता प्राप्त होगी ।

वर्ष 1971–72 और वर्ष 1972–73 के दौरान भारत की यात्रापर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि

898. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और वर्ष 1972–73 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) तत्सम्बन्धी देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1973–74 के दौरान कितने पर्यटकों के भारत आने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) 1971 तथा 1972 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	आनेवाले पर्यटक	अनुमानीत विदेशी मुद्रा की आय
		(करोड़ रुपयों में)
1971 . .	300,995	40.4
1972	342,950	48.3

(ख) वर्ष 1971 तथा 1972 के दौरान आने वाले पर्यटकों का राष्ट्रिकता-वार ब्यौरा तथा विभिन्न क्षेत्रों से विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय संलग्न विवरण i तथा ii में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 5224/73]

(ग) 1973 के दौरान 400,000 पर्यटकों के भारत की यात्रा करने की आशा है।

मारुती लिमिटेड के अंशधारियों को आयात करने के अधिकार की मंजूरी

899. **श्री मधु लिमये:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड में 10,000 या इससे अधिक रुपये लगाने वाले कितने अंशधारियों और उसके निदेशकों जहां, अंशधारी निगमित निकाय हो, को उसी समय आयात करने का हक मिल गया है जब से वे इसके अंशधारी बने हैं ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अधिकारों में से कौन से परस्पर हस्तान्तरणीय हैं और किन मदों के लिए जे०सी०सी० आई० उन्हें अनुमति देता है ; और

(घ) इन अधिकारों को परस्पर हस्तान्तरणीय बनाने और जे०सी०सी०आई० द्वारा उन्हें मंजूर किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूती कपड़ों की कीमतों और कपड़ा मिलों के लाभ में कमी करने के लिए की गई कार्यवाही

900. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ों की कीमतों में असाधारण वृद्धि होने के बारे में सरकार को संसद् सदस्यों और नागरिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनवरी, 1971 और जनवरी, 1973 के बीच रुई की कीमतों में 28 से 50 प्रतिशत के बीच कमी हुई है ;

(ग) क्या कपड़ा मिलों द्वारा 50 से 1500 प्रतिशत के बीच भारी मुनाफा कमाने के बारे में सरकार को जानकारी दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सूती कपड़ों की कीमतों में कमी करने, मुनाफे में कमी करने और उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संसद के बजट अधिवेशन के दौरान संसद् के कुछ सदस्यों ने सरकार का ध्यान कपड़े की कीमतों में तीव्र वृद्धि की ओर आकर्षित किया था।

(ख) रुई की कुछ प्रतिनिधि किस्मों की कीमतें जनवरी, 1971 की कीमतों की तुलना में जनवरी, 1973 में 26 से 40 प्रतिशत कम थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मोटे, लोअर तथा हायर मीडियम किस्मों के पहनने योग्य गैर-नियन्त्रित कपड़े के लिए स्वैच्छिक कीमत नियन्त्रण योजना 20 जलाई, 1973 से लागू की गई है। योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) मोटे, लोअर मिडियम तथा हायर मिडियम के पहनने के सभी किस्मों के कपड़े (उन किस्मों को छोड़कर जो पहले ही सांविधिक कीमत नियन्त्रण के अधीन हैं) की मिल से निकलते समय की कीमतें नवम्बर, 1972 में रही कीमतों के अनुरुप एक उच्चतम सीमा के अधीन होंगी और अनुवर्ती अवधि में उत्पादन साधन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की व्यवस्था होगी।

(2) कपडे की जो किस्में पहले ही सांविधिक नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोडकर कपडे की उपर्युक्त किस्मों के सम्बन्ध में व्यापार मार्जिन मिल से निकलते समय की कीमतों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा करने के बाद उनसे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उपर्युक्त आधार पर आकलित अधिकतम मिल से निकलते समय की कीमतें और अधिकतम खुदरा कीमतों की मोहर पहनने के कपड़े के प्रत्येक थान के शुरू में तथा अन्त में लगाई जाएगी।

(4) स्कीम के उल्लंघन किए जाने के मामलों की जांच करने के लिए और मामले की सूचना समुचित कार्यवाही के लिए वस्त्र आयुक्त और उद्योग तथा व्यापार के शीर्ष संघों, जैसा भी मामला हो, को देने के लिए कार्यान्वयन समितियां स्थापित की जाएंगी।

(5) कपड़ों की खुदरा कीमतों के सम्बन्ध में विचार करने और स्कीम के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट उपचारात्मक कार्यवाही के लिए सरकार और सम्बन्धित उद्योग तथा व्यापार-वर्ग को देने के लिए निगरानी समितियां भी स्थापित की जाएंगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा एकाधिकार आधार पर रुई की खरीद

902. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने एकाधिकार आधार पर रूई की खरीद करना शुरू कर दिया था ;

(ख) क्या एक ही किस्म की रुई, अर्थात् 'वाई-एक' किस्म महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भिन्न-भिन्न मूल्य पर खरीदी गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या खानदेश कपास उत्पादकों को केवल 80 प्रतिशत कीमत ही अदा की गई और शेष कीमत तथा सरकार को प्राप्त होने वाले लाभ पर बोनस की अदायगी अभी उन्हें की जानी है ; और

(घ) यदि हां, तो अदायगी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मध्य प्रदेशमें रूई की खरीदारियां चालू रुई मौसम के दौरान भारतीय रुई निगम तथा निजी व्यापार द्वारा प्रचलित बाजार कीमतों पर की गई हैं जबकि महाराष्ट्र में खरीदारियां महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से एकाधिकार आधार पर की गई है। महाराष्ट्र की एकाधिकार प्राप्ति योजना के अन्तर्गत रुई की अन्तिम कीमतें लेख के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर ही घोषित की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने भुगतान के सम्बन्ध में खानदेश रुई उत्पादकों तथा रुई की अन्य किस्मों के उत्पादकों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया है। सभी रुई उत्पादकों को रुई सौंपते समय 80 प्रतिशत का भुगतान किया गया तथा शेष 20 प्रतिशत का भगतान 15-6-73 से शुरु किया गया है और अभी चालू है। महाराष्ट्र की एकाधिकार प्राप्ति योजना के अन्तर्गत अन्तिम लेखे के अक्तूबर, 1973 तक पूरे हो जाने की आशा है।

Impact of Black Money on India's Economy

903. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether black money has brought into existence a parallel economy ;

(b) whether Government have ascertained the actual amount of black money in tl country;

(c) whether Government have framed liberal terms for those who help in unearthir the black money; and

(d) the time by which Government would be able to control the impact of bla money on Indian economy?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (l The existence of black money no doubt creates problems in regulating the amount of tot demand in the economy. It also affects the efficacy of the regulatory mechanism throug fiscal and monetary policies.

Various agencies have from time to time attempted estimates of the amount of bla money in the country. From the very nature of things and the complexities of the prol lems involved, it is, however, not possible to make any reliable quantification;

(c) The Government have framed liberal rules for granting rewards to those wh furnish information leading to unearthing of tax evasion and black money.

(d) Every endeavour is being made to tackle the problem of black money and t check its proliferation. The law has recently been amended to enable the Governmer to acquire properties which are intentionally undervalued at the time of sale, etc., fc facilitating the utilisation of black money. The Taxation Laws (Amendment) Bill 197: based on the recommendation of the Wanchoo Committe and the Report of the La Commission, which has been introduced in Parliament contains a number of measures t tackle this problem, e.g. increased powers for search and seizure, stronger provisions fc penalties and prosecutions for tax evasion, additional powers of survey, tightening of th provisions regarding trusts and diversion of income, compulsory maintenance and audit c accounts, and plugging of numerous loopholes in the tax laws. The administrative and enfo cement machinery of the Income tax Department is also being geared up simultaneously t fight tax evasion and to unearth black money. Thus, the powers of search and seizure ar being utilised increasingly; the powers of surprise survey of business premises are bein used more frequently; survey of new constructions and professional assessees is bein intensified and the Intelligence and Investigation Wings are being strengthened.

जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डों के सुधार का प्रस्ताव

904. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री लालजी भाई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डों के सुधार तथा विकास का प्रस्ता सरकार के विचाराधीन है ताकि वहां बड़े विमान उतर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क)और(ख)जयपुर और उदयपुर विमान क्षेत्रों को बोइंग 737 विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयोजन से इन विमानक्षेत्रों वे धावनपथों आदि के विकास के लिए क्रमश: 38.18 लाख रुपयों और 61.56 लाख रुपयों की राशि के व्यय अनुमान की मंजुरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ।

भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ, लाभांश और अन्य खर्चों के रूप में विदेश भेजी गई धनराशि

905. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शृंगार प्रसादन, सौन्दर्य प्रसाधन और अन्य उपभोक्ता सामग्री का निर्माण करने वाली देश में काम कर रही विदेशी फर्मों में से प्रत्येक ने कितनी धनराशि विदेशों में भेजी; और

(ख) कच्चे माल का आयात, लाभांश और लाभ एवं विदेशों में प्रशासनिक व्यय के रूप में विदेश भेजी गई धन राशि का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1968-69 से 1970-71 तक के वर्षों में प्रसाधन, साबुन आदि तथा अन्य उपभोक्ता माल के क्षेत्र में लगी कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ, लाभांश तथा मुख्यालय-व्यय सम्बन्धी विदेशों को भेजी गई रकमों का ब्योरा दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल०टी० 5225/73] चूंकि प्रसाधन, साबुन आदि और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस क्षेत्र में लगी अन्य विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजी गई रकमों के बारे में सूचना इकट्ठी की जायगी तथा जितनी उपलब्ध होगी उतनी जल्दी लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कच्चे माल के आयात के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

काले धन का पता लगाने के लिये मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन

906. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना समय की हानि किए समस्त देश में काले धन का पता लगाने के लिए मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

एक हजार रुपये वाले नोटों का विमुद्रीकरण

907. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक हजार रुपये वाले नोटों का विमुद्रीकरण का है ताकि काले धन को नियन्त्रित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

वर्ष 1972–73 में पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाएं

908. **श्री राम प्रकाश :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972–73 के दौरान पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच में विमान चालकों तथा सह विमान चालकों को दोषी ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उठाए गए कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) इण्डियन एयर लाइन्स के सभी कमांडरों की कार्यदक्षता का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय किया गया है । मूल्यांकन का कार्यक्रम 9 जुलाई से प्रारम्भ हो गया है ।

(ii) कमांड रेटिंग के लिए विमान चालकों की कार्यदक्षता एवं कुशलता की जांच पड़ताल करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक के अधीन 2 उड़ान परीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है ।

(iii) चारों प्रमुख हवाई अड्डों पर इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा उड़ान-पूर्व डाक्टरी जांचों की एक प्रणाली चालू की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मद्य निषेध सम्बन्धी वायुयान नियमों का उल्लंघन न हो ।

(iv) एक प्रणाली का प्रारम्भ किया गया है जिसके अनुसार विमान चालकों को प्रत्येक उड़ान से पहिले मूवमेंट कन्ट्रोल पर स्वयं जा कर उड़ान-पूर्व ब्रीफिंग प्राप्त करना होता है ।

(v) उड़ान कार्मीकों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं तथा विनियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स ने क्षेत्रीय परिचालन प्रबन्धकों द्वारा उड़ान के दौरान अचानक जांच की एक प्रणाली प्रारम्भ की है ।

राज्य व्यापार निगम को ऊनी चिथड़ों का आयात करने की अनुमति

909. **श्री राम प्रकाश :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को ऊनी चिथड़ों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयात की शर्तें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चिथड़ों का आयात स्थगित नहीं किया गया था । तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिथड़ों के रूप में पहनने योग्य परिधानों का आयात करने का कदाचार दुबारा न हो, मार्गीकरण अभिकरण के रूप में राज्य व्यापार निगम से चिथड़े आयात करने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया था ।

भारत में चोरी छिपे लाये जा रहे माल की कीमत

910. **श्री विजय मोदक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चोरी छिपे लाये जा रहे माल और सामग्री की कीमत के बारे में सरकार को कोई ब्यौरा उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां तो वह क्या है;

(ग) क्या सरकार तस्करी के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का पता लगाने में सफल हुई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(घ) सरकार ने इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) और (ख) देश में चोरी-छिपे लाए गए माल का विश्वसनीय अनुमान लगाना पकड़े गए निषिद्ध माल के आंकड़ों के आधार पर व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, बीजकों में हरफेर द्वारा विदेशी मुद्रा के क्षरण पर अध्ययन दल ने जून 1971 में अनुमान लगाया था कि वित्तीय तस्कर व्यापार की अवैध विदेशी मुद्रा की वार्षिक खपत लगभग 160 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये तक होगी। सोने का तस्कर व्यापार, जो सम्पूर्ण तस्कर व्यापार का एक बड़ा भाग था, हाल ही में लगभग बन्द हो गया है।

(ग) इसके पूर्व, तस्कर-व्यापारियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में माल को पैकजों में, असबाब में, शरीर में और जलयानों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में भाग लेने वाले अन्य वाहनों में छुपा कर चोरी से लाना था। तस्कर व्यापार के केन्द्र पत्तन और हवाई अड्डे तथा उनके आसपास के क्षेत्र थे। लेकिन हाल ही में लाखों रुपये मूल्य की बड़ी-बड़ी खेपों की दुबई से तीव्र गति से चलने वाली लांच-नौकाओं द्वारा लदान किया गया है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट भर विभिन्न स्थानों पर उतारने के लिए होते है।

(घ) तस्कर व्यापार को रोकने के निमित्त सरकार द्वारा किए गए उपाय तथा इस सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार है :—

सूचना को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, और समुद्र-तट तथा स्थल-सीमाओं पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। मार्ग में प्रभावी रूप से रोकने, निवारक कार्यवाही करने आदि के लिए समय समय पर अतिरिक्त नौंकाएं एवं वाहन मुहैय्या किये जा रहे है। सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क अपर समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक समहर्ता के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात तथा निर्यात की जांच पड़ताल करने तथा उनको रोकने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

तस्कर-व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा समुद्र में तीव्र गति से चलने वाले जलयानों को प्राप्त करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। तस्कर-व्यापार सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक कठोर सजा की व्यवस्था करने के निमित्त सीमाशुल्क अधिनियम के संगत उपबन्धों में संशोधन करने के लिए लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया है।

भारत के बड़े हवाई अड्डों पर संचार सुविधाएं

911. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बाबत की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े हवाई अड्डों पर संचार सुविधाएं कारगर नहीं हैं और वे पुराने किस्म की हैं ;

(ख) क्या इन हवाई अड्डों पर संचार सुविधाओं में सुधार करने अथवा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागरविमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) संचार सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं और साधनों की उपलब्धता के अनुरूप सुविधाओं में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) भूमिस्थ विमान यातायात नियंत्रकों तथा विमानचालकों के मध्य संचार सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार;

(ii) लम्बी तथा मध्यम दूरी के रेडियो संचार सर्किटों का आधुनिकीकरण;

(iii) हवाई अड्डों के बीच सभी रेडियो टेलिफोन संचार सरणियों की पारेषण पद्धति को डबल साइज बैंड से सिंगल साइड-बैंड में बदलना;

(iv) स्पीच सर्किटों के लिए भूलाइनों के बजाए सूक्ष्म-तरंग सम्पर्कों का उपयोग; तथा

(v) संदेश-व्यवस्था के लिए स्वचालित रिले उपस्कर का चालू किया जाना।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना बन्द करना

912. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ श्रेणियों को समयोपरि भत्ता देना बन्द करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में काम करने वाले उसी श्रेणी के कर्मचारियों पर भी यह सिफारिश लागू करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तीसरे वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि समयोपरि भत्ते की पद्धति को उन वर्गों तथा प्रतिष्ठानों (एस्टेब्लिशमेंटस) के सम्बन्ध में वापस ले लिये जाना चाहिए जिनके सम्बन्ध में इस प्रणाली को दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किया गया था। उन वर्गों के लिए जोकि समयोपरि भत्ते के अधिकारी नहीं रहेंगे, कुछ प्रतिबन्धों के अधीन एवजी छुट्टी तथा मानदेय की अदायगी की पद्धति की सिफारिश की गई है। आयोग की सिफारशों की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स वायु निगम अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत स्थापित किए गए सांविधिक निकाय हैं तथा वेतन आयोग की शिफारिशें उन पर लागू नहीं होतीं।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उपाय

914. **श्री मधु दंडवते** :
श्री वसंत साठे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1973 को दिल्ली हवाई अड्डे के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में विस्तृत जांच की रिपोर्ट सरकार को कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है; और

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस बीच क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) रिपोर्ट की एक प्रतिलिपी 24 जुलाई, 1973 को लोक-सभा पटल पर रख दी गई है ।

(ख) अदालत ने कई सिफारिशें की हैं जो कि, अन्य बातों के साथ-साथ, विमानचालक प्रशिक्षण क्रियाविधियों, उड़ान-पूर्व 'ब्रिफिंग-प्रणालियों', बचाव तथा अग्नि-शामक सेवाओं को मजबूत करने आदि से सम्बन्धित हैं ।

सिफारिशों की सक्रिय जांच व उन पर कार्यवाही की जा रही है । निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) यह निर्णय किया गया है कि इण्डियन एयरलाइन्स के समस्त कमांडरों की कुशलता का पुर्ननिर्धारण किया जाना चाहिए । पुर्ननिर्धारण का कार्यक्रम 9 जुलाई, 1973 से प्रारम्भ हो गया है ।

(ii) कमांड रेटिंगों के लिए इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के विमानचालकों की कार्य-कुशलता तथा निपुणता की जांच करने के लिए उड़ान परिक्षकों के दो नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(iii) नागर विमानन विभाग के विमान सुरक्षा संगठन के लिए 49 अतिरिक्त पद (23 राजपत्रित तथा 26 अराजपत्रित) मंजूर किए गए हैं जिससे कि वह अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को सम्भालने तथा दुर्घटनाओं को बचाने से सम्बन्धित पहलुओं पर अधिक ध्यान देने में समर्थ हो सके ।

(iv) चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर दिक्चालन, पहुँच तथा अवतरण सम्बन्धी उपकरणों को और मजबूत करने के लिए जिनमें उड़ान शोधन (फ्लाइट केलिब्रेशन) सुविधाएं, संधारण कर्मचारियों में वृद्धि करना, फालतु पुर्जे प्राप्त एवं स्टाक करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सु-व्यवस्थित बनाना, विमान यातायात नियन्त्रकों तथा संचार कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करना सम्मिलित है, इस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय दल द्वारा की गयी सिफारिशों पर सम्बंधित अभिकरणों द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 1972–73 में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना

915. **श्री मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का चोरी छिपे लाया जाना हाल ही में बढ़ गया है;

(ख) गत वित्तीय वर्ष में सीमाशुल्क अधिकारियों ने तस्करी के कितने मामले पकड़े थे; और

(ग) क्या तस्कर व्यापारी बहुत कम पकड़े जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 (मई तक) के दौरान पकड़े गये मामलों के आंकड़ों के आधार पर और आसूचना रिपोर्टों से भी ऐसा मालूम होता है कि 1971 से सोने के तस्कर व्यापार में पर्याप्त कमी हुई है तथा पिछले कुछ महिनों में वह लगभग समाप्त हो गया है, परन्तु संश्लिष्ट कपड़े के तस्कर व्यापार में 1971 के बाद वृद्धि हुई मालूम होती है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने तस्कर-व्यापार के 49,006 मामलों का पता लगाया ।

(ग) वर्ष 1972–73 के दौरान पकड़े गए मामलों के सम्बन्ध में 1683 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघरों में खराब नोटों (सायल्ड करन्सी नोट्स) का स्वीकार किया जाना

916. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाक-घरों में ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है कि उनमें नागरिकों से खराब नोट (सायल्ड करेंसी नोट) ले लिए जाएं और उनके बदले में उन्हें नये नोट दे दिए जाएं; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) डाक-घरों में मैले नोटों के बदले नए नोट देने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु डाक-घरों को पहले ही इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि वे मैले अथवा मामूली कटे-फटे नोटों, जो अन्यथा स्पष्टतः असली नोटों के रूप में पहचाने जाते हों, में देय रकमों की अदायगी स्वीकार कर सकते हैं । जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में नोटों के बदलवाये जाने की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, जैसे ही इन बैंकों में करैंसी चेस्ट स्थापित करने के काम में कुछ प्रगति हो जाएगी वैसे ही इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा क्योंकि ऐसा निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को अभिकरण सम्बन्धी कार्य विभिन्न चरणों में सौंपा जाय ।

आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व में हिस्सा मिलने के बारे में सावन्तवादी नागरिक परिषद के प्रस्ताव

917. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सावन्तवादी नागरिक परिषद (महाराष्ट्र) ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सावन्तवादी क्षेत्र से एकत्र आयकर में से एक निश्चित प्रतिशत धनराशि उस क्षेत्र के विकास के लिए प्राप्त करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता । किन्तु यह बात स्पष्ट कर कर दी जाए कि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत आयकर की शुद्ध प्राप्तियां केवल राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती हैं न कि नगरपालिकाओं के बीच ।

सांताक्रुज हवाई अड्डे पर सामान रखने के स्थान का निर्माण

918. **श्री मधु दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डे के अधिकारियों और विमानन विभाग के परामर्श को न मानकर सांताक्रुज हवाई अड्डे पर गत वर्ष इण्डियन एयरलाइन्स के 'सामान रखने का स्थान' के लिए एक नए भवन का निर्माण किया गया था ;

(ख) क्या उक्त भवन को, जिसके निर्माण में लगभग एक लाख रुपया व्यय हुआ था, गिराया जा रहा है जिस पर 20 हजार रुपये का व्यय आएगा; और

(ग) अधिकारियों ने भवन गिराने का आदेश किन कारणों से दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सान्ताक्रुज विमानक्षेत्र पर सामान वितरण शैड का निर्माण इण्डियन एयरलाइन्स ने 1969 में एक लाख रुपये की लागत से किया था क्योंकि इस सुविधा की उस समय आवश्यकता थी। अब भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नए टर्मिनल भवन की 'एक्सटेन्शन' में एक नए देशीय आगमन लौंज तथा एक नए सामान, वितरण हाल की व्यवस्था कर दी है। इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा निर्मित अस्थायी संरचना को 17,200 रुपये की लागत से गिरा दिया गया है तथा काफी मात्रा में उपयोगी सामान निकाल लिया गया है।

विमान चालकों, की चैक पायलटों, इंस्ट्रक्टरों और एग्जामिनरों के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी नियम

919. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान चालकों, की चैक पायलटों, इन्स्ट्रक्टरों और एग्जामिनरों के पद पर पदोन्नति के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं कि इन नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है और कम अनुभव एवं योग्यता वाले पायलटों को इन महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत किया गया है;

(ग) क्या इन आरोपों का कोई ठोस आधार है; और

(घ) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण पदों पर पायलटों की पदोन्नति में इस प्रकार की अनियमितता के रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) 'चैक पायलटों' प्रशिक्षकों तथा परीक्षकों की पदोन्नति नहीं की जाती बल्की इन कार्यों को करने के लिए इनका चयन लाइन पायलटों में से किया जाता है। शिकायत यह है कि स्वयं विमान चालकों की चयन के मामले में काफी पहुँच थी। चयन प्रक्रियाओं में अब परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा योग्यता तथा प्रवीणता के आधार पर ही किया जाए।

सूडान के साथ रुई का व्यापार

920. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान के साथ हुए रुई के सौदे में भारत को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) इस हानि के क्या कारण है; और

(घ) इस हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अग्रिम धनराशि देने के बारे में पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा

921. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अग्रिम धनराशि देने में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा की है;

(ख) क्या यह उपेक्षा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रिम धन-राशि देने के मामले में, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में पूंजी लगाने में और नई शाखाएं खोलने में भी की गई है यद्यपि इन क्षेत्रों में विकास की अधिकतम क्षमता है; और

(ग) यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

अगस्त, 1972 में पालम के निकट इंडियन एयरलाइन्स के फोकर विमान की दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय के निष्कर्ष और सिफारिशें

922. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1972 में पालम के निकट इंडियन एयरलाइन्स के फोकर विमान की दुर्घटना की जांच करने वाले जांच न्यायालय के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या ह;

(ख) क्या सरकार ने जांच न्यायालय के निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दुर्घटना विमानचालक की गलती से हुई क्योंकि उस ने उड़ान की गलत तकनीक का प्रयोग किया तथा आई० एल० एस० अवतरण प्रक्रिया का ठीक ढंग से अनुसरण नहीं किया। जहां तक दुर्घटना के कारण का संबंध है सरकार ने न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नागर विमानन के एक उपमहानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गयी है।

31 मई, 1973 को बोइंग–737 विमान की दुर्घटना होने से पूर्व पालम हवाई अड्डे पर बेकार पड़ा निगरानी राडार

923. **श्री एच० एन० मुकर्जी** :

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राडार व्यवस्था को जोड़ने वाले एक भमिगत केबल के अकस्मात क्षतिग्रस्त होने के कारण 31 मई, 1973 को बसंत बिहार में बोइंग 737 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ समय पूर्व पालम हवाई अड्डे में निगरानी राडार बेकार हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह नुकसान किस प्रकार का हुआ और कैसे हुआ ; और

(ग) क्या राडार को इस बीच ठीक करके काम योग्य बना दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) जी, हां। दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त एक केबल के कारण विमानक्षेत्र निगरानी राडार (एयरपोर्ट सर्वेलैंस राडार) सेवाको 24 मई, 1973 से बंद कर दिया गया था।

(ग) 4 जून, 1973 से यह सविधा पुन: चालू कर दी गई थी।

Steps to ensure that Pilots have not consumed liquor before commencement of flight

924. Shri Dhan Shah Pradhan :

Shri Era Sezhiyan :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to ensure that pilots have not consumed liquor before the commencement of the air flight;

(b) if so, the nature of steps taken in the matter; and

(c) the action proposed to be taken against defaulters?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Indian Airlines have positioned doctors at the four international airports. A pilot is checked when he presents himself for flight clearance, and if the doctor suspects consumption of alcohol, he is subjected to a test with a breath analyser.

(c) A pilot suspected of having taken alcohol within the prohibited hours is not allowed to undertake a flight and is sent for medical examination. Strict disciplinary action is taken for infringement of the rules.

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को रद्द करने का सुझाव

925. श्री राम भगत पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को फिलहाल रद्द कर देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्गठन के बारे में बैंकिंग आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

रक्षा प्रतिष्ठानों में हड़ताल करने का अखिल भारतीय रक्षा-कर्मचारी संघ का निर्णय

926. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने 27 और 28 मई, 1973 को देहरादून में हुई अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय किया था कि यदि सरकार सब सरकारी कर्मचरियों से संबंधित वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के नेताओं द्विपक्षीय बात चीत करने से इंकार करती है, तो समस्त देश के सब रक्षा प्रतिष्ठानों में हड़ताल कर दी जायगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसा कोई संकल्प उन्हें भेजा गया है और यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ की 27 और 28 मई, 1973 को देहरादुन में हुई अपनी बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है। इस के अनुसार संकल्प में दी गई मांगों पर, जिस में वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार से द्विपक्षीय वार्ता की मांग भी शामिल थी, हड़ताल पर जाने की राय 22 जुलाई, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह मे ली जानी थी और इस राय के परिणाम के आधार पर हड़ताल के प्रश्न का निर्णय किया जाना था। केन्द्रीय सरकार की संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ का भी प्रतिनिधित्व है। उक्त राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों ने एक नोट भेजा है जिसमें तृतीय वेतन आयोग की अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विरोध प्रकट किया गया है। कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों नें 6 जुलाई, 1973 को मंत्री-दल से भी भेंट की जिस में उन्होंने इन सिफारिशों पर अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट किया। ये दृष्टिकोण विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर पुनर्विचार करने के लिये संसदीय समिति नियुक्त करने का संसद सदस्यों का सुझाव

927. श्री नारायण चन्द पारासर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 206 संसद सदस्यों के इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण विशेषकर ऋण मंजूर करने और बैंक सेवा में भर्ती करने के कार्य पर पुनर्विचार करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अप्रैल, 1973 में उनको दिये गये ज्ञापनों में की गी मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में कब तक निर्णय करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) ज्ञापन में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि सरकार जल्दी ही किसी निर्णय पर पहुंच जायगी।

पर्यटन के विकास के लिये गोविन्द सागर झील के लिये दो मोटर-लांचों की खरीद का प्रस्ताव

928. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिये भाखड़ा बांध क्षेत्र में गोविन्द सागर झील के लिये दो मोटर-लांच खरीदने का एक प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच मोटर-लांच खरीद ली गई है ;

(ग) गोविंद सागर झील में वे कब तक चलने लगगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके कब तक खरीद लिये जाने की सम्भावना है और वे कब से चलने लगेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख), (ग) और (घ) भाखड़ा (गोविन्द सागर) में झील के लिए दो मोटर-लाँचों की खरीद के लिए एक आर्डर मई, 1971 में दिया गया था। लाँचों का निर्माण हो रहा है तथा उनकी जून, 1974 तक चालू हो जाने की संभावना है।

पोंग बांध के जल से बनने वाली झील का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का प्रस्ताव

929. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोंग बांध के जल से बनने वाली झील का विकास पर्यटन की दृष्टि से करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, नहीं; फिलहाल नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पांचवी योजना के दौरान पर्यटन का विकास

930. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पांचवीं पंच वर्षीय योजना में पर्यटन के विकास संबंधी प्रस्तावों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के लिये राज्यवार कितनी राशि रखी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन संबंधी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इस लिये अभी इतना जल्दी यह बताना कठिन है कि इस योजना में किन-किन स्कीमों को सम्मिलित किया जाएगा। तथापि केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का प्रस्ताव राज्य-वार आधार पर नहीं किया गया है, अपितु इस बात को दृष्टि में रखते हुए किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यातायात की वृद्धि करने तथा देशीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने में वे कहां तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। राज्य-योजनाओं में पर्यटन स्कीमों के लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों की कार्यकुशलता के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए उपाय

931. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों की कार्यकुशलता के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए दृढ़ उपाय करने का निर्णय किया है, जैसा कि गत 18 महीनों में इंडियन एयर-लाइन्स के विमानों की हुई आठ दुर्घटनाओं की रिपोर्टों में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क)और(ख) : जी, हां। सरकार ने विमान चालकों की क्षमता की जांच करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) यह निर्णय किया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स के समस्त कमांडरों की प्रवीणता का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। निर्धारण का कार्यक्रम 9 जुलाई, 1973 से प्रारम्भ हो गया है।

(ii) कमांड रेटिंगों के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों की प्रवीणता तथा दक्षता की जांच करने के लिए उडान परीक्षकों (एग्जीमिर्स आफ फ्लाइंग) के दो नए पदों को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(iii) चार मुख्य विमानक्षेत्रों पर इंडियन एयरलाईन्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मदिरा पान के संबंध में वायुयान नियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है उडान-पूर्व डाक्टरी जांच की पद्धति चालू की है।

(iv) एक प्रणाली चालू की गयी है जिसके द्वारा विमानचालकों को प्रत्येक उडान करने से पहले संचलन नियंत्रण (मूवमेंट कंट्रोल) पर व्यक्तिगत रूप से उड़ान-पूर्व 'ब्रीफिंग' लेना पडता है।

(v) उडान कार्मिकों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं तथा विनियमों का पालन करने संबंधी निगरानी रखने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उडान के दौरान क्षेत्रीय परिचालन मैनेजर द्वारा आकस्मिक जांच करने की पद्धति चालू की गयी है।

विश्व बैंक से ऋण

932. श्री प्रभुदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1973 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत को विश्व बैंक से बहुत अधिक सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण प्राप्त होगा ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भारत द्वारा किए गए अनुरोध पर शीघ्र ध्यान देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है; और

(घ) भारत में उक्त ऋणों का किस प्रकार से उपयोग किया जायेगा ; और भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित करने में इससे कैसे सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाले बैंक के राजस्व वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कुल 49.40 करोड़ डालर की तथा विश्व बैंक समूह से 7.00 करोड़ डालर की राशि प्राप्त करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह राशि विश्व बैंक समूह द्वारा अब तक किसी राजस्व वर्ष में वचनबद्ध सहायता की रकम की तुलना में सब से अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाले ये ऋण कृषि, दूर संचार, जल पूर्ति तथा नगर विकास और औद्योगिक क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए हैं। विश्व बैंक समूह से प्राप्त सहायता से उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद मिलती है जो राष्ट्रीय आयोजना के अंग हैं और इस से आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है।

प्रत्यक्ष करों के बारे में वांचू समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

933. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री वी० मयावन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजस्व सेवा संघ की कार्यकारी समिति ने सरकार से कर प्रशासन में सुधार करने के लिये शीघ्र वांचू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है जिससे सरकारी तंत्र अपना काम कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार वांचू समिति की ऐसी सिफारिशों के बारे में पहले ही विचार निर्धारित कर चुकी है, जिन्हें वैधानिक उपायों से लागू किया जाना था और उसने एक विधेयक पेश किया है। ऐसी सिफारिशों की फिलहाल जांच की जा रही है, जो कार्यविधिक पहलुओं से संबंधित हैं। कर प्रशासन में सधार संबंधी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है और अन्य सिफारिशे विचाराधीन हैं।

बैंक आफ बड़ोदा द्वारा चमड़े के सामान का व्यापार करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध

934. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बडौदा ने चमडे के सामान का व्यापार करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय कोई भी राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य बैंक किसी वस्तु का व्यापार नहीं करता ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में अनुमति दे दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5(ख) और 6 में उल्लिखित ढंग के व्यापार करने का अधिकार है। यह प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: वस्तुओं का क्रय या विक्रय या विनिमय नहीं करता सिवाय इसके कि जब उनका संबंध बैंक को दी गयी या बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति से हो, अथवा, संग्रह या हस्तांतरण के लिए प्राप्त हुण्डियों को छोड़कर अन्यथा कोई भी व्यापार वस्तुओं का विक्रय या विनिमय नहीं कर सकता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दरों में वृद्धि

935. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री बेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर एक प्रतिशत बढ़ा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) मुद्रा विषयक कुछ अन्य समर्थक उपायों के साथ साथ 30 मई 1973 से बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर जो 7 प्रतिशत किया गया है उसका उद्देश्य यह है कि अत्याधिक ऋण विस्तार को रोकने के प्रयास के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के बीच तथा ऋणकर्ताओं के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक कड़े वित्तिय अनुशासन को लागू किया जा सके।

सरकार का विचार है कि इन उपायों से भविष्य में अनुत्पादक क्षेत्रों अथवा अवांछनीय प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी और बैंक ऋण की मांग और उसकी उपलब्धि के बीच अपेक्षाकृत अधिक अच्छा संतुलन रखा जा सकेगा।

दिल्ली हवाई अड्डे पर निगरानी रडार

936. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे का निगरानी रडार जून, 1973 के महीने में दो बार खराब हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो बार-बार ऐसी खराबी होने के क्या कारण है; और

(ग) इसे ठीक कराने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली हवाई अड्डे के सर्वेलेंस रडार को 24 मई, 1973 को सेवा से हटा दिया गया था क्योंकि इस के नियंत्रण केबल को बदलने की आवश्यकता थी। नये केबल बिछा दिये गये तथा राडार सुविधा 4 जून, 1973 को पुनः प्रारम्भ कर दी गयी। 14 जून को त्रुटिपूर्ण बिजली सप्लाई के कारण एंटिना सिस्टम की ड्राइव मोटर क्षतिग्रस्त हो गयी। इसे तुरन्त मरम्मत कर दिया गया। तथा 16 जून को राडार को पुनः चालू कर दिया गया। स्टैण्ड–बाई रूप में रखने के लिए रिडक्शन गियर सहित, एक मोटर के आयात करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

मूल्यों में वृद्धि होने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा

937. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरुप थोक सूचकांक असाधारण रूप से बढ़ा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो एसी मूल्य वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितना मुआवजा दिया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले 12 महीनों के लिए सभी वस्तुओं (1961-62=100) के थोक मूल्यों के सूचकांक की मासिक औसत का विवरण–पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर करने के लिए वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक को आधार नहीं माना जाता है। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाता है। तृतीय वेतन आयोग की महंगाई भत्ता फार्मूले से

संबंधित सिफारिशो पर सरकार का निर्णय होने तक 575– रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1 मई, 1973 से अस्थायी तौर पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया गया और यह भत्ता इस से पूर्व मंजूर की गई अन्तरिम राहत के अलावा है।

विवरण

सभी वस्तुओं (1961-62=100) के थोक मूल्यों का सूचकांक

मास	मासिक औसत
जुलाई, 1972	202.5
अगस्त, 1972	207.5
सितम्बर, 1972	208.1
अक्तूबर 1972	210.4
नवम्बर, 1972	210.6
दिसम्बर, 1972	211.4
जनवरी, 1973	213.2
फरवरी, 1973	217.4
मार्च, 1973	219.9
अप्रैल, 1973	223.1
मई, 1973	232.1
जून, 1973	238.2

धागा नियंत्रण योजना के कारण मिलों में धागे का जमा हो जाना

939. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागा नियंत्रण योजना लागू करने के परिणामस्वरुप मिलों में धागे के भंडार जमा हो गये हैं और बुनकर भंडार नहीं उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा(ख) सूत पर कानूनी नियंत्रण की स्कीम के लागू होने के बाद मिलों में धागे के स्टाक जमा हो जाने की सूचना मिली है। स्टाक मुख्यत: अपेक्षाकृत नीचे के काउन्टों के संबंध में जमा हुए हैं और इसका कारण आबंटितियों द्वारा किए गए आबंटनों का न उठाया जाना रहा है क्योंकि जिन मिलों को आबंटन किये गये थे वे मिलों आबंटित काउन्ट ग्रुप के अन्तर्गत आबंटितियों द्वारा अपेक्षित विशिष्ट काउन्टो की पूर्ति करने में असमर्थ रहीं। ऐसे मामलों में समुचित पुनआबंटन वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाता है। 35 काउन्टों तक के धागे और धागे की कतिपय विशेष श्रेणियों और किस्मों पर वितरण नियंत्रण में छूट दिये जाने और नियंत्रत किस्मों के आबंटन संबंध में आबंटन प्रणाली में और सुधार किये जाने से यह आशा है कि राज्यों द्वारा धागे के उठाने में सुधार होगा और मिलों में धागे के स्टाक जमा किया जाना काफी घट जायगा।

इंडियन एयर लाइन्स के टिकटों को रद्द कराने का शुल्क

940. **श्री एस० सी० बेसरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स की प्रत्येक उडान में लम्बी प्रतीक्षा सूचि में दर्ज यात्रियों को स्थान नहीं दिया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो किसी यात्री द्वारा अपना टिकट रद्द कराने के लिये इंडियन एयर लाइन्स द्वारा 50 प्रतिशत में कम शूल्क न लेने में क्या औचित्य है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुछ सैक्टरों पर, मुख्यतया ट्रंक मार्गों पर, प्रतीक्षा –सूची में रखे गए यात्रियों को हमेशा स्थान नहीं दिया जा सकता।

(ख) टिकट रद्द करने के प्रभार दिए गए नोटिस की अवधि के अनुसार भिन्न–भिन्न होते हैं। ऐसा टिकटों को अंतिम क्षणों में रद्द करने को निरुत्साहित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यात्रियों को परिहार्य असुविधा न होवे।

पर्वतीय स्थानों के विकास के लिए योजना

941. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय स्थानों के विकास की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुप रेखा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डॉ० कर्ण सिंह):(क) और(ख) पर्यटन संबंधी पंचवर्षीय पांचवी योजना के मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत: अभी इतना जल्दी यह बताना कठिन है कि पांचवीं योजना में किन–किन स्कीमों को सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि यह पर्यटन योजना के लिए अंतिम रूप से अनुमान किये गये परिव्यय पर निर्भर करता है। तथापि, चुने हुए पहाडी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ अंतिम व्यवस्था की गयी है।

कपड़ा मिलों के स्वामियों द्वारा धागे के भंडार जमा करके काले बाजार में बेचा जाना

942. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ कपड़ा मिलों के मालिक तथा अन्य व्यक्ति धागे के बहुत बड़े भंडारों की जमाखोरी कर रहे हैं तथा इसे काले बाजार के मूल्यों पर बेच रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मिल–मालिकों द्वारा धागे की जमाखोरी करने और उसे काले बाजार में बेचे जाने के संबंध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। धागा–व्यापारियों के संबंध में राज्यों के सभी उपायुक्तों और समाहर्ताओं को सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अधीन जमा स्टाक अपने कब्जे में लेने और ऐसे मामलों को कानून के अनुसार निपटाने के अधिकार दे दिये गए हैं।

पालम हवाई अड्डे के नवीकरण और सुधार पर किया गया व्यय

943. **श्री सरजू पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के नवीकरण और सुधार पर गत तीन वर्षों में कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ;

(ख) इसमें से कितनी धन राशि आने वाले जहाजों के सुरक्षापूर्वक अवतरण को सुनिश्चित करने हेतु आधुनिक उपकरण लगाने के लिए व्यय की गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में कौन-कौने से उपकरण लगाये गए ; और

(घ) हवाई अड्डे के कंट्रोल के सुधार पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लगभग 554.81 लाख रुपये (इन्स्ट्रूमेन्ट लैंडिंग सिस्टम और वायु मार्ग निगरानी राडार की लागत को छोड़कर, जिस का पूर्व वर्षों के लेखों में समायोजन कर दिया गया था)

(ख) लगभग 133.86 लाख रुपये (इन्स्ट्रूमेन्ट लैंडिंग सिस्टम तथा वायु मार्ग निगरानी राडार की लागत को छोड़कर, जिसका पूर्व वर्षों के लेखों में समायोजन कर दिया गया था।)

(ग) (1) इन्स्ट्रूमेन्ट लैंडिंग सिस्टम

(2) हवाई अड्डा निगरानी राडार

(3) वायू मार्ग निगरानी राडार

(4) मौसम प्रतिलेखक (वैदर ट्रांसक्राईबर) तथा संबद्ध वी०एच०एफ० पारेषण उपकरण ये उपकरण लगाने का कार्य हो रहा है ।

(5) स्कोपोग्राफ

(6) सीलोग्राफ

(7) चालू मौसम उपकरण प्रणाली (वायु उपकरग और तापमान सूचक)

(8) मौसम रडार

(घ) लगभग 23,000 रुपये ।

एयर इंडिया के प्रबन्धकों के विरुद्ध इंडियन पायलट गिल्ड का आरोप

944. **श्री सरजू पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पायलट गिल्ड ने हाल ही में एयर इंडिया के वर्तमान प्रबंधकों पर बहुत खतरनाक और असुरक्षित तरीका अपनाने की अनुमति देने का आरोप लगाया है जिसके कारण विमान चालक की सुरक्षा पर सीधे प्रभाव पडता है ;

(ख) क्या उन्होंने इस प्रकार के खरतनाक असुरक्षित तरीकों के उदाहरण प्रस्तुत करने की धमकी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एयर-इंडिया के प्रबंधकवर्ग ने इन आरोपों का खण्डन किया है, तथा कहा है कि यदि विमानचालक गिल्ड द्वारा कोई खास मामला उनकी सूचना में लाया जाता है तो वे मामले की पूरी तहकीकात करेंगे। सरकार संतुष्ट है कि एयर-इंडिया परिचालनात्मक सुरक्षा को उच्चतम महत्व प्रदान करती है।

मिस्टर जस्टिस जी० डी० खोसला के सुझावों का कार्यान्वयन

945. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्टर जस्टिस जी० डी० खोसला ने जिन्होंने 1966 में दिल्ली में हुई इंडियन एयर लाइन्स के विमान "काराक्ली" की दुर्घटना की जांच की थी, यह सुझाव दिया था कि आने

वाले हवाई जहाजों के सुरक्षापूर्वक उतरने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु हवाई अड्डों के कन्ट्रोल टावर पर वरिष्ठ पायलट को नियुक्त करने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये;

(ख) क्या इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सुझाव को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) न्यायाधीश श्री खोसला ने सिफारिश की थी कि इंडियन एयरलाइन्स की मुख्य-मुख्य हवाई अड्डों पर अपने विमानों पर परिचालनात्मक नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिये।

(ख) और (ग) सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। परन्तु इंडियन एयरलाइंस लाइन पायलटों में से पूर्णकालिक आधार पर परिचालन नियंत्रकों की सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वे अब ऐसे डाक्टरी आधार पर उड़ानकार्य से वर्जित विमान चालकों में से ही परिचालन नियंत्रक प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया हुआ है। ऐसी नियुक्ति होने तक फ्लाइट डिस्पच सेल आने वाले विमानों के साथ कम्पनी चैनल पर सम्पर्क बनाये रहता है तथा इसे आवश्यक सूचना प्रदान करता है।

पालम हवाई अड्डे के निकट 31 मई, 1973 को हुई बोइंग विमान की दुर्घटना के कारण हुई हानि

946. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री एस० एन० मिश्र:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1973 को पालम हवाई अड्डे के निकट हुई बोइंग विमान की दुर्घटना के कारण इंडियन एयर लाइंस को कितनी हानी हुई;

(ख) मृत यात्रियों के नाम क्या हैं और मुआवजे के रूप में कुल कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) पूरी विमान सेवाये को चालू रखने के लिए नष्ट हुए विमान की कमी किस प्रकार पूरी करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उक्त विमान का 3.50 करोड़ रुपये का बीमा किया हुआ था, यात्रियों के संबंध में देयता की बीमे की ही जिम्मेवारी है।

(ख) मारे गये यात्रियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यात्रियों की जीवन हानि तथा उनके सामान के लिये देय मुआवजे की अधिकतम राशि का अनुमान लगभग 47.20 लाख रुपये लगाया गया है। 23 जुलाई को, तीन यात्रियों की मृत्यु तथा उनके सामान के गायब होने के ऐवज में 3,08,250/- रुपये की राशि का मुआवजा अदा किया जा चुका था।

(ग) 20 जुलाई को 'परामर्श समिति' में दिए गए विवरण के आधार पर अल्पावधि उपाय के तौर पर यह निर्णय किया गया है कि उध्वस्त विमान के स्थान पर एक नया बोइंग विमान

यथाशीघ्र खरीदा जाए तथा तीन कारवेल विमान पट्टे पर लिये जाएं। दीर्घावधि खरीद के लिए इंडियन एयरलाइन्स से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी ध्यानपूर्वक जाँच की जा रही है।

विवरण

मारे गये यात्रियों के नाम :

1. श्री वी० एस० भट्ट
2. श्री सतीश लूम्बा
3. श्री गुरुनाम सिंह ग्रेवाल
4. श्री सी० जगदेशन
5. डा० प्रधान
6. श्री के० बालदण्डायत्तम
7. डा० जी० नटराजन
8. श्री सी० डब्ल्यू० चैको
9. श्री एम० सी० दास
10. श्री के० एस० रामास्वामी
11. श्री डब्ल्यू० एस० राजगोपालन्
12. श्रीमति कोशल्या नारायनन्
13 श्री एस० एस० रामास्वामी
14 श्री आर० के० मेहरा
15 श्री देवकी गोपीदास
16 श्री मोहन कुमारमंगलम
17. श्री एन० रामामूर्ती
18. श्री गणेश
19. श्री कोनेली
20. डा० कोनेली
21 श्री वी० बालकृष्णन्
22. श्री वी० जी० अठाल्या
23. डा० ए० एन० अग्रवाल
24. श्री के० सलवाराज
25. श्री एच० एन० रिब्बर
26. डा० कुमार
27. श्री डेडी० वुरजोर
28. श्रीमति के० एम० सालेह
29. श्री एस० वी० पतराचारी
30. श्री आर० क० खेजरीवाल
31. श्री एस० सम्पतकुमार
32 श्री के० के० कपिल
33. श्री आर० के० नायर

34. श्री ए० के० देवराजन्
35. श्री आर० के० रेड्डी
36. श्री के० ए० रेड्डी
37. श्री एम० एस० जगत्यानी
38. श्री वासी हीरानन्द
39. श्रीमति स्ट्रलिंग
40. कुमारी जे० एम० स्ट्रलिंग
41. कुमारी ए० सी० स्ट्रलिंग
42. कुमारी मेकलोड
43. श्री सी० एम० उन्नीकृष्णनन्

पालम हवाई अड्डे पर "इन्स्ट्रूमेंट लैन्डिंग सिस्टम" और वायु निगरानी राडार

947. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेन्ट लुण्डिग सिस्टम और वायु निगरानी राडार संतोषपूर्वक और बिना रुकावट के कार्य कर रहे हैं;

(ख) यह उपकरण कब स्थापित किया गया और कहां से लाया गया और इसकी लागत क्या है ; और

(ग) क्या इनके खराब हो जाने पर इस तथ्य का पता लगाने तथा तत्काल मरम्मत करने और इनके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दिल्ली विमानक्षेत्र पर उपकरण अवतरण प्रणाली के "लोकेलाइजर" उपकरण की एंटेना पद्धति 29 मई, 1973 की शाम को आंधी से क्षतिग्रस्त हो गयी थी। लन्दन से विमान द्वारा इस उपकरण को मंगाया गया तथा इस सुविधा को 19 जून को पुन: चालू कर दिया गया। विमानक्षेत्र निगरानी राडार दो बार सेवा से हटाया गया है, 24 मई से 4 जून, 1973 तक एक कंट्रोल केबल को बदलने के कारण तथा दोबारा 14 जून से 16 जून तक जबकि एंटीना का ड्राइव मोटर अनियत पावर सप्लाई के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ख) उपकरण अवतरण पद्धति के ग्लाइड-पाथ उपकरण को जुलाई, 1971 में तथा 'लोकोलाइजर' उपकरण को जनवरी 1972 में चालू किया गया था। उपकरण अवतरण प्रणाली को यू० के० से 15 लाख रुपये की लागत से तथा विमानक्षेत्र निगरानी राडार को पश्चिमी जर्मनी से 82 लाख रुपये की लागत से प्राप्त किया जाता है।

(ग) उपकरण के खराब कार्य का पता लगाने तथा दोषों का निवारण (परिशोधन) करने के लिए पर्याप्त प्रबंध विद्यमान हैं।

बंगला देश से कच्चे पटसन के आयात के लिए लम्बी अवधि का समझौता

948. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने लम्बी अवधि के समझौते के आधार पर भारत को कच्चा पटसन निर्यात करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत और बंगला देश के लिए आपसी हित में पटसन की वस्तुओं के लिए साझी विपणन नीतियां तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दो देशों की पटसन अर्थ व्यवस्था के संरक्षण हेतु समन्वित नीति के एक भाग के रूप में प्रस्थापना तथा विश्व बाजार में हानिकर प्रतियोगिता को समाप्त करने के उपाय विचाराधीन हैं।

एग्जीक्यूटिव पायलटों द्वारा फ्लाइट प्रशिक्षण के लिये अधिक समय देना सुनिश्चित कराने के लिये कार्यवाही

949. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1973 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इण्डियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन के उस तर्क की ओर दिलाया गया है कि इंस्ट्रक्टरों, एग्जामिनरों तथा चैक पालयटों, जो अपने नियमित वेतन से अतिरिक्त भत्ता अर्जित करने के लिये "उड़ान तथा कार्यावधि सिमाओं" फ्लाइट एण्ड ड्यूटी टाइम लिमिटेशस का सरासर उल्लंघन करके लगभग नित्य ही उड़ान कर रहे हैं, का ध्यान आकर्षित करने में कठिनाइयों के कारण फ्लाइट प्रशिक्षण में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि "उड़ान और कार्यावधि सीमाओं" का उल्लंघन न किया जाए तथा एग्जीक्यूटिव पायलट फ्लाइट प्रशिक्षण को अधिक समय दें, क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। इण्डियन एयरलाइंस ने सूचित किया है कि प्रैस रिपोर्ट ठीक-ठीक चित्र प्रस्तुत नहीं करती तथा फ्लाइट व ड्यूटी समय परिसीमाओं के विषय में किसी प्रकार के कानूनी विनियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, यद्यपि यह हो सकता है कि कुछ विमानचालकों ने विमानचालकों की गैर-परिचालनात्मक रात्रि विरामों की मांग को इण्डियन एयरलाइंस द्वारा स्वीकार कर लेने के कारण विमान चालक संघ के साथ हुए करार में निर्धारित घंटों से अधिक की उडान की हो।

आस्ट्रेलिया तथा जापान से पर्यटक

950. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आस्ट्रेलिया तथा जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इन देशों से अधिक पर्यटकों का आना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां तक आस्ट्रेलिया का संबंध है, यद्यपि 1971

और 1972 में वहाँ से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम रही, जनवरी–जून 1973 की अवधि के दौरान 1972 की इसी अवधि की तुलना में 54.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन विभाग के टोकियों और सिडनी में पर्यटन प्रोत्साहन कार्यालय है। अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन संबन्धी प्रयत्नों के विस्तार के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एयर इंडिया के साथ संयुक्त रूप से प्रोत्साहन-कार्य करना तथा अतिरिक्त कार्यालयों का खोला जाना भी शामिल है।

Accident to Caravelle Aircraft of Indian Airlines while Landing at Bombay Airport

951. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a Caravelle aircraft of the Indian Airlines met with an accident recently by striking against the ground while landing at Bombay airport; and

(b) if so, the details thereof and the extent of loss sufferred ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Indian Airlines Caravelle aircraft VT-DPO, operating service IC-186 (Delhi-Bombay) made a heavy landing at Bombay Airport (Santa Cruz) on 3 July, 1973.

(b) The nose landing gear collapsed due to the impact and the forward area of the fuselage caught fire due to friction with the runway. The fire was put out but the aircraft sustained extensive damage. The extent of expenditure involved in repairing the aircraft is being worked out by Indian Airlines in consultation with the manufacturers. All the 10 passengers and the 7 crew members on board the aircraft escaped unhurt.

श्रीमती आर० कुट्टयाह द्वारा चाय पर लेख लिखा जाना

952. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती आर० कुट्टयाह ने चाय पर अपना लेख प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चाय उद्योग पर लिखे गये लेख की एक प्रति सप्लाई कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) श्रीमती आर० कुट्टयाह द्वारा दिया गया लेख का मसौदा संशोधन के लिए उन्हें लौटा दिया गया है।

ग्रामीण तथा नगरीय आय की न्युनतम और अधिकतम सीमा

953. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और नगरीय दोनों आयों की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव तयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक धन निकालना

954. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1973 के अन्त तक प्रत्येक राज्य ने भारतीय रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से कितना-कितना अधिक धन निकाला ; और

(ख) गत दो वर्षों के इसी मास में इस प्रकार निकाले गये धन की अपेक्षा यह कम है या अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष 30 जून को भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी राज्य सरकार ने निश्चित राशी से अधिक धन नहीं निकाला।

सभी हवाई अड्डों पर विमानचालकों की अनिवार्य डाक्टरी जांच

955. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचार में सभी हवाई अड्डों पर विमानचालकों की अनिवार्य डाक्टरी जांच की योजना लागू करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी प्रकार की थकावट नहीं है और उन्होंने शराब नहीं पी रखी है और यदि इस योजना को लागू किया गया है तो पहले की गई जांचों के क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इंडियन एयरलाइन्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मदिरा पान के संबंध में वायुयान नियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, चारों मुख्य विमानक्षेत्रों पर उडान-पूर्व डाक्टरी जांच करन की पद्धति चालू की है। कारपोरेशन के चिकित्सा अधिकारी संचलन नियंत्रण (मूवमेंट कंट्रोल) पर उपस्थित रहते हैं तथा विमान चालकों की उस समय जांच करते हैं जब वे "फ्लाइट क्लीयरेंस" के लिए उपस्थित होते हैं। इन विमानक्षेत्रों पर श्वास परीक्षक उपकरण भी रखा गया है तथा संदेहयुक्त मामलों ी इसके द्वारा जांच की जाती है जिसे विमान चालक पर निषेधात्मक घंटों के दौरान मदिरा पान किए होने का सन्देह होता है उसे उड़ान करने की अनुमति नही दी जाती तथा उसे रक्त एवं मुत्र परीक्षा कराने के लिए भेज दिया जाता है।

एक विमानचालक को जिस पर वायुयान नियमों के नियम 24 का उल्लंघन करने का सन्देह था, निलम्बित कर दिया गया था।

विमानों की खरीद के संबंध में इण्डियन एयरलाइन्स की पांचवी योजना

956. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों की खरीद के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स की पांचवी पंचवर्षीय योजना पहले ही प्रकाशित हो गई थी परन्तु मई, 1973 में परिचालित नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह संसद सदस्यों में कब तक परिचालित कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अप्रैल, 1973 के अंतिम सप्ताह में एक सजिल्द दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया तथा उन्होंने इसकी प्रतियां योजना आयोग, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय तथा योजना की कार्यवाही से संबंधित अन्यों को भेजी। उन्होंने विमान बेडे की खरीद के प्रस्ताव इस महिने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को अलग से भेजे।

(ग) इंडियन एयरलाइंस की पांचवी पंचवर्षीय योजना की योजना आयोग से परामर्श करके जांच की जा रही है तथा इसको अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात यह समूची योजना (ओवर-आल प्लान) का एक भाग बन जाएगी जो कि संसद सदस्यों को यथासामान्य प्रकार से उपलब्ध हो जाएगी।

Bank Loans to Farmers for Purchase of Agriculture Implements

957. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased state :

(a) whether the Reserve Bank of India has taken a decision to give loans to the Farmers for purchase of agricultural implements during the current financial year;

(b) if so, the State-wise figures of the loans to be given to the various States; and

(c) the terms and conditions on which the farmers would be given loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) No, Sir. The Reserve Bank of India does not provide loans directly to the farmers. The commercial banks, however, grant loans to agriculturists for various agricultural purposes including purchase of agricultural implements. Separate figures relating to loans exclusively for purchase of agricultural implements are not maintained.

Stoppage of Work in Banks in Bihar due to Agitations by Bank Employees

958. Shri Ramavatar Shastri : Will tne Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the work of banks in Patna and other parts of Bihar came to a standstill in the month of June, 1973 as a result of agitations by the Bank employees;

(b) if so, the reasons for the agitations; and

(c) the action taken by Government to solve their problems?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) ; (a) to (c) Due to rivalary between the All India Bank of Baroda Employees Federation and the All India Bank of Baroda Employees Coordination Committee affiliated to All India Bank Employees Associaion, workmen belonging to All India Bank Employees Association, in other banks have been boycotting the instruments of Bank of Baroda in the clearing house in Patna and other parts of Bihar regulting in suspension of clearing house operations. In order to enable the clearing houses in Bihar to function Bank of Baroda has voluntarily withdrawn for a temporary period from all the clearing houses in Bihar.

Export of Mangoes During 1973

959. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased o state :

(a) whether there has been a good crop of mangoes in the various parts of the country during the current year;

(b) if so, whether there has been more export of mangoes during the current year in comparison to previous years;

(c) the names of the importing countries and the quantity of mangoes exported to each of these countries, separately; and

(d) the amount of foreign exchange earned by Government during the current year as a result of export of mangoes?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No statistics are collected, but from market arrivals and absence of reports of crop failure, it is assumed that the crop has been good.

(b) & (d) The figures of export of mangoes out of the current season's produce are not yet available.

(c) A statement is attached.

Statement

(Qty. in Tonne
Value in Rs. '000)

Sl. No.	Country	1970-71		1971-72		1972-73 (upto Dec.)	
		Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bahrein Is. .	205	378	222	268	162	432
2	Dubai .	53	130	68	194	149	337
3	France . .	9	29	4	17	13	56
4	German Fed. Rep.	7	23	3	11	9	30
5	Kuwait . .	700	1,485	365	713	763	2,011
6	Muscat . .	6	18	20	47	56	156
7	Qatar . .	117	224	65	115	144	356
8	Singapore .	14	23	8	22	16	44
9	U.K. . .	136	363	534	1,160	483	1,490
10	Nepal . .	4	7	20	17	Neg.	1
11	Other countries	39	94	16	44	8	35
	TOTAL	1,290	2,774	1,325	2,608	1,803	4,948

NOTE : Export figures beyond December, 1972 are not yet available.

सी० डी० ए०, पटना के कार्यालय की इमारत का निर्माण

960. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० डी० ए०, पटना के कार्यालय भवन का कितना किराया दिया जा रहा है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इसके कार्यालय की इमारत के लिए तीन एकड़ भूमि अलाट की है; और

(ग) यदि हां, तो इमारत के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 12,395.00 रुपए प्रति मास ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भूमि का कब्जा लेने तथा भवन निर्माण के लिए सरकार की प्रशासनिक मंजूरी लेने के लिए आवश्यक अनुमान तैयार करने का काम हाथ में ले लिया गया है।

पटसन के निर्यात के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बातचीत

961. श्री० पी० ए० सामिनाथन :

श्री रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रुसेल्स में 20 मई, 1973 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुई वार्ता में भारत में बढ़े हुए समुदाय को पटसन का निर्यात बनाए रखने के लिए संतोषजनक प्रबंध करने का जोरदार अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां क्या निर्णय किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ब्रुसेल्स में 21 से 23 मई 1973 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत से पटसन की वस्तुओं के आयात पर टैरिफ तथा अन्य रियायतों के संबंध में कुछ समझौता हुआ है। इस समझौते को समाविष्ट करने वाले करार को अभी अंतिम रुप दिया जाना है ।

न्यासों के निर्धारण के लिये पृथक न्यास सैलों की स्थापना

962. श्री पी० ए० सामिनाथन :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यासों के निर्धारण सम्बन्धी मामलों के निपटाने के लिए सरकार ने पृथक न्यास सैल स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनसे सरकार को कितनी सहायता मिलेगी और इनकी कब तक स्थापना किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12, 13 में संशोधन किये जाने से धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों के कर-निर्धारण का महत्व हो गया है। ये न्यास-एकक ऐसे न्यासों के कर-निर्धारण से सम्बन्धित समस्याओं में आयकर आयुक्त को सहायता प्रदान करेंगे। न्यास-एकक स्थापित करने के संबंध में पहले ही अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कनाडा की यात्रा

963. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल जून, 1973 में कनाडा गया था; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जून, 1973 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किसी भी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने कनाडा का दौरा नहीं किया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

6-6-73 को त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर इन्डियन एयरलाइन्स के बोइंग हवाई जहाज का टायर फट जाना

964. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1973 को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर इण्डियन एयर लाइन्स के बोइंग हवाई जहाज का टायर फट गया था;

(ख) क्या उडान के लिए त्रिवेन्द्रम में अतिरिक्त टायर उपलब्ध नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ताकि उडाने बिना गतिरोध के जारी रहें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स प्रमुख स्टेशनों पर ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त फालतू पुर्जे रखती है । इस मामले में एक "टायर असेम्बली" मद्रास से मंगायी गयी थी । सब स्टेशनों पर ऐसे फालतू पुर्जों का स्टाक करना संभव नहीं है जिनकी कि दिन-प्रतिदिन के साधारण कार्य के लिये आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे अत्यधिक वित्तीय भार पडेगा तथा परिचालन लागतों में अभिवृद्धि होगी ।

पालम हवाई अड्डे के निगरानी राडार के सही कार्यकरण के लिए पर्याप्त परिचालन कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्यवाही

965. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त परिचालन कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण पालम हवाई अड्डे का निगरानी राडार केवल छः घंटे, दोपहर के बाद 1.30 बज से लेकर 7.30 बजे तक, कार्य करती है; और

(ख) यदि हां, तो निगरानी राडार के सही कार्यकरण के लिए पर्याप्त परिचालन कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 23 जुलाई, 1973 से पालम विमानक्षेत्र का सर्वेलैंस राडार 24 घंटे काम कर रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ऋण देना

966. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के प्रयासों के उपरान्त भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ऋण देने के मामले में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दो हैक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिय हैं; और

(घ) छोटे किसानों के लिये बैंक सहायता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) कृषकों को जोतों के, आधार पर दिये गये कृषि ऋणों के आंकड़े अलग से इस समय उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रति उधार खाते में औसत बकाया राशि की प्रवृत्ति से पता चलता है कि ऋण काफी अनुपात में छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों को दिये गये है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों को अग्रिम दिये जाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये।

(1) सरकारी क्षत्र के बैंक देश के विभिन्न भागों में छोट कृषक विकास अभिकरणों/सीमांतक कृषकों तथा कृषिक मजदूर अभिकरणों से सक्रिय रुप से सम्बद्ध हैं।

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे सीमांतक मजदूरों का निर्धारित राशि तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि बन्धककरण पर जोर दिये बिना, वित्त पोषण करते हैं। बैंकों पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वे प्रतिभूति प्रधान ऋण देने की बजाय उत्पादकता और वृद्धिकारक आय प्रधान ऋण दें।

(3) भारतीय स्टेट बैंक समुदाय चुने हूए 158 सधन केन्द्रों में, विशेषकर, छोटे किसानों विकास अभिकरणों/सीमांतक कृषकों और कृषक मजदूर जैसी विशेष योजनाओं के क्षेत्रों में, विशेष कृषि विकास शाखाएं खोज रहें हैं।

(4) ऋण गारंटी योजना को उदार कर दिया गया है ताकि 2500 रुपये तक के अल्पाधिक ऋण 10,000 रुपये तक के सावधिक ऋण दिये जा सकें। इन उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक कृषि के क्षेत्र के सभी ऋण आते हैं।

(5) बैंकों में बहुत छोटे कृषकों/बटाई पर काम करने वालों को स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों के लिए सामूहिक गारण्टी लेना शुरू कर दिया है तथा ऐसे मामलों में कोई अन्य प्रतिभूति देने के लिए नहीं कहा जाता।

(6) अन्य बातों के साथ-साथ विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बहुत छोटे किसान आते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने, जोतों के आकार के अनुसार ब्याज की विभिन्न दरों की एक योजना लागू की है। इन योजनाओं का प्रयोजन छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना है।

(7) छोटे और व्यावहारिक रूप से सधन किसानों को वित्त पोषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशक सिद्धांत भी जारी कर दिये गये हैं।

(8) छोटे और सीमांतक किसानों के ऋण प्रस्ताव के संबंध में किये गये कानूनी खर्च पूर्णतः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाते हैं।

(9) सरकारी क्षेत्र के बैंक, राज्य सरकारों के परामर्श से चुने हुए क्षेत्रों में कृषक सेवा समितियों का संगठन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि छोटे और सीमांतक कृषक और कृषि मजदूरों को काफी अधिक संख्या में शामिल किया जा सके।

धागे की कमी के कारण उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बुनकरों का बेरोजगार होना

967. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री समर गुह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे की अभी तक अभूतपूर्व कमी हैं जिसके परिणामस्वरूप बिहार, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं अथवा उनका रोजगार कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या है और सभी बुनकरों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त धागे की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कई राज्यों द्वारा लागू की गई बिजली की कटौतियां के कारण सूत का उत्पादन जून 1973 के अन्त तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की आवश्यकता से बहुत कम था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन कम होने के बावजूद विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को कम से कम सीमित मात्रा में सूत उपलब्ध होता रहे, 13 मार्च, 1973 को सांविधिक नियंत्रण लागू किया गया जिसमें सूत का उत्पादन, उसकी कीमतें तथा आबंटन शामिल है। राज्यों द्वारा बिजली की कटौतियां हटाये जाने से धागे का उत्पादन तथा इसकी उपलब्धता में सुधार होने की आशा की जाती है। तथापि, सरकार को पर्याप्त मात्रा में सूत न मिलने से बुनकरों के बीच बेरोजगारी अथवा अपूर्ण रोजगारी की सीमा के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

(ख) जबकि सरकार ने 35 काउंट तक के सूत के संबंध में उस के वितरण पर नियंत्रण में छूट घोषित की है, उचित कीमतों पर धागे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 13-3-73 को जारी किए गए सांविधिक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कीमत तथा वितरण पर लगाया गया नियंत्रण सभी काउंटों के धागे के संबंध में अभी लागू है।

बिहार के मधुबनी जिले में उत्तम किस्म का कपड़ा बनाने वाले बुनकरों द्वारा उत्पादन

968. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री समर गुह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के मधुबनी जिले में बुनकर उत्तम किस्मों वाले कपडे बना रहे है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इसके लिए उत्तम किस्मों के धागे सप्लाई किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को कोई जानकारी नही है ।

(ख) वर्तमान योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वल्क आबंटन किये जाते है, जन पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वे राज्य में बुनकरों की वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी वस्त्र आयुक्त को दें और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धागे का वितरण करें।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा एकाधिकार गृहों को दिया गया ऋण

969. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह 8 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक प्रमुख एकाधिकार गृह को कुल कितना ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अखिल भारतीय द्विवार्षिक सरकारी वित्तीय संस्थाओं दवारा औदयोगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 11 में लिखित अधिक बडे और बडे औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित औद्योगिक कम्पनियों को स्वीकृत और वितरित की गयी वित्तीय सहायता की कुल रकम उपलब्ध सीमा तक संलग्न विवरण में दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5226173**]

कनाडा को भारती वस्तुओं का निर्यात

970. श्री वी० मायावन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के दौरे पर गए भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पाया है कि आणविक क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं के निर्यात की काफी गुंजाईश है;

(ख) क्या कनाडा के साथ कोई करार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) क्या आणविक क्षेत्र में भारतीय निर्यात प्रयत्नों के समन्वय के लिए एक उच्चस्तरिय निकाय की स्थापना करने की भी सिफारिश की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

पायलटों के प्रशिक्षण के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गये कदम

971. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स के विमानों की बढती हुई हवाई दुर्घटनाओं से जनता के मन में भारत में पायलटों के प्रशिक्षण के संबंध में संदेह पैदा हो गया है, और

(ख) क्या पायलटों के प्रशिक्षण के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार महसूस करती है कि हाल ही की दुर्घटनाओं ने, जिन में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान ग्रस्त थे, जनता के मस्तिष्क में चिन्ता उत्पन्न कर दी है ।

(ख) जी, हां । विमान चालक प्रशिक्षण के समस्त प्रश्न की इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया, वायुसेना तथा नागर विमानन के महानिदेशक के एक विशेषज्ञ दल के द्वारा समीक्षा

की जा रही है । विमान चालकों की कार्यदक्षता की लगातार जांच पडताल करते रहने के लिए नागर विमानन विभाग में दो उडान संबंधी परीक्षकों (एग्जामिनर्स आफ फ्लाईंग) की नियुक्ति भी की जा रही है ।

रूस को औषधियों का निर्यात

972. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को किए जाने वाले औषधियों के निर्यात में हाल ही में वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो 1971–72 तथा 1972-73 में इस सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोवियत संघ को औषधियों के निर्यात में हाल ही में कोई वृद्धि नहीं हुई है परन्तु अगले वर्ष में वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) सोवियत संघ को औषधियों के निर्यात से 1971–72 के दौरान 39 लाख रु० तथा अप्रैल-दिसम्बर 1972 के दौरान 28 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

1973 के दौरान काजू की गिरी का निर्यात

973. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में काजू की गिरी के निर्यात में कमी होने की सम्भावना है

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होने की सम्भावना है ;

(ग) इस कमी के क्या कारण है; और

(घ) काजू की गिरी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान काजू की गिरी के निर्यातों की मात्रा में 15 से 20 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है।

(ग) भारत में देर से तथा अपर्याप्त फसल होने के कारण काजू नट की कमी तथा विदेशी बाजारों में पर्याप्त सप्लाई का अभाव ।

(घ) भारतीय काजू निगम परम्परागत तथा नये विदेशी स्त्रोतों से यथासंभव अधिक से अधिक कच्चे नट प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है । काजू नट के स्वदेशी उत्पादन को बढाने तथा उनके एकत्रीकरण इष्टतम करने के लिए भी उपाय किये जा रहे है ।

समाज के अभावग्रस्त वर्ग को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लाभ पहुंचाना

974. श्रीअजन सेठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशको के हाल ही में हुए सम्मेलन (पूर्वी क्षेत्र) में यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विशेषकर अभावग्रस्त वर्ग को लाभ पहुंचाने के कार्य समूचे रूप से सन्तोषजनक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में उनके कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य का आशय 24 मई, 1973 का भुवनेश्वर में राष्ट्रीयकृत बैंकों (पूर्वी क्षेत्र) पर हुई क्षेत्रीय परामर्श समिति की उस बैठक से है जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री ने की थी तथा जिसमें अन्य मंत्रियों के साथ-साथ बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के मंत्रियों ने भी भाग लिया था। समिति ने राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में देहाती क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंक नहीं थे बैंक कार्यालय खोलने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने जिनसे अधिकतर छोटे ऋणकर्ताओं को लाभ पहुँचता है, के संबंध में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देखते हुए उस क्षेत्र में बैंक संबंधी सुविधाओं की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के लिए और अधिक उपायों पर भी विचार किया है।

विभिन्न पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिये उड़ीसा सरकार से अनुरोध

975. **श्री अर्जून सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से (i) चिलका झील (ii) पुरी तथा कोनार्क के बीच मैरीन ड्राइव (iii) अटूटरी स्थित गर्म पानी के चश्मों तथा (iv) स्वर्णचूड़ पहाड़ी और बालासीर जिले में तीलगिरी में खिराचोरा गोपीनाथ स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व यूरोपीय देशों के लिए निर्यात नीति बनाना

977. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप में बदलती हुई व्यापार पद्धति को ध्यान में रखते हुए पूर्व यूरोपीय देशों के लिए एकीकृत निर्यात नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु के निर्यात में कितनी वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, और इन देशों को इन वस्तुओं का वर्तमान वार्षिक निर्यात कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा पूर्व यूरोपीय देशों के बीच व्यापार उन के साथ किये गये द्विपक्षीय व्यापार तथा भुगतान करारों के आधार पर किया जाता है। आयात तथा निर्यात सामान्यतया एक-दूसरे को सन्तुलित करते हैं।

इन करारों की रूपरेखा के अन्तर्गत पूर्व यूरोपीय देशों को अपने निर्यात बढ़ाने तथा उनका विविधीकरण करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है।

(ग) प्रत्येक मद के निर्यात में प्रत्येक वर्ष संभावित वृद्धि के विषय में ठीक-ठीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि पूर्व यूरोपीय देशों को किये जाने वाले निर्यातों के भविष्य में बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र को इन मदों के निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय प्रतिमास तथा प्रतिवर्ष भी प्रकाशित करता है।

सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

978. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने अपनी माँगों पर बल देने के लिए 27 जून, 1973 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) उनकी मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उनपर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कर्मचारियों के एक वर्ग ने 27 जून, 1973 को सांकेतिक हड़ताल की थी।

(ख) मांग यह है कि मथरानी समिति की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करते हुए, वेतनमानों और सेवा शर्तों का तत्काल मानकीकरण किया जाये।

विविध बीमा निगम द्वारा संबंधित संघों के साथ चर्चा 16 अगस्त, 1973 से शुरू की जायगी।

भारत में दूर संचार परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ आई० डी० ए० से ऋण

979. डा० रानेन सेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने दूर संचार परियोजना के लिए भारत को 8 करोड़ डालर का ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण किसी विशेष दूर संचार परियोजना के लिए दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना का नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ भारत को दूर संचार के लिए 8 करोड़ डालर के पांचवे ऋण के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) और (ग) इस ऋण से पांचवी पंचवर्षीय आयोजना के पहले दो वर्षों में दूर संचार विकस कार्यक्रम की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।

खराब नोटों का प्रचलन

980. श्री रानेन सेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न अंकित मूल्य के अत्याधिक खराब नोट चल रहे है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नोटों के प्रचलन से जालसाजी और काले धनका साधन उत्पन्न हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : प्रचलित नोटों में नये नोट, दबारा जारी किये जा सकने वाले नोट तथा ऐसे मैले नोट शामिल होते हैं जो और आग चलने के लायक हों। विभिन्न मूल्यों के प्रचलित मैले नोटों की रकमों के संबंधित आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते फिर भी प्रचलित नोटों के कुल मूल्य की तुलना में प्रचलित मैले नोटों का मूल्य कोई ज्यादा नहीं है।

(ख) मैले नोटों के चलन से, जो आगे चलाये जाने के लायक होते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ और न ही ये नोट काले धन का साधन हैं।

(ग) ऐसे मैले नोट जो दुबारा जारी करने के लायक नहीं होते तथा जो भारतीय रिजर्व बैंक में वापस ले लिये जाते हैं, उन्हें दुबारा चलने के लिए जारी नहीं किया जाता बल्कि बैंक उन्हे यथा समय नष्ट कर देता है।

आनेवाले हवाई जहाजों का मार्ग-दर्शन करने हेतु पालम हवाई अड्डे पर लगाये गये यंत्र और उपकरण

981. श्री झारखंड राय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाले हवाई जहाजों के सुरक्षापूर्वक उतरने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पालम हवाई अड्डे पर कौन-कौन से यंत्र और उपकरण लगाये गये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ये यंत्र और उपकरण कितनी बार काम करते-करते रुक गये ;

(ग) इन उपकरणों को चलाने तथा इनके रख-रखाव के लिए पालम पर नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(घ) देश के अन्य तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तुलना में यह संख्या कितनी कम या अधिक है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) दिल्ली विमान क्षेत्र पर निम्नलिखित उपकरण स्थापित किये गये हैं :—

1. नॉन-डाइरेक्शनल बीकन (एन० डी० बी०)
2. वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी आम्नी-रेंज (वी० ओ० आर०)
3. दूरी मापक उपकरण (डी०एम०ई०)
4. एयरपोर्ट सर्वेलैंस राडार (ए० एस० आर०)
5. इन्स्ट्रूमेंट लैण्डिग सिस्टिम (आई० एल० एस०) जिस में निम्नलिखित सम्मिलित है:—
   (क) लोकेलाइजर,
   (ख) ग्लाइड पाथ,
   (ग) आउटर तथा मिडिल मार्कर, और
   (घ) आउटर तथा मिडिल लोकेटर बीकन्स।
6. वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी डाइरेक्शन फाइंडर (वी० एच० एफ० डी० एफ०)
7. वीजुएल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर (वी० ए० एस० आई०)

दिल्ली विमानक्षेत्र पर निम्नलिखित मौसम संबंधी उपकरण उपलब्ध हैं :—

(क) रन-वे 28 के टचडाउन क्षेत्र में विंड इंस्ट्रुमेंट्स तथा कंट्रोल टावर बिल्डिंग पर एक डाइस एनीमोग्राफ। ये उपकरण वायु की रफ्तार तथा दिशा को लगातार रिकार्ड करते हैं।

(ख) रन-वे 28 के टचडाउन क्षेत्र में तापमान सूचक। ये उपकरण वायु तथा ओस बिंदु तापमानों को लगातार रिकार्ड करते हैं।

(ग) रन-वे 28 के टचडाउन क्षेत्र में एक स्कोपोग्राफ। यह उपकरण धावन-पथ दृष्टि-परास (आर० बी० आर०) को मापता है।

(घ) मेघ आधार की उंचाई को मापने के लिये रन-वे 28 के टच्डाउन क्षेत्र में एक सीलोग्राफ। इसे तुलनात्मक प्रेक्षणों वाले परीक्षण करने के पश्चात् परिचालनात्मक घोषित कर दिया जाएगा।

(ङ) दबाव मापने के लिए एक आल्टीमीटर-सेटिंग इंडीकेटर तथा एक बैरोमीटर।

(च) एक मौसम राडार, जो कि फिलहाल सफदरजंग विमानक्षेत्र के निकट स्थापित किया गया है, दिल्ली के ईर्द-गीर्द 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मौसम के राडार प्रेक्षण देता है।

लोदी रोड वेधशाला में प्रतिस्थापित किया गया एक स्वयंचलित उपग्रह चित्र प्राप्ति उपस्कर दिन में दो बार उपग्रह मेघ चित्र प्राप्त करता है। उपग्रह मेघ चित्रों से संबंधित संकेत संदेश दिल्ली विमानक्षेत्र पर प्राप्त होते हैं तथा चित्रों के प्रिंट भी प्राप्त किए जाते हैं।

(ख) उपकरणों की कुल अप्रयोज्यता निम्न प्रकार थी :—

उपकरण	1971–72	1972–73
आई० एल० एस०		
(क) लोकेलाइज़र . . .	0.44	4.34
(ख) ग्लाइडपाथ . .	0.49	12.47
(ग) मिडिल मार्कर . .	नगण्य	0.11
(घ) आउटर मार्कर . .	नगण्य	0.23
एन० डी० बी० . . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वी० ओ० आर०	0.37	0.40
डी० एम० ई० . . .	1.73	नगण्य
वी० एच० एफ०/डी० एफ० .	0.11	0.35
ए० एस० आर०	अप्रैल, 1973 में चालू किया गया	

मौसम संबंधी उपकरण कभी खराब नहीं हुए।

(ग) और (घ) स्वीकृत किये गये कुल 261 तकनीकी कार्मिकों के मुकाबले में वस्तुतः नियुक्त कार्मिकों की संख्या 238 है (जिस में सफरजंग विमानक्षेत्र पर तैनात कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जहां कि कुछ परिचालन यूनिटें स्थित हैं)। यह हमारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर विद्यमान स्थिति की तलना में प्रतिकुल नहीं है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर कंट्रोल टावर

982. श्री झारखंड राय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर स्थित कंट्रोल टावर के सामने बने कंक्रीट के खम्बों के कारण केवल 200 डिग्री तक ही स्पष्ट दिखाई देता है; और सामने की ओर साफ नहीं दिखाई देता है;

(ख) क्या कंट्रोल टावर के पीछे की ओर बनी दो बडी दीवारों के कारण कंट्रोल टावर में बैठे अधिकारियों के लिये उतरते हुए विमानों को पास से देखना सम्भव नहीं होता ;

(ग) क्या जैट युग के अनुरुप एक नयी कंट्रोल टावर और एक टर्मिनल बनाने के लिए वर्ष 1956 में सरकार को एक योजना दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)और(ख) यह सत्य है कि वर्तमान कंट्रोल टावर चारों ओर की दृश्यता प्रदान नहीं करता।

(ग) और (घ) यद्यपि 1956 में दिये गये प्रस्तावो संबंधी सूचना, जबकि पालम भारतीय वायुसेना के अधीन था, तुरंत उपलब्ध नहीं है, फिर भी 20.55 लाख रुपये की लागत से चारों ओर की दृश्यता वाले एक नए कन्ट्रोल टावर के निर्माण के लिए हाल ही में स्वीकृति दी गयी है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और एजेंटों के वेतनमानों तथा कमीशन का पुनरीक्षण

983. श्री विक्रम महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा कार्य को हाथ में लेने के बाद जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया ;

(ख) जीवन बीमा कार्य को हाथ में लेने के बाद जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के वेतनमान का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया ;

(ग) जीवन बीमा कार्य को हाथ में लेनें के बाद निगम के एजेंटों की कमीशन, नई तथा नवीकरण दरों में कितनी बार पुनरीक्षण किया गया ; और

(घ) यदि (ग) भाग का उत्तर न में है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) तीन बार: 1 जनवरी, 1957 से, 1 जनवरी, 1962 से, और 1 अप्रैल 1969 से।

(ख) दो बार : 1 जनवरी 1963 से और 1 अप्रैल 1969।

(ग) निगम की स्थापना से लगातार अभी तक कमीशन की दरों का संशोधन नहीं किया गया है।

(घ) जिस आधार पर कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन किया जाता है वे एजेंटों के संबंधों में लागू नहीं होते क्योंकि उन्हें पारिश्रमिक उनके द्वारा अर्जित कारोबार के आधार पर मिलता है। बीमा की गयी प्रति पालिसी की औसत रकम में वर्ष प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही (यह राशि जहां 1957 में 3427 रुपये थी वहां वह 1971–72 में 7902 रुपये हो गयी है) और इस वृद्धि के कारण, पालिसी बेचने से एजेंटों को होने वाली कमीशन आय में स्वतः ही वृद्धि हो गयी है।

Overtime Allowance paid in various Ministries and Departments of Central Government

984. Shri M. C. Dagal: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of money paid as overtime allowance in various Ministries and Departments of the Central Government during the year 1971-72 together with the Ministry/Department-wise break-up thereof; and

(b) the circumstances under which overtime work is taken and the rates at which payment of overtime allowance is made ?

The Minister of State in The Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) The total amount of overtime allowance paid to the employees of the various Ministries/Departments of the Central Government (i. e. working in the Secretariat proper) during the financial year, 1971-72 was about Rs. 83.37 lakhs. A statement showing the Ministry/Department wise break-up is laid on the Table of the House.

(b) A Statement showing the circumstances under which overtime work is taken from office staff and other staff whose prescribed hours and nature of work are comparable to those of office staff, and the rates at which payment of overtime allowance is made to them, is also laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT 5227/73.]

Bungling of Stationery Worth Rs. 40 lakhs in New Delhi Branch of State Bank of India

985. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have enquired into the bungling of stationery worth Rs. 40 lakh in the New Delhi Branch of the State Bank of India ; and

(b) if so, the facts revealed by the enquiry, the names of Officers found guilty and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b) While the Government have not conducted any enquiry into the reported overstocking and unsatisfactory handling of stationery at the Regional Stationery Department of State Bank of India, New Delhi, the State Bank of India has reported that it has conducted necessary investigation into this matter. The irregularities brought out in the investigation and the action taken by the bank have already been indicated in the statement made by Finance Minister on 14th May 1973 on the floor of the House in response to a Calling Attention notice.

The State Bank of India has now reported that it has initiated disciplinary action against the concerned bank officials. As the disciplinary action has not yet been concluded, no officer has yet been found guilty.

Aircraft Landing Facilities in Delhi

986. Shri M. C. Daga :

Shri Vayalar Ravi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the aircraft landing facilities at Delhi airport are poor and since when the Department concerned is aware of it ; and

(b) whether Government propose to improve the landing facilities there and if so, when and what are the salient features of the proposal in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) & (b) No, Sir. The improvement of facilities is a continuous process. The Group set up to review the existing navigational approach and landing facilities at our international airports has made recommendations for further strengthening them. These recommendations are being processed by the agencies concerned on a priority basis

Enquiry Reports on Three Accidents near Palam Airport

987. Shri M. C. Daga :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the enquiry reports regarding three accidents that took place near Palam Airport during the period from 1970 to 1972 have been published and if so, the finding thereof ; and

(b) whether Government have come to know the main causes of these accidents and if so, the remedial measures taken ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Yes, Sir. The inquiry reports in question were released on 21st June 1973. A statement indicating the causes of the accident is attached

A committee headed by Deputy Director General of Civil Aviation has been formed to oversee the expeditious implementation of the various recommendations by the authorities concerned.

Statement

Sl. No.	Date/place of accident	Aircraft Regn. No./ type	Operator	Cause of the accident
1.	26-1-1970 Near Palam Airport	9N-AAR F-27	Royal Nepal Airlines	Delayed action on the part of the crew to abandon the let-down after unexpectedly encountering turbulence due to thunderstorm clouds with hail and rain while in the final landing stages after crossing the outer marker. However, according to the D.G.C.A., the probable cause of the accident was that the turbulence and draughts in the thunder-clouds were so strong that response to normal control by the pilot was absent.
2.	14 6-1972 Near Delhi	JL-8012 DC-8	Japan Airlines	Descent of the aircraft at an unusually high rate which was not realised by the flight crew until the last moment.
3.	11-8-1972 Near Palam Airport	VT-DME F-27	Indian Airlines	Pilot's error in that he used wrong technique of flying and did not follow the correct I.L.S. let-down procedure.

Requirement of Different Counts of Yarn by Weavers and Powerlooms and its Distribution

988. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether lakhs of weavers in the country are not getting yarn even today ;

(b) the total requirement of different counts of yarn by weavers as well as by powerlooms in the country and the quantity of yarn available at present ; and

(c) the basis and method of distribution of yarn to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) The Scheme of Statutory Control over yarn was imposed on 13th March 1973, in view of acute shortage in production, especially in the finer counts. The total countwise requirements of yarn in handloom and powerloom sector are not readily available. On the basis of availaqility of yarn packed for civil deliveries by the mills, the following quantities have been allocated to State Governments on the basis of the number of handlooms and powerlooms in the State, as registered with the Textile Commissioner for distribution during the months March to September 1973 :

Hanks . .	. 69.2 million Kgs.
Weaving cones . . .	49.1 ,, ,,

These figures do not include yarn allotted to ancillary industries and yarn allotted to Hand loom Export Promotion Council and Cotton Textiles Export Promotion Council for manufacture of fabrics, made-ups and readymade garments for export purposes.

(c) Bulk allocations are made by the Textile Commissioner to State Governments, on the basis of total availability of yarn and number of handlooms and powerlooms in each State, as on record with the Textile Commissioner. Further distribution to weavers is made by the State Governments.

Use of Hindi as Optional Medium in Examinations of Nationalised Banks

989. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Bhartiya Banking Sansthan (Institute of Indian Banking) has not granted its approval for the use of Hindi as an optional medium in the examinations of the nationalised banks ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which Hindi would be adopted as the optional medium in the aforesaid examinations?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) to (c) Due to paucity of suitable Hindi text books on the subjects for examinations the Indian Institute of Bankers has not yet been able to offer Hindi as an optional medium for the examinations conducted by it. The Council of the Institute intends to review the matter as soon as suitable text books on Banking and other allied subjects are available.

Payment of Overtime Allowance to Employees of Nationalised Banks

990. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether an amount of Rs. 19 crore was paid in the form of Overtime Allowance to the employees of the nationalised banks after bank nationalisation in 1969;

(b) whether such huge amount of overtime allowance has been paid due to "go slow" movements and shortage of staff in various branches of the Banks; and

(c) if so, the action being contemplated by Government in this regard keeping in view the acute unemployment problem in the country ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) The amount of overtime payments made to the employees of the 14 nationalised banks during the years 1969 to 1972 is as under :

Year	Amount Rs.
1969	405.64 lakhs
1970	488.43 lakhs
1971	614.63 lakhs
1972	711.36 lakhs

(b) The main reasons given by the banks for payment of overtime are :

(i) the augmentation of staff not keeping pace with work requirements as recruitment formalities take time,

(ii) seasonal nature of certain type of work,

(iii) work flow not being even and the need for each days work to be finished on the same day,

(iv) more than normal absenteeism,

(v) agitations by employees during working hours,

(vi) non-co-operation on the part of employees,

(vii) time taken by the newly appointed staff to acquire proficiency; and

(viii) insistence on the part of employees to do certain types of work only on payment of overtime.

(c) The nationalised banks have generally reported that while it is not possible to eliminate completely the grant of overtime payments to the employees, steps have been taken by them to restrict overtime work by adopting various measures including tightening supervision, fixing of ceilings on overtime per office as well as per individual employee, a more equitable distribution of work and provision of additional staff to such branches where it is needed.

Profit Earned by Indian Airlines During 1972-73

992. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the estimated profit to be earned by the Indian Airlines during 1972-73 has now come down considerably ; and

(b) if so, the main reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a)and (b): Yes, Sir. The main reasons are :

1. Disruption of services due to labour disputes.
2. Suspension of Boeing-737 operation through Khajuraho due to repairs to the air field.
3. Delay in delivery of HS-748 aircraft.
4. Loss of one F-27 aircraft VT-DME near Palam in August 1972.
5. Increase in the minimum bonus (Ex-gratia).
6. Increase in the Landing Fees.
7. Increase in Sales Tax on Aviation fuel by Maharashtra Government with effect 1-10-1972.

पश्चिम बंगाल में आयकर की बकाया राशि

993. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आयकर की बहुत बड़ी बड़ी राशियां बकाया हैं और इनमें वृद्धि होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बकाया राशियों को वसूल करने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31 मार्च 1971, 1972 और 1973 को पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (सेन्ट्रल) के आयकर आयुक्तों के कार्य–क्षेत्रों में आयकर की सकल और शुद्ध बकाया निम्नानुसार थी :—

(करोड़ रु० में)

आयकर की बकाया	रकम	
	सकल बकाया	शुद्ध बकाया
31–3–1971 को . .	307.76	234.07
31–3–1972 को . . .	318.49	184.15
31–3–1973 को	295.28	203.05

उपरोक्त तारीखों को सकल और शुद्ध बकाया का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) इस तथ्य के बावजूद कि इस बकाया को वसूल करने के लिये संगठित प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ मुख्य तत्व जो करों की बकाया रकम में घटौती अथवा वसूली में बाधक बनते हैं, निम्नानुसार हैं :—

(i) दोहरे आयकर से राहत का फैसला होने तक के लिए रकमें रुकी पड़ी हैं।

(ii) ऐसी कम्पनियों की और रकमें बकाया हैं जो परिसमापनाधीन हैं।

(iii) ऐसे व्यक्तियों की और रकमें बकाया हैं जो भारत छोड़ गए हैं।

(iv) रकमें अपीलो में विवाद ग्रस्त हैं, हालांकि वे स्थगित नहीं हुई है और न ही किस्ते बंधी हैं।

(v) परिसम्पतियां अभिग्रहीत हैं, लेकिन उनके बेचने में कठिनाइयां हैं। उदाहरणार्थ:—

(क) अभिग्रहित सम्पतियों का स्वामित्व विवादग्रस्त है, जिनमें लम्बे अरसे से मुकदमेबाजी हो रही है।

(ख) जब अभिग्रहीत अचल सम्पतियों को नीलाम किया जाता है तो या तो उनका कोई खरीददार नहीं होता अथवा बोली बहुत कम लगती है।

(ग) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों की बिक्री कठिन होती है, क्योंकि शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय नहीं होते हैं और उस दशा में कोई खरीदार नहीं होत जब शेयर खरीदने पर खरीदार को कम्पनी में बहुत कम हकदारी मिलती हो।

पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (सेन्ट्रल) के आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में आयकर की सकल और शुद्ध बकाया का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

	31-3-71 को	31-3-72 को	31-3-73 को
i सकल बकाया	307.76	318.49	295.28
ii. बकाया के ब्यौरे			
1. रकम जो तीमाही के अन्त से पहले देय नहीं हुई	32.36	64.29	35.48
2. रकम जिसके बारे में अग्रिम-कर के रूप में अथवा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में अदा किये जाने का दावा है और जिसका समायोजन/सत्यापन होना है।	2.90	2.61	2.35
3. रकम जिसके लिए स्थान आदेश मंजूर किया गया है—			
(क) न्यायालयों द्वारा . . .	8.41	13.15	10.23
(ख) आयकर प्राधिकारियों द्वारा			
(i) जिसमें संस्थात्मक कर निर्धारणों के अन्तर्गत आने वाली रकमें शामिल हैं।	12.10	34.14	25.77
(ii) समझौता याचिकाओं का निपटान होना है।	4.16	5.41	2.49
(iii) अन्य कारणों से .	6.08	4.59	1.79
4. रकम जो उपयुक्त मद 3 के अन्तर्गत नहीं आती और जिसके लिए किस्तें मंजूर की गई हैं :			
(i) अपीलों का निपटान होना है . .	2.67	4.92	4.03
(ii) समझौता याचिकाओं का निपटान होना है।	0.50	1.77	1.17
(iii) अन्य कारणों से . .	4.51	3.46	8.92
शुद्ध बकाया (i ऋण मद ii की मद 1, 2, 3 और 4)	234.07	184.15	203.05
5. रकम जो दोहरे कर से राहत अथवा अन्य राहत के दावों के निपटान न होने के कारण अनिर्णीत पड़ी है।	7.42	5.07	5.20
6. रकम जो बट्टे-खाते डालने/मांग कम करने की याचिका पर विचार होने तक अनिर्णित पड़ी है।	5.54	8.47	9.04

	31-3-71 को	31-3-72 को	31-3-73 को
7. रकम जो समापनाधीन कम्पनियों की तरफ देय है ।	5.96	9.12	8.32
8. रकम जो ऐसे व्यक्तियों की तरफ देय हैं जो भारत छोड़ गये हैं और / अथवा लापता हैं और/अथवा जिनकी कोई ज्ञात परिसम्पत्तियां नहीं है और / अथवा जिनकी परिसम्पत्तियां निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक, पाकिस्तान में निहित है और / अथवा जो दीवालिया संबंधी कार्यवाही के अन्तर्गत आते है (उपर मद 6 के अन्तर्गत आने वाली रकम को छोड़ कर)	1.45	15.82	18.66
9. अतिलाभ कर की बकाया .	4.68	4.51	5.05
10. व्यापार लाभ कर की बकाया .	0.18	0.18	0.41
11. अपीलों/संदर्भ याचिकाओं में विवादग्रस्त रकम किन्तु जो स्थगित नहीं की गई है अथवा किस्तों के अन्तर्गत नहीं आती ।	11.66	38.38	50.77
12. अन्य सभी बकाया रकमें	197.18	102.60	105.60
जोड़ .	307.76	318.49	295.28

Irregularities in Chit Fund Companies and Savings Units

955. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether gross irregularities are being committed in the chit fund companies and Savings Units functioning at various places in the country at present ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeswantrao Chavan) : (a) & (b) The irregularities relate, among others, to non-payment of prized amounts as and when they fall due, the system of maintenance of accounts and utilisation of funds for purposes for which directors or foremen are interested. Wherever there are local enactments relating to chit funds as are in force in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Delhi, Pondicherry and Chandigarh, they are brought to the notice of the concerned State Governments or UnionTerritories which are primarily concerned with the inspection and control of chit funds in their areas. In case of infringement of the provisions of Companies Act, appropriate action within the purview of the Act is taken by the Department of Company Affairs. The Reserve Bank has impressed upon the State Governments, which do not have suitable legislation to control the activities of chit funds, to enact such legislation. The Banking Commission has made certain recommendations for the regulation of chit funds and these are under the consideration of the Government.

कलकत्ता में हुगली पुल के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

996. श्री माधुर्य हालदार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के दूसरे हुगली पुल के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ;

(ग) क्या मंजूर की गई विदेशी मुद्रा की राशि पुल अधिकारियों द्वारा मांगी गई राशि से बहुत कम है ; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने से पूर्व सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो तथा आर्थिक कार्य विभाग के बीच कोई विचार–विमर्श हुआ था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) हुगली नदी की दूसरी पुल परियोजना के लिए टेंडरों का मूल्यांकन करने के संबंध में, परामर्शदाता इंजीनियर कम्पनी मेसर्स टेंडर पाल्मर ऐण्ड ट्रिटन, लंदन को अदायगी करने के उद्देश्य से शुरु में पश्चिम बंगाल सरकार को 8,000 पौंड की विदेशी मुद्रा दी गयी थी। बाद में, इस उद्देश्य से कि राज्य सरकार, परियोजना के परामर्शदाताओं की कुछ तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी कर सके उसे 56,000 पौंड की और राशि दी गयी थी। राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे परामर्श के स्वरुप तथा अन्य संबद्ध प्रबन्धों की और जांच किये जाने तक कोई और ऐसा निश्चित संविदात्मक प्रबन्ध करार न करें जिसे विदेशी मुद्रा खर्च होती हो ।

(घ) जी, नहीं। किन्तु नौवहन और परिवहन मंत्रालय की सड़क प्रशासन को, जिसे इस विषय में तकनीकी अधिकार प्राप्त है, इस मामले में संबद्ध किया था।

काले धन का पता लगाने के लिये कार्यवाही

997. श्री माधुर्य हालदार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में काले धन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : देश में काले धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा हाल के दिनों में किये गये वैधानिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के उपायों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

हाल के दिनों में काले धन का पता लगाने के लिए किये गये उपाय

वैधानिक उपाय :

1. वांचू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट के परिणामत: कर अपवंचन को रोकन के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 के माध्यम से कुछ उपबंध लागू किए गये। इस अधिनियम में उन अचलसम्पत्तियों के अर्जन की व्यवस्था है जिनका अन्तरण के समय न्यून–मूल्यांकन किया गया हो क्योंकि ऐसे न्यून-मूल्यांकन से काले–धन की उत्पत्ती और उसका प्रचलन सुविधाजनक हो जाता है।

2. वांचू समिति की रिपोर्ट के इतर भी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 में जो दूसरा उपबंध रखा गया है वह यह है कि बेनामी रखी गयी किसी सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार के अधिकार को लागू कराने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी

न्यायालय में तब तक कोई मकदमा नहीं किया जायेगा जब तक उसने अपनी आय-विवरणी में उस सम्पत्ति से हुई आय की घोषणा न कर दी हो अथवा अपनी धन–कर विवरणी में उसे न दिखा दिया हो अथवा उसने आयकर अधिकारी को एक नोटिस नहीं दे दिया हो जिसमें कुछ निर्धारित ब्यौरे दिये गये हों। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 में, न्यून मूल्यांकन के माध्यम से करों की चोरी रोकने के लिए विभाग के मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कतिपय व्यवस्थाएं की गई हैं।

3. वित्त अधिनियम 1972 द्वारा भी कर अपवंचन के विरुद्ध कुछ उपाय लागू किये गये हैं। वे ये हैं :—

(i) धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यासों की आय और धन पर छूट संबंधी उपबंधों को कड़ा करना।

(ii) आकस्मिक और अनावर्ती आय का जिसमें लाटरियों, वर्ग पहेलियों, दौडों, ताश के खेलों आदि से जीती हुई आय भी शामिल है, कराधान।

(iii) सरकार, स्थानीय प्राधिकार सांविधिक निगम तथा कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को किये गये भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती करना।

(iv) ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, सभी प्रत्यक्ष करों के अपवंचन अथवा परिहार को रोकने और उनकी वसूली के लिए सूचना का आदान प्रदान करने के लिए विदेशों के साथ कर संबंधी करार कर सकती है।

4. 1–4–1971 के बाद किये गये कुछ अन्य वैधानिक उपायों का भी यहां उल्लेख कर दिया जाय :—

(क) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1970 के माध्यम से जो 1–4–1971 से लागू हुआ, ऐसे मामलों में, जिनमें देय शुद्ध कर 3,000 रु० से अधिक हो आय–विवरणी दाखिल करने में किये गये विलम्ब को एक वर्ष के कठोर कारावास अथवा दण्ड अथवा दोनों प्रकार की सजा का दण्डनीय बना दिया गया है।

(ख) खाता बहियों और दस्तावेजों को जानबूझ कर पेश न करने के लिए ऐसी अवधि के कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है जो एक वर्ष हो सकती है या दण्ड दिया जा सकता है अथवा दोनों प्रकार की सजा दी जा सकती है।

5. वित्त अधिनियम 1973 जो हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है, कर–अपवंचन का समाधान करने के लिए कुछ नयी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन उपायों में ये भी शामिल हैं— कर प्रयोजनों के लिए कृषि आय को कृषि–भिन्न आय के साथ आंशिक रूप से मिला देना, अदायगियों के कुछ मामलों में स्रोत पर कर की कटौती के दायरे को विस्तृत करना और हिन्द अविभाजित परिवारों के लिए कुछ परिस्थितियों में कर के संबंध में अलग कार्यवाही।

6. काले धन के विरुद्ध लड़ाई जारी है और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 में इस दिशा में अन्य कई उपाय किये गये हैं।

प्रशासनिक उपाय :

आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1970–71 में 195 तलाशियों के मुकाबले जिनके परिणामतः 140 लाख रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थी। 1971–72 में 516 तलाशियां ली गई जिनके परिणामतः 243 लाख रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई। 1972-73 में तलाशियों की संख्या 532 थी और पकड़ी गई परिसम्पत्तियाँ 454 लाख रु० की थी।

2. कर अपवंचन के सुस्पष्ट मामलों में आय छिपाने के लिए इतस्गासे की कार्यवाही भी; जहां कहीं सफलता पाने का मौका हो, की जा रही है। 1971–72 में इस्तगासों की संख्या 13 थीं। 1972–73 में मंजूर किये गये इस्तगासों की संख्या 50 थी। जबकि 22 मामलों में एसी कार्यवाही की गई।

3. चूंकि नई संपत्तियों के निर्माण में काफी बड़ी मात्रा में लेखाबाह्य धन का इस्तेमाल किया गया है इसलिये शहरी क्षेत्रों में नव–निर्मित सम्पत्तियों का जोरदार सर्वेक्षण करन के आदेश दिये गये हैं। हाल में बम्बई में ऐसी पार्टियों के यहां तलाशियां ला गई जो भवन–निर्माण उद्योग से संबद्ध थीं और जिसके फलस्वरुप मूल्यवान परिसम्पत्तियां और बड़ी मात्रा में दोषारोपणीय दस्तावेज पकड़ गये।

4. आयकर अधिनियम की धारा 133 ए के अधीन शक्तियों का भी प्रायः बार–बार प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसे व्यवसायी निर्धारितियों का जोरदार सर्वेक्षण करन के अनुदश जारी किये गये है जो कर–जाल से बच निकले हैं। व्यवसायी लोगों के मामलों में कर–अपवंचन को रोकने के संबंध में भी विशेष अनुदेश जारी किये गय हैं। शहरी सम्पत्ति और व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का चुनीदा सर्वेक्षण उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। जून 1972 से मई 1973 तक ऐसे सर्वेक्षण के परिणामतः 86,000 से भी अधिक मामलें और शामिल किये गये।

5. संक्षिप्त कर–निर्धारण योजना के कारण जो 1–4–71 से सांविधिक रूप से लागू की गई है, जो जन–शक्ति उपलब्ध है उसे अपेक्षाकृत बड़े मामलों की बेहतर जांच–पड़ताल के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

6. निरीक्षण निदेशालय (जांच–पड़ताल) में एक विशेष एकक स्थापित किया गया है ताकि देश में बड़े बड़े व्यापार गृहों के कर–निर्धारणों पर निगरानी रखी जा सके। आरम्भतः यह एकक केवल दो उद्योग गृहों को देखेगा। इस एकक को काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए भी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यह एकक इन समूहों के बारे में सभी संगत सूचना एकत्र करेगा, इन समूहों का कर–निर्धारण करने वाले अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगा और उनके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे कर अपवंचन अथवा परिहार के तरीकों पर गवेषणा भी करेगा। इस एकक का और विस्तार किया जा रहा है जिससे अधिक व्यापार गृहों को लिया जा सके।

7. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 द्वारा की गई अचल सम्पत्तियों के अर्जन की व्यवस्था के अधीन, इस उपबंध को सांविधिक रूप दिये जाने से लेकर अब तक 580 से भी अधिक मामलों में कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

8. नये पुरस्कार नियम जो पुराने नियमों से अधिक उदार हैं, हाल ही में उद्घोषित किये गये हैं और इसके परिणामतः आशा है कि कर अपवंचन के संबंध में सूचना इकठ्ठी करने के काम की गति बढ़ जायेगी।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में उपभोक्ताओं, ग्रामवासियों, कारगिरों और लघु उद्योगपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

998. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा गरीब तथा मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं, ग्रामवासियों, कारीगरों लघु उद्योगपतियों को अब तक कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया तथा वास्तव में दिया गया ; और

(ख) राष्ट्रीकृत बैंकों में फैजाबाद डिवीजन से ऋण के लिये दिये गये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े हैं तथा उनका निपटान करने के लिये सम्भवतः कितना समय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के विभिन्न जिलों में जून, 1972 के अन्त तक कृषकों, लघु उद्योगों और खुदरा व्यापारियों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	कृषक	लघु उद्योग	खुदरा व्यापार
1. फैजाबाद . . .	4.65	20.32	3.66
2. बाराबंकी .	12.04	1.12	1.76
3. सुल्तानपूर .	0.64	0.23	0.55
4. प्रतापगढ़	0.87	1.53	1.02
5. गौण्डा	8.29	47.83	5.20
6. भड़ैव	3.76	3.45	7.88
	30.25	74.48	20.07

उपरोक्त सूचना फैजाबाद डिवीजन में स्थित 79 कार्यालयों में से 54 कार्यालयों द्वारा भेजी गयी सूचना पर आधारित है।

पांचवी योजना के दौरान अयोध्या में पर्यटन का विकास

999. **श्री आर० के सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अवध की भूतपूर्व राजधानी तथा भगवान राम के जन्म-स्थान अयोध्या में पर्यटन के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ख) इस स्थल ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर्यटन स्थल के विकास को प्राथमिकता देने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सीमित साधनों के अंतर्गत पर्यटन विभाग के लिए उन एतिहासिक तथा पुरातत्विक महत्व के नाना स्थानों का विकास करना, जो कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं, बहुत कठिन है। केन्द्रीय क्षेत्र में अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में मल्यों में वृद्धि

1000. **श्री प्रभुदास पटेल** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 12 महीनों में गुजरात राज्य में मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता चला है कि अकेले गुजरात राज्य में मूल्यों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो वहां मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मूल्यों में इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार, मई, 1972 और 1973 के बीच अहमदाबाद के सूचकांक में 21.1 प्रतिशत की तथा भावनगर के सूचकांक में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसी अवधि में, अखिल भारतीय सूचकांक में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) जिन कारणों से देश के अन्य भागों में मूल्य वृद्धि हुई है उन्हीं कारणों से गुजरात में भी वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं अर्थात् पिछले एक वर्ष से सूखे की स्थिति के परिणामस्वरुप अन्न तथा वनस्पति तेलहनों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी होना।

(घ) सरकार ने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अन्न मुहैया करने के अलावा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ये उपाय किए है :—

(1) आयातों और देश में पहले ही अधिक उत्पादन करने के कार्यक्रमों के द्वारा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करना;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों में उचित दर की दुकानें खोल कर अधिक संख्या में लोगों को, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगो को अनाज उपलब्ध कराना और मुख्य अनाजों को सस्ते मूल्यों पर अधिक मात्रा में जारी करना ;

(3) मूल्य और वितरण पर नियंत्रणों को लागू करके आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का यथोचित मूल्यों पर समान वितरण ;

(4) सरकारी व्यय में, विशेष रूप से विकास-भिन्न व्यय में किफायत करना ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था की आवश्यकता को कम किया जा सके और अर्थ व्यवस्था की अतिरिक्त क्रय शक्ति को बटोरा जा सके।

(5) 30 मई, 1973 से बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत करके तथा उद्योग और व्यापार को दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज लेकर बैंक ऋण की लागत में वृद्धि करना ।

(6) बैंक अग्रिमों की उपलब्धता को कम करने के लिए विनियमनकारी उपायों को सुदृढ़ करना अर्थात प्रारक्षित निधि के अनुपात और नकदी तथा नकदी जैसी परिसम्पत्ति के शुद्ध अनुपात में वृद्धि करना और ऋणों के उपयोग को उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए सीमित करना।

ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में

RE. CALLING ATTENTION

(प्रक्रिया)

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : मैं ध्यान आकर्षण सूचना सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ सुझाव भेजेंगे तो मैं उसपर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कल जब मैंने अमरीका से अनाज के आयात के बारे में ध्यान आकर्षण पर चर्चा आरम्भ की, तो मैंने कहा था कि समाचार-पत्रों में और आकाशवाणी के बुलेटिन में इसके बारे में विस्तार से लिखा और कहा गया है। कृषि मंत्री ने मेरी बात का खंडन किया और कहा था कि सरकार की ओर से किसी को भी मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं बताया गया। मुझे अधिकृत स्रोतों से पता चला है कि 25 तारीख को कृषि भवन में समाचार-पत्रों के सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है, तब ऐसी बातें कभी नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बारे में मुझे लिख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दमनकारी कार्यवाहियों का समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के आदेश पर विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध की गयी दमनकारी कार्यवाहियों के समाचार"

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : सदन को याद होगा कि 16 अप्रैल, 1973 को मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें बताया था कि कुलपति को किन परिस्थितियों में 5 अप्रैल, 1973 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन्द करना पड़ा। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 7 अप्रैल, 1973 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि उन छात्रों और कर्मचारियों की शिनाख्त की जाए तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में गड़बड़ पैदा की थी।

विश्वविद्यालय अनुशासनिक समिति ने 22 अप्रैल, 1973 को हुई अपनी बैठक में अध्यक्ष तथा अनुशासन (प्रोवेष्ट) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दोषी छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया था। समिति की बैठक 3 मई, 1973 को पुनः हुई और दुर्घटनाओं में शामिल 27 छात्रों के मामलों पर विचार किया और उनमें से 21 छात्रों को अनेक आरोपों के लिए दोषी पाया। समिति ने यह भी निर्णय किया कि 5 छात्रों को कारण बताओ के नए नोटिस जारी किए जाने चाहिए और एक छात्र के विरुद्ध कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए। जो 21 छात्र दोषी पाए गए थे उनमें से 12 छात्रों के नामों को विश्वविद्यालय के हाजिरी-रजिस्टरों में से तत्काल काट दिया गया। इनमें से 5 छात्रों को विश्वविद्यालय में अथवा उसके अनुरक्षित संस्थानों में भविष्य में दाखिल नहीं किया जाना था, दो को सत्र 1975–76 के शुरू होने तक दाखिल नहीं किया जाना था और 5 छात्रों को सत्र 1974–75 के शुरू होने तक दाखिल नहीं किया जाना था, बाकी 9 छात्रों को चेतावनी दी गई थी। जिन 5 छात्रों को कारण बताने के नए नोटिस जारी किए गए थे उनमें से 3 छात्रों को अनेक आरोपों के लिए दोषी पाया गया था तथा उनके नामों को विश्वविद्यालय के हाजिरी रजिस्टरों से काट दिया गया था और उन्हें सत्र 1974–75 के शुरु होने तक दाखिल नहीं किया जाना था। एक को चेतावनी दी गई

थी और एक छात्र का मामला अनिर्णित पड़ा हुआ है। कार्रवाई से पूर्व सभी छात्रों को वैयक्तिक तौर पर सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था। इन 15 छात्रों में से 10 छात्रों ने कार्यकारी परिषद को अपील करना पसन्द किया। परिषद ने उनके मामलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया परन्तु परिषद ने पाया कि अपीलकर्ताओं के दावे में कोई जान नहीं थी तथा उनके विरूद्ध पहले की गई कार्रवाई की पुष्टि कर दी। तदनुसार परिषद ने अपीलों को रद्द कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय ने अपनी कार्यप्रणालीयों के अनुसार बहुत संयम से काम लिया है और दमनकारी उपायों को काम में नहीं लिया है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था हैं। इसका सरकार के आदेश पर कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी सरकार के पास उपरोक्त स्थिति में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से असहमत होने का कोई कारण नहीं है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 के खण्ड 36-ए के अन्तर्गत कोई भी छात्र जिसका नाम विश्वविद्यालय के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया गया है, वह कार्यकारी परिषद को अपील कर सकता है जो कुलपति अर्थात अनुशासन समिति द्वारा किए गए निर्णय की सम्पुष्टी, संशोधन अथवा उसे बदल सकता है। किसी छात्र के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किसी भी झगड़े को उसी छात्र के अनुरोध पर मध्यस्थ अधिकरण को भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय के किसी आदेश द्वारा यदि कोई छात्र अपने आप को अपमानित महसूस करता है तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे दूर करने के लिए उसके लिए द्वार खुले हैं। अतः विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई को "दमनकारी उपायों" के रूप में लगाया गया आरोप बेबुनियाद है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्वविद्यालय पुनः खुल गया है तथा सामान्य रुप से कार्य कर रहा है।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्वायत्त निकाय बताया है परन्तु अब जो अधिनियम पास किया गया है, उपरोक्त विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय का राजनीतिक खिलौना मात्र रह गया है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दो बार कहा है कि वहां कोई दमनकारी कार्यवाही नहीं की गई है। इस वक्तव्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि कम से कम तीन छात्र और एक क्लर्क आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिये गया हैं।

निःसंदेह मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इसका विश्वविद्यालय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है जोकि स्वायत्त है। उपरोक्त अधिनियम इस देश की सुरक्षा के लिये पास किया गया था। परन्तु इस मामले में निर्दोष छात्रों को बिना मुकदमा चलाये और बिना किसी कारण के जेल में बन्द कर दिया गया हैं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया तब वहां गड़बड़ आरम्भ हुई थी परन्तु वस्तुतः गड़बड़ तब हुई जब मंत्री महोदय मंत्री परिषद में आये थ। वह वहां पर अपना शासन कायम करना चाहते थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में हर तरीके से अपनी पसन्द के व्यक्ति लाना आरम्भ कर दिया। विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय में साम्यवादियों को नहीं आने देना चाहते। यह मूल समस्या है और इसी के लिये संघर्ष है। प्रधान मंत्री के निवासस्थान के बाहर 44 छात्र विरोध प्रकट कर रहे थे। क्या इस प्रकार दोष व्यक्त करना कोई अपराध है? वहां पर प्रतिदिन प्रदर्शन होते रहते हैं क्योंकि आज प्रधान मंत्री सर्वेसर्वा हैं। जब 44 छात्र धरना दे रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और 23 दिन तक जेल में

[श्री पीलू मोदी]

रखा। अन्त में उनमें से 43 छात्रों को रिहा कर दिया गया और एक छात्र पर आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगाया गया। विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं थी और बिना कारण अचानक ही विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया गया। एक या दो महीने पहले कुछ घटनाएं हुई थी परन्तु बदला लेने की भावना से और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया। इन निर्दोष लड़कों को दो महीने तक लटकाये रखने के बाद बताया गया कि उनका एक वर्ष खराब हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उनका उत्तजित होना स्वाभाविक है। इन में से एक विद्यार्थी को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम की की धारा 8 के अन्तर्गत जो नोटिस दिया गया उसमें लिखा है कि वह अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रों को उत्तेजित करता रहा है कि वे हिंसात्मक कार्यवाही करें और इस से शान्ति को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। एक और सरकार धर्मनिरपेक्षता का दावा करती है और दूसरी ओर व्यवहार में इस प्रकार के काम किय जाते है। वे उस पर साम्प्रदायिक विचारों का व्यक्ति होने का आरोप लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल कुछ मतों को प्राप्त करने के लिये धर्मनिरपेक्षता का दावा किया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि शान्ति को खतरा पैदा हो गया था। 3 मार्च की घटनाओं के बाद वे 9 जुलाइ तक रिहा थे परन्तु शान्ति के लिये कोई खतरा पैदा नही हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय को जला कर रख दिया गया परन्तु वहां भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। परन्तु केवल कल्पना करके कि कहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय जला न दिया जाये, कुछ छात्रों को आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बंद कर दिया गया। मैं इन छात्रों से जेल में मिलना चाहता था, परन्तु मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस सभा के अभिरक्षक होन के नाते सरकार को निदेश दें कि जब संसद सदस्य किसी व्यक्ति से जेल में मिलना चाहते हों, भले ही व आंतरिक्ष सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन जेल में बन्द हो, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे अपने गुप्तचर साथ भेज सकते हैं ताकि वे बातचीत को सुन सकें। (**व्यवधान**) जब उस लड़के का पिता उसे जेल में मिलने गया, तो उसका तिरस्कार किया गया। मं मंत्री महोदय से मांग करता हूं :—

(1) कि एक उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करवाई की जाये कि विश्वविद्यालय को क्यों बन्द किया गया था।

(2) कि तथाकथित अनुशासनात्मक समिति के सभी निन्दनीय अधिनियम वापिस लिये जायें, जो छात्रों के निष्कासन, छात्र संघ समितियता देने और उन छात्रों को परीक्षा में बैठ ने से रोकने के बारे में हैं।

इन सभी छात्रों को रिहा कर देना चाहिये। यदि वह उनको जेल में बन्द रखना चाहते हैं तो वह किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कर सकते हैं परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं जिसके बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि उसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने के लिये किया जायेगा, न कि छात्रों के विरुद्ध।

प्रो० एस० नूरूल हसन : प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दो भाग हैं— (एक) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की गई दमनकारी कार्यवाही और— (दो) में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा और जिला अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में माननीय सदस्य जो स्पष्टीकरण मांगें, वे दूंगा। यदि माननीय सदस्य इस बारे में अधिक जानकारी चाहे तो वह गृह मंत्री से पूछ सकते हैं।

विश्वविद्यालय में 3 मार्च और उसके बाद हुई कुछ घटनाओं के बाद 5 अप्रैल को विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया थी। इस सम्बन्ध में सभा में चर्चा की गई थी और 16 अप्रैल को मैंने एक वक्तव्य दिया था। इस सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि छात्रों

को यह बात बता दी गई थी कि उनका एक वर्ष बेकार हो जायेगा। बात यह थी कि जो परीक्षाएं दिसम्बर के अन्त में पूरी हो जानी चाहिये थीं, 5 अप्रैल तक चल रही थीं। अब यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारी उचित कार्यवाही न करते तो दूसरे सेमिस्टर की पढ़ाई कब आरम्भ होती। फिर उनकी परीक्षाएं कब होतीं और कब परिणाम घोषित किया जाता? ये सब समस्याएं थीं। उप-कुलपति चाहते थे कि सब काम समयानुसार हो ताकि वर्ष 1973–74 के सत्र के अन्त तक छात्रों का कोई समय नष्ट न हो।

सरकार उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिनसे यह पता चलता हो कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही नहीं की या समस्त घटनाओं के बारे में खूब सोच समझकर और विश्वविद्यालय के हित में कार्यवाही नही की। हम विश्वविद्यालय पर कोई दबाव नही डालना चाहेंगे कि वे विशिष्ट अनुशासनात्मक आरोपों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को वापस लें। यदि कोई छात्र महसूस करता है कि कार्यकारी परिषद ने उचित ढंग से कार्यवाही नहीं की और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में कोई विवाद है, तो वह मध्यस्थ निर्णय के लिये न्यायाधिकरण की मांग कर सकता है जो सादा रिकार्ड देख सकता है और यदि यह किसी भी कार्यवाही को अनुचित बताता है तो निश्चय ही कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द किया जा सकता है क्योंकि न्यायाधिकरण का निर्णय सभी सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार करना पड़ेगा।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के बारे में कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता . . .

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री पीलू मोदी ने विशेष रूप से यह मामला उठाया था कि उनको उपरोक्त अधिनियम के अधीन क्यों गिरफ्तार किया गया था। माननीय शिक्षा मंत्री इसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। इस लिये गृह मंत्री को इस बात का उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह बैठ जायें।

श्री पीलू मोदी : उन्होंने छात्र संघ की मान्यता को क्यों समाप्त किया है?

प्रो० एस० नूरूल हसन : हमने ऐसा नहीं किया, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने छात्र संघ की मान्यता को उनकी कुछ अनियमितताओं विशेषकर वित्तीय अनियमितताओं के कारण स्थगित कर दिया है। इस बारे में जांच की जा रही है। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, मेरे लिये कुछ ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो गई है, वह पूरी तरह से स्वायत्त है और इस मंत्रालय का उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मंत्री महोदय ने कल राज्य सभा में वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करने के लिये तैयार हैं जिससे विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्रों के 50 प्रतिशत प्रतिनिधि सीधे छात्रों द्वारा चुन जाए। मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे छात्रों के मन में विश्वास की भावना पैदा होगी।

विश्वविद्यालय के छात्रों ने 13 जून, 1973 को अपना आन्दोलन वापिस ले लिया था। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को छात्रों के मन में विश्वास की भावना पैदा करनी

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

चाहिये थी। अलीगढ़ के छात्रों के मन में संदेह है कि अक्तूबर में प्रस्तावित परीक्षाएं होगी या नहीं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन्हें आश्वासन दें कि सेमिस्टर के अन्त में परीक्षाएं अवश्य होंगी। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को भी इस आशय का आश्वासन देना चाहिये। मंत्री महोदय को यह भी आश्वासन देना चाहिये कि कोई भी विश्वविद्यालय राजनीतिक खिलौना मात्र नही बनने दिया जायेगा। उन्हें इस प्रकार की स्थिति पैदा होने के कारणों की जांच करनी चाहिये। छात्रों को समझाया जाना चाहिये कि उन्हें साधारण अपराधी न करार दे कर छात्र ही समझा जायेगा। इसके साथ ही छात्रों को भी केवल शिक्षा और अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिये। उन्हें मूल्यवृद्धि अथवा खाद्यान्न अभाव सम्बन्धी आन्दोलनों में भाग नहीं लेना चाहिये।

वर्तमान छात्र संघ की मान्यता समाप्त कर दी गई है परन्तु छात्रों को बताया जाना चाहिये कि छात्र संघ के लिये नये चुनाव करने की अनुमति कब तक दी जायगी। मेरे विचार में इन उपायों से विश्वविद्यालय का वातावरण अच्छा बन जायेगा।

प्रो० एस० नूरूल हसन : ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सभा में मेरे वक्तव्य के बारे में माननीय सदस्य को कुछ ग़लतफहमी हुई है। मैंने यह नहीं कहा था कि सरकार का विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई संशोधन करने का है। मैं ने कहा था कि यदि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद विधान में कुछ संशोधन करना चाहे तो सरकार अनुकुल सिफारिश करके उन्हे विज़िटर को अनुमोदनार्थ भेज देगी। मैं ने इस आशय का सुझाव विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के दौरान भी दिया था।

मैंने पहले भी बताया था कि विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों द्वारा अपने विधानो में समय-समय पर संशोधन करने की व्यवस्था है। इसीलिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में उनके संविधान शामिल नहीं किए जाते हैं।

परीक्षा-तिथियों के बारे में, इस विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्य-सत्र 1973–74 में अध्यापन, परीक्षाओं और नियुक्तियों का कार्यक्रम पहले ही बना लिया है।

मैं श्री पाराशर से सहमत हूँ कि इस विश्वविद्यालय को या किसी भी विश्वविद्यालय को राजनीतिक आखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। यह ठीक है कि छात्रों को अपराधी नहीं समझा जाना चाहिये, परन्तु छात्रों को भी हुल्लड़बाजी ही न करनी चाहिये, और उसे कानून ऊपर नहीं समझना चाहिये। अलीगढ़ के कुलपती बड़े दयालु हैं और उन्होंने छात्रों के उन कार्यों पर भी कोई कार्यवाही न करने का निर्णय किया है जिन्हें आम तौर पर माफ नहीं किया जा सकता।

छात्र संघ को भंग न करके केवल निलम्बित ही किया गया है और यह कुछ समय बाद कार्य करने लगेगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

(प्रश्न)

Shri Madhu Limaye (Banka) : Kindly give me two minutes before deciding upon my Adjournment motion.

Mr. Speaker : I do not hold it to be in order.

Shri Madhu Limaye: I am not challenging your authority but kindly listen to me.

Mr. Speaker : When I have no doubt about it, I need not know your views.

Shri Madhu Limaye : You can atleast listen to me on constitutional aspect of the motion. You may use your discretion but discreetly

My point is that all Central and State Governments have been constituted under Constitution. But what has happend in Rajasthan is a crear violation of the Constitution. You may call for facts from the Home Ministry and only then give a ruling on my motion.

अध्यक्ष महोदय : इन बातों का संसद से कोई संबंध नहीं है। आप उच्चतर न्यायालय से न्याय मांग सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

धनकर (तीसरा संशोधन) नियम, आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, सम्पदा शुल्क अधिनियम और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आपात संकट (माल) बीमा (दूसरा सशोधन) स्कीम, आपात संकट (उपक्रम) बीमा (दूसरा संशोधन), स्कीम, सरकारी बचत बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम, 1970 के आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन का अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अधिसूचनाए और उत्तर प्रदेश विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1973

वित्त मत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूँ :

धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 327 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय म रखा गया। देखिएं संख्या एल० टी० 5198/73।**]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 369 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5199/73।**]

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 461 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5200/73।**]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 302 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या सां० आ० 1612 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 771 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5201/73।]

आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात संकट (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 343 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात संकट (उपक्रम) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 344 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5202/73।]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाकघर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 724 में प्रकाशित हुए थ।

(दो) डाकघर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 725 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5203/73।]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 485 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 560 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5203/73।]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 231 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 255 (ङ) से 265 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 266 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 283 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) असबाब (संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 286 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 306 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 341 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 1973 में प्रकाशित हुए थ तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 727 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई,, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5205/73 ।]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 250 (ङ), 251 (ङ), 252 (ङ), 253 (ङ) और 254 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 276 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 318 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 322 (ङ) और 323 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 533 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 605 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 606 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 654 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5206/73 ।]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और तत्संबंधी लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेख और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेख और तत्संबंधी लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण ओर क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(छः) कनारा बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बम्धी प्रतिवेदन।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रिया कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेख और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5207/73 ।]

(एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 की धारा 16 की उपधारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 81 की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभापटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5208/73]।

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 जून, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन, उत्तर प्रदेश विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 6) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 12 जून, 1973 को प्रख्यापित किया गया था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5209/73]।**

भारतीय काजू निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, इलायची (संशोधन) नियम, 1973 और निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाए

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5210/73]।**

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 564 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5211/73]।**

(3) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सुखाई गई मछली का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1141 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गलीचों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1488 में प्रकाशित हुए थ।

(तीन) काजू-गिरी का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधत नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1621 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चमकीली इस्पात छडो का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 9 जून 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1622 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1625 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) जमाई गई झींगा मछली का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1626 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सुखाये गये शार्क पंखों और सुखाये गये फिश मांस का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1627 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) काजू-गिरी का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1628 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) मेडक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1629 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) गम करया का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1630 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) तेल रहित चावल भूसी का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1631 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1693 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5212/73] ।

5. **श्री बी० शंकरानन्द** : मैं लोक सथा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक)	विवरण संख्या 28	छठा सत्र, 1968
(दो)	विवरण संख्या 31	सातवां सत्र, 1969
(तीन)	विवरण संख्या 30	आठवां सत्र, 1969
(चार)	विवरण संख्या 28	नौवां सत्र, 1969
(पांच)	विवरण संख्या 31	दसवां सत्र, 1970
(छः)	विवरण संख्या 21	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

(सात)	विवरण संख्या 22	दूसरा सत्र, 1971
(आठ)	विवरण संख्या 14	तीसरा सत्र, 1971
(नौ)	विवरण संख्या 13	चौथा सत्र, 1972
(दस)	विवरण संख्या 7	पांचवां सत्र, 1972
(ग्यारह)	विवरण संख्या 5	छठा सत्र, 1972
(बारह)	विवरण संख्या 3	सातवां सत्र, 1973
(तेरह)	विवरण संख्या 4	सातवां सत्र, 1973

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5213/73] ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के पांचवें अध्याय में की गई सिफारिशों के उत्तरों का विवरण

STATEMENT SHOWING REPLIES TO RECOMMENDATIONS CONTAINED IN CHAPTER V OF EIGHTEENTH REPORT OF COMMITTEE ON WELFARE OF S. C. AND S. T.

सरदार बूटा सिंह : मैं स्टेट बैंक आफ इन्डिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिय आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन मे की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में की गई सिफारिशों के उत्तरों के विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो सरकार द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये समय पर नहीं भेजे गये थे, सभा पटल पर रखता हू।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5216/73 ।]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि 30 जुलाई, 1973 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा मे निम्नलिखित सरकारी कार्य निपटाया जायेगा;

(i) आज की कार्य-सूची से बचे किसी भी सरकार-कार्य की मद पर विचार;

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा;

(iii) दिल्ली विक्रय कर विधेयक, 1973। **(विचार तथा पास करना)**

(iv) टैक्सटाइल्स समिति (संशोधन) विधेयक, 1973। **(विचार तथा पास करना)**।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा आप से अनुरोध है कि आप वित्त मंत्री जी तक हमारा यह अनुरोध पहुंचा दे कि यह सभा वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना चाहती है। इसी चर्चा में सभी कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न भी शामिल होना चाहिये।

यद्यपि तत्कालीन श्रम मंत्री ने कहा था कि बोनस का प्रश्न आयोग के समक्ष है परन्तु वास्तव म ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया जाये। अत: वित्त मंत्रीजी के लौटने पर इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा रखी जानी चाहिये।

दूसरे, मैं गृह मंत्री से एक वक्तव्य. दिल्ली के चिड़ियाघर के कर्मचारियों पर हुई ज्यादातियो के बारे में चाहता हूं। उनके संघ के अध्यक्ष को बुरी तरह पीटा गया और उन्होंने श्री पन्त से मिलना चाहा तो उन्होने मना कर दिया।

तीसरे, मैं चाहता हुं कि प्रेस स्वामित्व को अधिक हाथों में देने संबंधी विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाना चाहिये।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह शीघ्र इस पर अपना निर्णय लेकर सभा को इसकी सूचना दे। अत: मैं नहीं चाहता हूं कि सभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाय। दूसरे, बोनस के मामले में यदि सरकार बोनस पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद निर्णय करना चाहती है, तो इस पर मैं यहां चच नहीं चाहता।

श्री के० रघुरामैया : जहां तक वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा का संबंध है सरकार सदा इसके लिए तैयार है और सभा जब चाहे। इस पर चर्चा की जा सकती है। अन्य बातों की सूचना मैं संबंधीत मंत्रियों को दे दूंगा।

मधुपुर पर 5 अप हावड़ा-अमृतसर मेल और 87 अप दक्षिण बिहार एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. COLLISION OF 87 UP SOUTH BIHAR EXPRESS WITH 5 UP HOWRAH-AMRITSAR MAIL AT MADHUPUR

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं दुःख के साथ सदन को एक गंभीर दुर्घटना की सूचना दे रहा हूं जो आज बड़े सवेरे पूर्व रेलवे पर हुई। लगभग 1.50 बज जब 5 अप हवड़ा-अमृतसर मेल बडे आमान के आसनसोल झाझा दोहरी लाइन वाले खण्ड पर मधुपुर स्टेशन के अप आउटर सिगनल पर खड़ी हुई थी तो 87 अप साउथ बिहार एक्सप्रेस 5 अप के पिछले भाग से टकरा गयी। परिणाम स्वरूप 87 अप का इंजन और 2 बोगियां और 5 अप की 3 बोगियां पटरी से उतर गयीं। सबसे बाद की उपलब्ध सूचना के अनुसार, 17 व्यक्ति मारे गये और 50 अन्य घायल हुए जिनमें से 10 को गंभीर चोटें आयीं।

इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर रेलने के डाक्टरों और अन्य अधिकारियों को लेकर चिकित्सा यान दुर्घटना स्थल को रवाना कर दिया गया। मल्हम-पट्टी के बाद घायलों को आग इलाज के लिए मधुपुर, देवगढ़ और चित्तरंजन के अस्पताल ले जाया गया।

पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य की देख-रेख करने के लिये दुर्घटना स्थल को चल पड़े हैं। रेलमंत्री भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, पूर्व रेलवे, कलकत्ता इसी 28 तारीख को मधुपुर में इस दुर्घटना की विधिक जांच करेंगे।

खान (संशोधक) विधेयक

MINES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिती का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 18 अगस्त, 1973 तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खान अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 13 अगस्त, 1973 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

कम्पनीज (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

श्री त्रिदिब चौधरी (बन्हाणपूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय चालू सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूमि संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करनेवाले विधेयक सन्बधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय चालू सत्र के अन्तिम दिन तक और बढाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में सरकार की असफलता

Shri Madhu Limaye (Banka) : During the last Session also I had raised the matter regarding Tariff Commission Reports and after the discussion held on 16th, you had admnished them. Inspite of that, these Reports have not been published so far although one report was presented as early as 1966 and another in September, 1971 but it appears that the massive majority has gone to their head so much that they have started disregarding Parliament's rights.

Reegarding the Report on synthetic rubber I may submit that it should have been published about two years earlier and the result thereof is that tyre-prices have been steadily going up dispite the fall in it sale. The other big users of his commodity Bata and Sahu Jain Shoe Companies have also been allowed to benefit through this default perhaps because they are regular contributors to the Election funds of the ruling party. According to the Tariff Commission Act, all such reports should be made available to Parliament within three months along with action taken or proposed to be taken by Government thereon this has not been done.

I, therefore, demand that the Minister concerned should not only tender an apology here but see that action is taken against those responsible for this lapse. If this is notdone you may appoint a Committee to go into the matter in order to bring the guilty to book.

ओद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं सब से पहले यह स्वीकार करता हूं कि लिनोलियम के मूल्य कम करने के बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने में हम असफल रहे है। वास्तव में मेरा ध्यान इस ओर श्री लिमये की सूचना प्राप्त होने पर ही गया।

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हम उक्त आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही करने में भी असफल रहे है और मैं इसके लिए सभा से क्षमा मांगता हूं। मैं इस मामले में जांच आदि की कार्यवाही अविलम्ब पूरी किए जाने के आदेश पहले ही दे चुका हूं और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इसी सत्र मे यह रिपोर्ट और इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सूचना दे दी जाएगी। मैंने संबंधीत अधिकारियों से इतने अधिक विलम्ब के लिए स्पष्टिकरण देने को भी कह दिया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सभा का निरादर करने या सदस्यों के अधिकार का उल्लंघन करने का कोई आशय हमारा नहीं है। इस स्पष्टीकरण और आश्वासन को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि इस मामले की इस समय और पैरवी न की जाये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंनें बिना शर्त माफी मांग ली है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय के कारण बताएं जिनस यह विलम्ब हुआ है। हम केवल खेद ही नहीं चाहते है, हम चाहते है कि वह माफी मांगे ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसी बात की तो जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने पर ब्यौरा संसद को दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी गलती व दोष मान लिया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं ।

संशलिष्ट रबड के उचित विक्रय मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और बेटा आक्सी नेफथोइक एसिड के मूल्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : इस बात की जानकारी मुझे कुछ पहले हो गयी थी और मैंने इस मंत्रीमंडल की समिति के सामने रखा जिसने इस पर कुछ निर्णय लिये। लेकिन जो कुछ भी संश्लिष्टि रबड़ कम्पनियों के भाग में से कम किया गया वह बाटा तथा अन्य उद्योगों के खज़ाने में जाता हैं क्यों कि ये ही इस वस्तु के एक मात्र ग्राहक हैं। वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि इन पर किस प्रकार उत्पाद शुल्क लगाया जाये।

मैं आज संश्लिष्ट रबड़ के उचित मूल्यों सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख रहा हूं। इसके साथ मैंने विलम्ब के कारण सम्बन्धी टिप्पणियां भी संलग्न कर रखी हैं ।

श्री मधु लिमये ने बी० ओ० एन० एसिड की चर्चा भी की है। जहां तक सम्भव हो मैं इस पर भी निर्णय ले रहा हूँ। विलम्ब के लिये उत्तर यी लोगों का पता लगाने के लिय भी मैंने मंत्रालय को कहा है।

श्री मधु लिमये ने चुनाव व्यय की चर्चा भी की है। जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है मुझे पैसों की जरुरत नही पड़ी क्योंकि मैं राज्य सभा को आया और मैं निर्विरोध चुना गया।

श्री मधु लिमये ने एक बड़ा चुनाव लड़ा और उन्होंने पैसा भी खर्च किया होगा **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० मावंलकर (अहमदाबाद) : मैंने निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया **(व्यवधान)** ।

श्री देवकान्त बरुआ : श्री मधु लिमये की आवश्यकताएं मेरे से अधिक थी क्योंकि व उन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा और मैं राज्य सभा के लिये चुना गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र---जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

टेरीफ आयोग का प्रतिवेदन (1971)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :--

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, संशलिष्ट रबड़ के उचित विक्रय मूल्यों के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1971) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)**।

(3) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभापटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** ।

ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सख्या एल० टी० 5215/73)

टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1966)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बेटा ओक्सो नेफ्थोइक एसिड के मूल्य ढांचे के सम्बन्ध म टरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1966) की अेक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5214/73**]।

उत्तर प्रदेश के रीवा और सीधी जिलों में सूखे की स्थिति के बारे में

RE. DROUGHT IN REWA AND SIDHI DISTRICTS OF U.P.

श्री रणबहादुर सिंह (सीधी) : मैं सदन का ध्यान कृषि मंत्री द्वारा खाद्यान्न सम्बन्धी चर्चा के सम्बन्ध में दिये गये भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। रीवा और सीधी जिलों में इसी प्रकार का अकाल है उन्हें स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिये वहां जाना चाहिये। वहां कोई सिंचाई के साधन नहीं और न ही कोई वर्षा हुई है।

वहां प्रति व्यक्ति को प्रति मास 5 किलो राशन मिलता है जो बहुत कम है। कृषि श्रमिकों को अधिक खाद्यान्न देने के बारे में कृषि मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक

MYSORE STATE (ALTERATION OF NAME) BILL

अध्यक्ष महोदय : हमें नाम बदलने सम्बन्धी इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर देना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): कुछ माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते थे जो इस समय यहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर क्यों समय लें। इस काम को हम किसी ज़रुरी काम पर लगा सकते है (**व्यवधान**)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

भूतपूर्व श्रेणी ख के मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक रखने के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों से काफी समय से मांग होती आ रही है।

मैसूर राज्य के दोनों सदनों ने सर्वसम्मत्ति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि इस राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा जाय। मैसूर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक यहां लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैसूर के लोग आज दुर्भिक्ष और सूखे के शिकार हैं वे इस विधेयक का स्वागत किस प्रकार कर सकते हैं, सूखे के कारण वहां पशु मर रहे है, किसान स्वयं हल खेच रहे है । ऐसी स्थिति में लोग इस विधेयक से कसे प्रसन्न होंगे।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म.प. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चौंतीस मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirtyfour minutes past Fourteen Hours of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : हम लोगों के लिये इस विधेयक का पारित करना हर्ष की बात है ।

कर्नाटक राज्य वास्तव में सन 1956 में अस्तित्व में आया था । इस अस्तित्व को आज औपचारिक रूप से मान्यता दी जा रही है । कर्नाटक में प्राचीन मैसूर राज्य, भूतपूर्व बम्बई रियासत के चार जिले, भूतपूर्व मद्रास रियासत के दो जिले, भूतपूर्व हैदराबाद रियासत के तीन जिले आदि आदि आते हैं । यह राज्य मेरे विचार में देश का एक सुन्दर राज्य है जो अपने नये नाम के साथ देश के नकशे पर उभरेगा । यह राज्य हर दृष्टि से समृद्ध है। यहां के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों देश में शांति और स्थायित्व का परिचय दिया । इस राज्य में सभी धर्मों को माना जाता है । वह हिन्दू नागरिकों का न केवल सम्मान करने और उन्हें सुविधा देने में ही अत्यधीक धर्म-निरपेक्ष था अपितु वह व्यक्तिगत रूप से मैसूर के हिन्दूओं के धार्मिक मत का आदर करता था । कर्नाटक राज्य अपनी क्षमता में बहुत ही सम्पन्न राज्य है और यह औद्योगिक दृष्टि से शांतिपूर्ण राज्य रहा है ।

हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि मैसूर का नाम कर्नाटक राज्य रखा जा रहा है । जब महात्मा गांधी ने नेशनल काँग्रेस का पुनर्गठन किया और कर्नाटक कांग्रस बनाई तभी से हम उत्सुक थे कि मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा जाये । मुझे विश्वास है कि पुराने मैसूर राज्य की संस्कृति, प्रौढ़ शिक्षा के प्रति उदार नीति और अन्य परम्पराओं का नये कर्नाटक राज्य द्वारा पूर्णतया पालन किया जायेगा ।

मुझे आशा है कि इस राज्य का देश की आर्थिक क्षमता में विशिष्ट योगदान रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक मैसूर राज्य का नाम बदलनेवाला सीधा सा विधेयक है । हमें केवल संविधान में संशोधन करने वाले संवैधानिक कार्य को पूरा करना है । मेरे पास लगभग 18 माननीय सदस्यों के नाम ह अतः उनसे अनुरोध है कि वे पांच मिनट से अधिक समय न लें ।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : किसी राज्य के नाम से उस राज्य की संस्कृति और वहां के लोगों की भाषा का पता चलना चाहिएं और मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक में बदलने

---

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

से लोगों का दीर्घकाल से संजोया हुआ स्वप्न साकार हो रहा है और इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने के अवसर पर मैं प्रसन्नता अभिव्यक्त करता हूं।

कर्नाटक राज्य के तमिलनाडु और केरल के साथ कुछ नदी-जल विवाद है और इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य और केरल राज्य के साथ सीमा-संबंधी विवाद है। यदि इन अन्तर्राज्यीय विवादों को शीघ्र ही निपटा दिया जाता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि सम्बन्धित राज्य विकास की ओर अपना ध्यान केन्द्रीत कर सकते हैं।

***श्री एस० बी० पाटील** (बागलकोट) : मैं श्री पंत द्वारा प्रस्तुत मैसूर राज्य (नाम का परिवर्तन) विधेयक, 1972 का स्वागत करता हूँ।

राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक राज्य रखा जाना चाहिए। अत: इस विधेयक को 1956 में ही लाया जाना चाहिए था परन्तु इसको इतनी देर बाद अब संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है।

राज्य में रहने वाले सभी तीन करोड़ लोग इस विधेयक का स्वागत करते हैं। इन लोगोंकी अपनी भाषा तथा संस्कृति है, इस राज्य का गुजरा समय बहुत महान था और इस समय विजयनगर राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस राज्य में भूतपूर्व हैदराबाद प्रांत, मद्रास राज्य, बम्बई प्रांत तथा महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र मिलाये गये हैं अत: राष्ट्रीय एकीकरण का यह एक अद्वितीय उदाहरण है।

अभी दो अथवा तीन महीने पहले सुमित्रा देसाई नामक एक महिला आश्चर्यजनक परिस्थितियो में एक मंत्री के निवासस्थान से निकलते हुए गुम हो गई थी। राज्य की पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा सकी है। आशा है कि अब इस राज्य की पुलिस इस को शीघ्र ढूंढने का प्रयास करेगी। इस मामले में केन्द्रीय सरकार को भी राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): The States Reorganisation Commission had also recommended that the name of the Mysore State should be changed to Karnataka. The state itself was reorganised on the basis of language heritage and culture of the area which now form part of the Mysore State. The word Karnataka reflects the live heritage and culture of the people of this area. I shall suggest that the names of other States should also be changed accordingly. The name of Andaman and Nicobar Islands should be changed to Subash Islands or Vir Savarkar Islands. The name of the State of Nagaland should also be changed.

Some steps have been taken to solve the boundary dispute between Mysore and Maharashtra. I suggest that this dispute should be solved according to the wishes of the people of the area concerned.

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : It is a historical fact that the culture, education and religion of Ladakh is very old. It is still the main Centre of Buddhist religion. The Centre has special responsibility towards the all round development of this region. It is the demand of the people of Ladakh to change the name of Jammu and Kashmir to Jammu, Kashmir and Ladakh State. The Gajendragadkar Commission has also voiced the same

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Kannada.

[Shri Kushok Bakula]

wish. Only in case of war with China or Pakistan, Ladakh gets prominence. Otherwise it is forgotten. So it is my suggestion to change the name of Jammu and Kashmir to Jammu, Kashmir and Ladakh State. By doing so Ladakh will be able to get proper attention from the Government for its development.

*श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबसप्पा (शिमोगा) : हम इस विधेयक का स्वागत करते है जिसके द्वारा मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक में बदला जायेगा। कर्नाटक की जनता इसके लिये बहुत आभारी है।

श्री के० हनुमंत्तैया का यह दृढ़ मत था कि हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर होना चाहिए, वह चाहते थे कि मैसूर के आस-पास के कन्नड बोलने वाले क्षेत्रों को मैसूर में मिला लिया जाये, परन्तु इसका राजनितिक विरोध किया गया था। मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते थे। श्रीमति इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने सर्व सम्मति से इस राज्य का नाम कर्नाटक रखने का निश्चय किया। यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि हम उन व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये महान त्याग किया था।

कर्नाटक राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, बंदरगाह बनाने तथा इस्पात कारखाने आदि स्थापित करने में यहां की स्थिति अनुकूल है, विकास संबंधी परियोजनाओं के पूरा होने पर वहां आर्थिक समृद्धि लाई जा सकेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : यह प्रसन्नता का विषय है कि मैसूर राज्य का नाम बदला जा रहा है, देश के विभिन्न राज्यों का नाम प्राचीन नामों पर रखना एक प्रशंसनीय कार्य है, मद्रास, बम्बई, गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल आदि राज्यों का नाम इसी सिद्धान्त पर रखा गया है अथवा बदला गया है, मुझे आश्चर्य है कि कतिपय मामलों में सरकार इस सिद्धान्त का पालन नहीं कर रही है।

यह सब मानते है कि नाम का अपना एक अलग महत्व होता है और यह मनुष्य के पुरातन इतिहास का द्योतक होता है, इसी के द्वारा जनता अपने इतिहास तथा परंपरा से संपर्क बनाए रखती है। मैसूर की जनता की इस मांग के पीछे यही कारण है, इसी प्रकार सरकार लकादीव, अमीनदीव और मिनीकाय द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप रखने के लिए एक विधेयक लाने वाली है, यह बात मेरी समझ से बाहर है कि फिर सरकार उन लोगों के विरुद्ध कठोर रवैया क्यों अपना रही है जो यही मांग कर रहे है।

इसी आधार पर पृथक विदर्भ राज्य की मांग की जा रही है, विदर्भ का अपना एक प्राचीन इतिहास है।

मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार ने विदर्भ के लोगों की मांग क्यों अस्वीकार कर दीं। यदि सरकार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिये सहमत हो सकती है, तो वह विदर्भ और तेलंगना को पृथक राज्य बनाने के लिये क्यों सहमत नहीं होती। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक नाम नहीं है। यह नाम अंग्रेज़ों ने रखा था। इसमें आगरा और अवध के प्रान्त मिले हुए है। जनता चाहती है कि इन दोनों क्षेत्रों को अलग नाम दिया जाये तथा दो पृथक राज्य बनाये जायें।

मेरा यह सुझाव है कि पौराणिक नाम से राज्यों का पुनर्गठन करने, और समाज संस्कृति, भाषा और इतिहास के लोगों को एक जगह रखने के लिये एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।

*कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Kannada.

*श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किये जाने का संकल्प मैसूर विधान सभा द्वारा 27 जुलाई, 1972 को पारित कर दिया गया था। सरकार को मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधयक 1972 को सभा में प्रस्तुत करने के लिये मैं मैसूर की जनता की और से धन्यवाद देता हूं।

यदि हम कर्नाटक के कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा राज्य की एकता और कल्याण के लिये किये गये कार्य की सरहाना नहीं करेंगे, तो हमारा कर्त्तव्य पूरा नहीं होगा। यद्यपि कन्नड राज्य मे कन्नड भाषा-भाषी लोगों की एकीकरण की इच्छा पूरी हो गई है लोगों की कुछ अकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। उदाहरण के लिये कन्नड भाषा की प्रशासन के सभी स्तरों में प्रयोग किया जाना चाहिये। राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे मंगलौर पत्तन और विजयनगर इस्पात संयंत्र परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

बम्बई और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये कृष्णा और कावेरी सिंचाई योजनाओं पर काम आरंभ किया जाना प्रशंसनीय है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कर्नाटक राज्य का देश में महत्वपूर्ण स्थान हो जायेगा।

कर्नाटक राज्य में अनेक भाषा भाषी लोग हैं और वे शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य ने उनकी भाषा और संस्कृति के विकास को पूरा प्रोत्साहन दिया है।

तूलू भाषा को राज्य सरकार ने उचित स्थान नहीं दिया है। आकाशवाणी ने उक्त भाषा को प्रोत्साहन देने की परवाह नहीं की है। नये कर्नाटक में तूलू भाषा को उचित स्थान दिया जाना चाहिये। कर्नाटक राज्य में कोई भाषा सम्बन्धी विवाद नहीं है। राज्य के प्रशासन में भेदभाव का रवैया समाप्त किया जाना चाहिये।

1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय कुछ कन्नड भाषी क्षेत्र केरल और तामिल नाडू के निकटवर्ती राज्यों में शामिल कर दिये गये थ। उन क्षेत्रों को कर्नाटक राज्य में शामिल किया जाना चाहिये।

*श्री के० मालान्ना (मधुगिरि) : मैं मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1972 का स्वागत करता हूं। मैसूर राज्य को कर्नाटक का नाम दिये जाने से वहां के लोग बहुत प्रसन्न हैं। कर्नाटक राज्य की अपनी संस्कृति हैं। राज्य में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य की आर्थिक क्षमता का अभी पता लगाया जाना है। यह दुःख की बात है कि राजनैतिक कारणों से मैसूर राज्य का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। संसद द्वारा मैसूर राज्य को कर्नाटक राज्य का नाम दिये जाने के विधेयक को पारित करने पर हम सब प्रसन्न हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हुं कि वह कर्नाटक राज्य की खनिज सम्पदा तथा उसके प्राकृतिक संसाधनो का विदोहन कराने में उसकी सहायता करें।

निष्कर्ष में मैं प्रादेशिक असंतुलनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। इन्हीं के कारण आंध्र प्रदेश को दो प्रदेशों में विभाजित करने की मांग की जा रही है। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसी विभाजन करनेवाली प्रवृतियों को पड़ौसी राज्यो में विशेषकर कर्नाटक राज्य में घुसने न दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक राज्य को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि लोग उसका अधिकतम लाभ उठा सकें।

*कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

श्री के० चिकलिंगैय्या (वंडया) : उपाध्यक्ष महोदय प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक रखना है इस विधेयक का औचित्य ऐतिहासिक भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। 450 वष पहले कृष्ण देवरया के शासनकाल में हुक्का और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया विजयनगर साम्राज्य महानता के शिखर पर था। यह कर्नाटक साम्राज्य का स्वर्ण युग था। अभी भी हम्पे स्थित खंडहर इसकी महानता की कहानी कहते है। उक्त क्षेत्र के लोग कन्नड भाषा बोलते थ कन्नड कवियों ने भी कर्नाटक शद्व का प्रयोग अपनी रचनाओ में किया है। कन्नडी लोगों की अपनी संस्कृति थी। राज्य पुर्नआयोग के अनुसार राज्यों का पुर्नगठन भाषा के आधार पर किया गया है। मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु किया गया है और हैद्राबाद का आंध्र प्रदेश अत: अब मैसूर का नाम बदल कर कर्नाटक रखना उचित ही है।

अन्त में मैं प्रादेशिक असमानताओं विषय में दो शद्व कहना चाहता हूं। हम नहीं चाहते कि मैसूर को भी आंध्र की तरह इस समस्या का सामना करना पडे इन शद्वों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री के० के० शेठी (मंगलौर): मैं इस नाम परिवर्तन का प्रसन्नता और राहत के साथ स्वागत करता हूं। कर्नाटक के लोग तो कब से यह चाहते थे कि इसका नाम कर्नाटक हो पर मैसूर के पुराने नेता इस नाम के पक्ष में नहीं थे। 17 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के पश्चात आज इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। इससे हम अखंड कर्नाटक क्षेत्र के लोग बहुत ही प्रसन्न है। मैसूर विधान मंडल में हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त था और यदि हम चाहते तो भारी बहुमत से नाम में परिवर्तन कर सकते थे किन्तु हम अपने आप को इस प्रलोभन से दूर किए रहे और हमने नाम परिवर्तन के हेतु सहमत होने के लिए पुराने मैसूर के लोगो की अच्छी भावना पर छोड दिया। आखिरकार वे सहमत हो गए और मैसूर विधान मंडल के नाम परिवर्तन करने वाले इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर दिया अत: यह एक अच्छा विचार है।

इस अवसर पर मैं कर्नाटक के भविष्य या परियोजनाओ के सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह सिर्फ नाम परिवर्तन का मामला है। मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं।

***श्री एस० एम० सिद्धय्या** (चामराजनगर): आज का दिन कर्नाटक राज्य के लोगो के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक रखने के लिए यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है और मैं इस विधयक का स्वागत करता हूं।

1956 में जब से राज्यों का पुर्नगठन हुआ है तभी से मैसूर का नाम कर्नाटक रखने की मांग की जा रही थी। परन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से वहां के स्थानिय नेता इस नाम पर सहमत नहीं हुए और जब श्री हनुमंतय्या वहां के मुख्य मंत्री बने तो यह मामला उनपर छोड दिया गया ताकि वह इसपर शांतिपूर्ण समझौता करा दें। इसके बावजूद भी इस सम्बन्ध में इस राज्य की विधान सभा स संकल्प पारित कराने में 17 वर्ष लग गए।

यह विधेयक 3 करोड़ कन्नड भाषी लोगों की भावनाओं को पूरा करता है मैं यहां एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। पडौसी राज्यों में भी कई कन्नड भाषी क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु में तलवंडी फिरका और केरल में कासरगोड्डु वहां के लांग कन्नड भाषा बोलते है और उनकी यह इच्छा है कि उन्हें कर्नाटक राज्य के साथ मिला दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि इन कन्नड भाषी क्षेत्रों को मैसूर के साथ अवश्य मिला दिया जाएगा।

*कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

28 वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० एस० मिश्र (छिंदवाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 28 वें प्रतिवेदन से, जो 25 जुलाई, 1973 की सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 28 वें प्रतिवेदन से जो 25 जुलाई, 1973 की सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

नये अनुच्छेद 130क का अन्तःस्थापन

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद सदस्यों की आस्तियों का प्रकटीकरण विधेयक
THE DISCLOSURS OF ASSETS OF MEMBERS OF PARLIAMENT BILL

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्यों और उनके कुटुम्बों की आस्तिओं के अनिवार्य प्रकटन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों और उनके कुटुम्बों की आस्तियों के अनिवार्य प्रकटन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

छात्रों के लिये अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण या समाज सेवा विधेयक
COMPULSORY MILITARY TRAINING OR SOCIAL SERVICE FOR THE STUDENTS BILL

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में छात्रों के लिये अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण या समाज सेवा का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में छात्रों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण या समाज सेवा का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दि जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विक्रम महाजन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अनिवार्य खेती तथा कृषि सह-कुटिर उद्योगों की स्थापना-विधेयक
COMPULSORY CULTIVATION AND SETTING UP OF AGRICULTURE-*CUM*-COTTAGE INDUSTRIES BILL

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory cultivation and setting up of agriculture-*cum* cottage industries by the Government at village level in each block of the country for solving the un-employment problem of all sections of society and for making available sufficient quantity of foodgrains in Government godowns at all times.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समाज के सभी वर्गों की बेकारी की समस्या को हल करने तथा हर समय सरकारी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य खेती तथा देश के प्रत्येक खंड में ग्राम स्तर पर कृषि-सह-कुटिर उद्योगों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Ram Bhagat Paswan : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 80 का संशोधन तथा चतुर्थ अनुसूची का लोप)

श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

(धारा 224, 226 आदि का संशोधन)

Shri E. V. Vikhe Patil (Kopargaon) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri E. V. Vikhe Patil : I introduce the Bill.

अनिवार्य परिवार नियोजन विधेयक

COMPULSORY FAMILY PLANNING BILL

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं ?

"कि देश के सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य परिवार नियोजन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विक्रम महाजन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 371 का संशोधन)

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adapted.

श्री वसंत साठे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

निर्धनों को निशुल्क विधिक सहायता विधेयक
FREE LEGAL AID TO THE POOR BILL

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निर्धन नागरिकों के लिये विधिक सहायता तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्धन नागरिकों के लिए विधिक सहायता तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 355 का प्रतिस्थापन)

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी वर्तमान नियमों में जो कमियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है।

अनुच्छेद 335 का अभिप्राय अनुसूचित जनजातियों को कतिपय संरक्षण देना है किन्तु वास्तव में जो हो रहा है वह इसके बिल्कुल विपरीत है। । 'प्रशासन की कार्यपटुता बनाए रखने की संगति के अनुसार' की इस अभिव्यंजना का प्रयोग कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के

हमारे उम्मीदवार पदों के लिए पात्र तथा उपयुक्त नही समझे गए हैं और यही कारण है कि इन वर्षों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए किए गए आरक्षित पदों को प्राप्त नही कर सके हैं।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं। 'क्षमता' की यह शर्त सामान्य उम्मीदवारों के लिये नहीं है केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये ही है। इससे ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को सदा अक्षम और अयोग्य समझा जाता है। इस धारा में सुधार किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 309 के अनुसार केन्द्रीय भर्ती नीति केन्द्र द्वारा तथा राज्य भर्ती नीति राज्य के कानूनों द्वारा तय की जानी है। परन्तु 1950 से अभी तक अंतरिम व्यवस्था चल रही है। मैं चाहता हूं कि उक्त अनुच्छेद के राज्यों को पृथक भर्ती संबन्धी नीति निर्धारित करने दी जाय।

श्री दंडपाणि ने स्वयं कुछ सुधारों का सुझाव दिया है। भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व को इस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए कि कम से कम 25 वर्ष में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार हो सके।

संविधान में केवल अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था है जबकि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी ऐसी व्यवस्था की है परन्तु इससे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में कमी पडती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा न हों। तदानुसार सरकार ने आरक्षणों का प्रतिशत 45 निर्धारित किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों में अन्य लोगों को सम्मिलित न किया जाये।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : सभा को पता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसुचित जन जातियों के हितों के संरक्षण के लिये सरकार सभी प्रयत्न कर रही है तब इस बारे में कोई संवैधानिक संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव मैं माननीय सदस्य को इसे वापस लेने का परामर्श देता हूं।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्तावक महोदय तथा अन्य सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 375 के संशोधन के बारे में व्यक्त की गई भावनाओं का आदर करता हूं निश्चय ही इससे सभा को इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने का अवसर मिला है।

इस संशोधन का उद्देश्य आरक्षणों को कम से कम 25% करने का विचार है। संविधान के निर्माताओं ने इन समुदायों के पिछड़ेपन पर पहले ही विचार कर के संविधान में इस बारे में समुचित-व्यवस्था की है।

इस समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये कुल $22\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण हैं। खुली प्रतियोगिता के अलावा भर्ती के लिये प्रतिशत 24.16% है। इस प्रकार कुल प्रतिशत लगभग 25% ही है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की जन संख्या 1971 की जन-गणना के अनुसार 21.54% है। इस प्रकार उनके लिये आरक्षित स्थान उनकी जनसंख्या से पहले ही ज्यादा हैं।

ऐसे आरक्षित स्थानों, जिन्हें उसी वर्ष में नहीं भरा जाता है तीन वर्ष के लिये आगे ले जाने के बारें में आदेश दे दिये गये हैं। इस बारे में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि आगे ले जाने वाले पद कुल रिक्त स्थानों के 25% से अधिक न हो। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 50% से अधिक रिक्त स्थानों को अगले वर्ष ले जाने का निर्णय किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : उच्चतम न्यायालय संविधान को गैर-कानूनी घोषित नहीं कर सकता।

श्री अेफ० अेच० मोहसिन : उस निर्णय का सारांश मैं बाद में दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि संविधान का संशोधन हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय के बीच में पड़ने का कोई प्रश्न नही उठता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : न्यायालय का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तुत विधेयक में अनुच्छद 16 के संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि अनुच्छेद 375 को संशोधित कर दिया जाता है तो इससे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं होता है।

श्री एफ० एच मोहीसन : जबतक अनुच्छेद 16 का संशोधन नहीं होता है तबतक कार्य नहीं बनेगा। इसलिए रिक्त पदों को आगे ले जाने के नियम को सरकार ने इस प्रकार संशोधित किया कि ऐसे पदों की संख्या 50% से अधिक न रहे।

संविधान के अनुच्छेद 335 में राज्य का अभिप्राय केन्द्रीय सरकार, भारतीय संसद प्रत्येक राज्य की सरकार एवं सभी स्थानीय अधिकरण सम्मिलित है। इसलिए राज्य की परिभाषा के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इस के सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू किये जाने का प्रश्न हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये सेवाओं में स्थान सुरक्षित करने की कार्यवाही की जा चुकी है और सभी राज्य सरकारों से भी वैसी कार्यवाही करने को कहा गया है।

जहां तक राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र जैसे सिद्धान्तों के अपनाये जाने का प्रश्न है, हम उनके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नही करना चाहते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने इस विधेयक के पारित होने के प्रभाव को ठीक से नहीं समझा है। इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने पर यह सभी राज्यों पर लागू हो जायेगा। उनके कथन का अभिप्राय क्या है?

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं अपितु वह ऐसा कर रहे हैं। राज्यों से परामर्श किये बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय।

श्री एफ० एच० मोहसिन : अगर राज्य सरकारें आरक्षण चाहती, तो वे यह उपाय कर सकती हैं। राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के साथ हस्तक्षेप करने की हमारी नीति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी-अभी यह कहा कि राज्य सरकारों के परामर्श के बगैर वह इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर राज्य सरकारों की राय जानने के लिए इस विधेयक को उन्हें भेजा जाये, तो क्या मन्त्री महोदय को कोई आपत्ति होगी?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

इस बारें में विभिन्न राज्यों में अनुसुचित जाति और अनसूचित जनजातियों की जनसंख्या का भिन्न-भिन्न प्रतिशत अनुपात है। कुछ राज्यों में भर्ती की प्रतिशतता अधिक है। आन्ध्र प्रदेश में भारत

सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की भर्ती की प्रतिशतता क्रमशः 13 और 5 है। मेघालय में अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती की प्रतिशतता क्रमशः 1 और 44 है। इस लिए सभी राज्यों के लिए एक-समान व्यवस्था नहीं की जा सकती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान का एक प्रावधान दूसरे प्रावधान का उल्लंघन कैसे कर सकता है? आप यह कह सकते हैं कि सरकार हर कीमत पर इसका विरोध करेगी, तो कोई समज भी सकता है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : संघलोक सेवा आयोग अथवा खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए पहले से ही आरक्षण है—यह आरक्षण अनसूचित जातियों के लिये 15% है और अनसूचित जन जातियों के लिए 7.5 प्रतिशत है। जिन पदों के लिए खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा नहीं है, वहां आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 16.23% और 7.5 प्रतिशत है, जो कुल 24% बैठता है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% स्थान आरक्षित है।

भारत सरकार के कार्यालयों में तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों के लिए निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	आरक्षित स्थानों का प्रतिशत	
	अनसूचित जाति	अनसूचित जन जाति
असम	6%	18%
बिहार	14%	9%
गुजरात	7%	14%
मध्य प्रदेश	30%	5%
उड़ीसा	16%	24%
पंजाब	23%	5%
हरियाणा	30%	5%
राजस्थान	17%	12%
तमिलनाडु	18%	5%
उत्तर प्रदेश	21%	5%
पश्चिम बंगाल	20%	6%

राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। अनेक सदस्यों ने क्रियान्वयन के बारे में पुछा है। सूची काफी लम्बी है और इसे मैं सभा पटल पर रखता हूं। यह सच है कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० तथा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में अभी तक भर्ती सन्तोषजनक नहीं थी, परन्तु यह हर्ष की बात है कि अब हाल में प्रथम श्रेणी और द्वितिय श्रेणी की सेवाओं में

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की पर्याप्त संख्या में भर्ती की जा रही है। उनकी भर्ती अधिक संख्या में हो सके, इसके लिए उम्र योग्यताओं और शारीरिक क्षमता में भी कुछ ढील दी गई है। केन्द्रीय सरकार का यह प्रयास है कि भविष्य में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की अधिक संख्या में भर्ती हो।

यह शिकायत मिलती है कि क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता। जहाँ इस प्रकार की शिकायतें मिलती है, उनकी हम जाँच करते हैं और समुचित कार्यवाही की जाती है।

85 सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की नीति को क्रियान्वित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी सरकारी उपक्रम सरकार की इस नीति का पालन करें।

प्रस्तावक महोदय प्राइवेट कम्पनियों, प्राइवेट कारखानों, ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों आदि के उपर भी आरक्षण का सिद्धांत लागू करना चाहते थे। विधि मन्त्रालय की राय में यह वैध नहीं है और न ही प्राइवेट कम्पनियों को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। हमने विभिन्न वाणिज्य मण्डलों से यह अनुरोध किया है कि वे अपने सदस्य संगठनों से कहें कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करें। मुझे खुशी है कि वाणिज्य मण्डलों ने इस बारे में आदेश जारी किये हैं।

हम चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों के प्रति पूर्वाग्रह के कारण कोई भी योग्य उम्मीदवार ठुकराया न जाय। मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की अधिकाधिक संख्या में भर्ती हो। इन शब्दों के साथ, मैं यह अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावक अपने संशोधन पर जोर न दें।

श्री आर० पी० उलगानम्बी (वैल्लोर) : अगर सरकार विधेयक की भावना से सहमत है, तो क्या वह इस प्रकार के विधेयक को स्वयं पेश करेगी ?

श्री बी० के० दास चौधरी (कुच बिहार) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति दूरस्थ स्थानों और ग्रामों में रहते हैं, और जो वाणिज्यिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, न्यूनतम योग्यताप्राप्त उन व्यक्तियों को पहले भर्ती कर लिया जाय, तथा सेवाकाल के दौरान हीं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय।

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम इस सुझाव की जाँच करेंगे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : मेरे द्वारा पेश किये गये इस विधेयक पर हुई बहस में जिन सदस्यों ने भाग लिया और जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।

कांग्रेस सदस्यों का यह रुख है कि पिछड़े वर्ग के फायदे के लिए प्रस्तुत विधेयक का वह इस आधार पर विरोध करते हैं कि वह विरोधी पक्ष के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हरिजनों के तथा कथित नेता और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समिति के भूतपूर्व सभापति श्री बसुमतारी ने यही तर्क देकर इस विधेयक का विरोध किया है।

श्री स्टीफन के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 16(2) और 16(4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाज के निर्बल वर्गों का ध्यान रखते हुए ही रोजगार के अवसरों की समानता प्रदान की जाय। अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 335 में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने की बात कही गई है।

संविधान के खण्ड iii और iv के अधीन क्रमश: अनुच्छेद 16 और 46 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को संरक्षण दिया गया है, परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि सरकारी पक्ष इस विधेयक का समर्थन नहीं करे, क्योंकि वर्तमान संशोधन का उद्देश्य समाज के निर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों की एक निर्धारित प्रतिशतता को सुनिश्चित करना है। अगर सरकारी पार्टी इस विधेयक का समर्थन नहीं करती तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकारी पार्टी समाज के उन निर्बल वर्गों के हितों का समर्थन करने में रुचि नहीं रखती, जिनके समर्थन के बल पर यह सरकार खड़ी हुई है।

पदोन्नति के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को क्रमश: 15 प्रतिशत और 27 प्रतिशत पदोन्नति के स्थान दिये गये हैं। गृह मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में कहा गया है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अगर उनकी सेवा पंजी में "अच्छा" वर्ग में रखा गया है, तो समिति उन्हें "बहुत अच्छा" वर्ग में पुनर्वर्गीकृत करके रखे। सभी इस बात को जानते हैं कि सरकारी विभाग किस प्रकार कार्य करता है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी "अच्छा" वर्ग में है, तो उसको "बहुत अच्छा" समझा जाता है। अगर वह "बहुत अच्छा" है तो उसे "श्रेष्ठ" माना जायेगा।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। उनका कहना है कि वर्ष 1961 और 1971 के बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में कमी हो गई है। सभी इस बात को जानते है कि भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या कम दिखाने का यह सुनिश्चित षड़यन्त्र है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नौकरियों आदि के मामले में उचित प्रतिनिधित्व न दिया जा सके।

सरकार का यह कहना भी कोई अर्थ नहीं रखता कि अनुसूचित जाति के लोक उपलब्ध नहीं होते। सरकार उनकी शिक्षा पर भारी राशि व्यय कर रही है और दूसरी ओर कहती है कि उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। सरकार का उनकी शिक्षा पर व्यय किया गया धन बेकार हो जाता है यह सरकार को स्वीकार करना चाहिए या सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि उम्मीदवार तो उपलब्ध, है परन्तु सरकार उन्हें भर्ती नहीं करती।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पुरे भारत में अब तक अनुसूचित जाति तथा जन जाति के कितने लोगों की भर्ती की गई है और आरक्षित स्थानों को क्यों नहीं भरा गया ? मन्त्री महोदय ने कहा की उच्चतम-न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह 50% स्थानों से अधिक नहीं हो सकता। अब सरकार आसानी से उच्चतम न्यायालय तक पहुँच सकती है, क्योंकि जगों की नियुक्ति सरकारी पार्टी द्वारा की जाती है।

मन्त्री महोदय ने यह कहा कि वह राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे रहे, क्योंकि वह राज्य सरकारों के प्रशासन के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। क्या मन्त्री महोदय इसी मामले में राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन करते है या अन्य मामलों में भी वह राज्य सरकारों की स्वायत्तता का समर्थन करेंगे ?

इसके पेरूमल समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 281 पर कहा है कि मन्त्रालय अनुसूचित जातियों के आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार पदों पर भर्ती नहीं कर रहे। भर्ती रजिस्टर भी नहीं रखा जा रहा और न उसकी समुचित रूप से जाँच ही की जाती है। मन्त्रालयों द्वारा जो भी सूचना सप्लाई की गई, वह अपूर्ण और अपर्याप्त थी।

मै पहले कही हुई बात को दुहराना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण करते समय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें संविधान के निर्देशक

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

सिद्धान्तों को ध्यान में नहीं रखतीं। अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही नियुक्त किया जाता है। जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और बैंकों आदी में भी बहुत ही कम संख्या में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों, की भर्ती होती है। देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इण्डियन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, इण्डीयन ओव्हरसिज बैंक, में एक भी अनुसूचित जाति के कर्मचारी को भर्ती नहीं किया गया है। 103 सरकारी उपक्रमों के बारे में भी यही स्थिति है।

मैं सरकार और इस सदन से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करें। अनेक राज्यों के काँग्रेस सदस्य 25% से अधिक स्थानों का आरक्षण चाहते थे, अत: मैंने अपने विधेयक के बारे में यह संशोधन पेश किया है कि आरक्षित स्थान 25% से कम नहीं होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि ने अपने संशोधन का नोटिस तो दिया था, परन्तु उसे पेश नहीं किया गया था; अत: इस समय कोई भी संशोधन नहीं है।

संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इसे पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	**विपक्ष में**
Ayes	*Noes*
19	78

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

श्री **एस० सी० सामन्त** (तामलूक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) डा० हेनरी आस्टिन
(2) श्रीमती मुकुल बनर्जी
(3) श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
(4) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा
(5) श्री मूलचन्द डागा

(6) श्री बी० के० दासचौधरी
(7) श्री जगन्नाथराव जोशी
(8) श्री एम० कतामुतु
(9) श्री एच० एन० मुकर्जी
(10) श्री नारायण चन्द पाराशर
(11) श्री एच० एम० पटेल
(12) डा० वी० के० आर० वर्धराज राव
(13) श्री अर्जुन सेठी
(14) श्री डी० पी० यादव; और
(15) श्री एस० सी० सामन्त

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का निदेश दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने ** वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौपा जाये जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) डा० हेनरी आस्टिन
(2) श्रीमती मुकुल बनर्जी
(3) श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा
(4) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा
(5) श्री मूल चन्द डागा
(6) श्री बी० के० दासचौधरी
(7) श्री जगन्नाथराव जोशी
(8) श्री एम० कतामुतु
(9) श्री एच० एन० मुकर्जी
(10) श्री नारायण चन्द पाराशर
(11) श्री एच० एम० पटेल
(12) डा० वी० के० आर० वर्धराज राव
(13) श्री अर्जुन सेठी
(14) श्री डी० पी० यादव; और
(15) श्री एस० सी० सामन्त

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का निदेश दिया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के बारे में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It has been demanded through this Bill that education should be brought under concurrent list. If we want to formulate a national policy on education and if education policy has to be got implemented effectively through States, education can not be the sole responsibility of States. This thing was mentioned

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

in a meeting of National Integration Council and it was felt that steps shoud be taken towards this direction. There is Congress rule almost in all the states except Tamilnadu. Such a change can be brought about very easily.

There is no uniformity in the text books, prescribed by various State Governments. Some of the text books are against the spirit of national integration, keeping of the education in concurrent list does not mean that we are taking away any subject from the States. We want to give the right to the Centre as well so that it can enact the laws in consultation with the States. In my view this is a very good Bill which must be passed.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर पहले भी पौने दो घण्टे बहस हो चुकी है। पिछली बहस के परिणामस्वरुप इसे जनमत जानने के लिए प्रचारित किया गया था। प्राप्त अभिमतों को सभापटल पर भी रखा जा चुका है।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय। इस पर बहस के लिए आधा घण्टे का समय भी रखा गया है। इसलिए अब एक ही मसले पर विचार करना है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय अथवा नहीं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : श्री सामन्त द्वारा प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य काफी सराहनीय है। राज्यों और केन्द्र के बीच शिक्षा के क्षेत्र में तालमेल होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी इस विषय का समवर्ती सूची में रखा जाना आवश्यक है। मैं विधयक की भावना से पूर्णतः सहमत हूं और इस विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति को सौंपा जाय।

अगर सब बातें स्पष्ट हैं और सदन में इस विषय पर चर्चा हो सकती है तो विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने से कोई लाभ नहीं। अतः यह विधेयक प्रवर समिति को न सौंपा जाकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए और निर्णय किया जाना चाहिए।

[**श्रीमती शीला कौल** पीठासीन हुईं
SHRIMATI SHEILA KAUL *in the Chair*]

श्री समर गुह (कन्ताई) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। हमारे देशमें शिक्षा का ढांचा और पाठ्यक्रम का ढांचा बड़ा ही अस्तव्यस्त है। ऐसा प्रतीत होता है मानों भारत एक समेकित राष्ट्र नहीं है और प्रत्येक राज्य अपनी शिक्षा-विधि का विस्तार करने अथवा अपने पाठ्यक्रम या परीक्षा-विधि अथवा शिक्षण विधि का ढांचा बनाने के लिए स्वतंत्र है।

शिक्षा आयोग के हाल ही के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि परीक्षा क्रम 10 वर्ष बाद फिर स्नातकोत्तर परीक्षासहित 3 बार दो दो वर्ष बाद होना चाहिए। परन्तु विभिन्न राज्यों में शिक्षा-क्रम अलग अलग हैं। शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा है गया कि इंटरमीडिएट परीक्षा का विचार न केवल असम्बद्ध है बल्कि व्यर्थ भी है। यदि एक राज्य का छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने के उद्देश्य से जाता है तो उसे विभिन्न परीक्षाक्रमों और पाठ्यक्रमों के कारण परेशानी उठानी है। अतः मेरे विचार में शिक्षा के पाठ्यक्रमों और परीक्षा क्रमों में समन्वय और एकरुपता होनी चाहिए।

शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं विधेयक के उद्देश्य और कारण में की गई व्यवस्था और तर्कों से सहमत नहीं हूं। हमारे मन में यह धारणा बन गई है कि यदि हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो सारा कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। यह धारणा बहुत खतरनाक है। यदि हम शिक्षा को केवल राज्य का विषय मानते हैं तो हम समस्या का केवल एक पहलू देख रहे हैं। शिक्षा मात्र साधन नहीं, साध्य है।

विधेयक को प्रवर समिति में भेजने से कोई लाभ नहीं। इस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए। विधेयक में शिक्षा को मात्र संघ सरकार का विषय नहीं कहा गया और यह ठीक भी है। संघ सूची की मद 63 और 66 में यह उपबन्ध है कि केन्द्र को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। परन्तु दुःख की बात है कि इसके बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। विश्वविद्यालयों के मामले में संघ सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया। अतः मेरा विचार है कि विधेयक पर यहीं चर्चा की जाए और इसको प्रवर समिति को न भेजा जाए। यदि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है तो इस का अर्थ यह होगा कि हम यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया जाए। यह बात स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : I rise to support the Bill. I do not agree to hon. Member's opinion that education in the hands of the State will bring national regimentation. I understand that the hon. Member is labouring under a wrong nation.

The Standard of educasion is deteriorating in our Country. Students who come outside from their Colleges after completing graduation or post graduation, are quiet blank in general knowledge.

It is high time for education to be taken seriously. There has been persistent demand for the takeover of education. But past experience shows that Government has been unsuccessful in the sphere of nationalisation.

Before sending the Bill to the Select Committee, it should be discussed in the House because the Bill is very important. Government had better accepted the Private Member's Bill. But if the Government do not want to accept the Bill, they should bring forward a Comprehensive Bill and pass it. I agree to the provisions in principle and want that opinion of the House should be taken in the matter.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : I rise to support the Bill and want that Education should be included in the concurrent list. Government had accepted while discussing the subject previously that recommendations sent to the State Government for implementation are not implemented and this has created a number of difficulties. An amendment should be made in the constitution for the inclusion of education in the concurrent list. It will help us in carrying out the basic changes in the structure of Education.

Bill should not be sent to the Select Committee. It should be discussed thoroughly in the House. But I do agree that education should be included in the concurrent list.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : I thank Sh. S. C. Samanta for drawing the attention of the House to an important matter. This Bill was earlier discussed on12th May, 1972 and it was decided that the Bill be sent for eliciting public opinion thereon. Only nine states have responded. Of these, six states have opposed and one has supported. Two have given no comments. Chandigarh and Punjab have opposed and Arunachal and Delhi have supported the Bill. Ten Universities have sent their comments. The Advocate General of Mysore and Shri Mehar Singh, the retired Chief Justice of High Court of Punjab and Haryana have opposed the proposition envisaged in the Bill. Kothari Commission had recommended that Education should be brought under concurrent list.

I am not prepared to concede that States are not able to manage education properly. We should not believe in regimentation or concentration of power. Education Commission, which was Constituted under the Chairmanship of Shri Kothari had also recommended in Article 18.30 :

"We have examined this problem very carefully. We are not in favour of fragmenting education and putting one part in the concurrent and the other in the State list. We also

[Shri D. P. Yadav]

do not agree with our colleagues and are of the view that, in a vast Country like ours, the position given to education in the Constitution is probably the best because it provides for a Central leadership of a stimulating but non-coercive character. The inclusion of education in the Concurrent List may lead to undesirable Centralisation and greater rigidity in situation while the greatest need is for elasticity and freedom of experiment."

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : मंत्री महोदय का उद्धरण तकनीकी और ऊंची उच्च शिक्षा के बारे में है जबकि श्री एस० सी० सामन्त का विधेयक प्राथमिक शिक्षा के बारे में है।

Shri D. P. Yadav: The Commission was of the opinion that education should not be brought under Concurrent List. On the basis of my experience of the last two and a half year. I can say that we cannot achieve any thing by adopting the method of coercsion or interference. How it is possible for the Centre to manage 9 Crores School going children, 30—32 lakhs teachers and about 6 lakhs educational institutions?

Shri Samar Guha : Concurrent List and Management are two different things.

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : माननीय मंत्री केन्द्रीय विषय और समवर्ती सूची के विषय की दुविधा में पड़ गए हैं।

श्री डी० पी० यादव : मैं दुविधा में नहीं हूं। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा को समवर्ती सूची में लाकर हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? मेरे विचार में इतने बड़े विशाल देश में किसी चीज़ को थोपना ठीक नहीं। हमें व्यावहारिक होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार स्तम्भ बनती जा रही है। हमने राज्य के शिक्षक संघों को इस परिषद के कार्यों में भाग लेने का अनुरोध किया है। हमने बड़े पैमाने पर ग्रीष्म कालीन संस्थान शुरू किए हैं। इस परिषद् के माध्यम से विज्ञान शिक्षा की एकरुप प्रणाली तैयार की जा रही है। इसके लिए हम संगोष्ठियों का आयोजन कर रह हैं।

श्री वसंत साठे : भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रविरोधी, इतिहास-विरोधी, भूगोल-विरोधी लेख लिखे हुए हैं। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री डी० पी० यादव : राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तत्त्व का पूरी ताकत के साथ सामना करना होगा। सरकार राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात करने वाले तत्त्वों को सहन नहीं कर सकती। कभी कभी हमारे ध्यान से यह बात हट जाती है परन्तु हमें इस ओर पूरा ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय एकता विरोधी तत्त्वों का सामना किया जाए।

सरकार ऐसे पुस्तकें निर्धारित करने के लिए सोच रही है जिससे एकरुपता बनी रह। राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हर जगह प्रशंसा हो रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री एस० सी० सामन्त से अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक वापिस ले लें।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए। मैं यह नही चाहता कि विधेयक इस सदन में अभी पारित किया जाए। सरकार को इस विधेयक में संशोधन करने चाहिए।

देश के सभी शिक्षाविद् भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। इसमें परिवर्तन की अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा में एकरुपता लाई जाए और यह तभी हो सकता है जब केन्द्र इसमें रुचि ले। सभी राज्यों से इस सम्बन्ध में राय पूछी गई थी। केवल 9 राज्यों ने राय भेजी है। कुछ राज्यों से न्यायाधीशों ने अपनी राय भेजी है। विधि मंत्रालय अपनी राय देने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की राय की खबर समाचार पत्रों में छपी थी जिसमें कहा गया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए। औपचारिक रुप से सरकार के पास कोई खबर नहीं आई है। मैं इस राय के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जो भी किया जाना है, शीघ्र किया जाए। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय एकता की रक्षा हो सकती है।

सप्रू आयोग ने भी यही सुझाव दिया था कि दस वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा की जाये और उसकी सिफारिशों के सन्दर्भ में भावी गतिविधियों को देखा जाय तथा फिर यह निर्णय किया जाये कि क्या करना है। मेरा सुझाव यह है कि सभी राज्यों के मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझाया जाए। मैं यह नहीं चाहता कि किसी पर दबाव डाला जाय। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उन बातों पर ध्यान दे, जो माननीय सदस्यों ने कही हैं। चूंकि मेरे मित्र यह चाहते हैं कि मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का आग्रह न करूं। इस लिए मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा से अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदय : पहले मैं श्री मूलचन्द डागा का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक के वापस लेने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

नेताजी राष्ट्रीय अकादमी विधेयक
NETAJI NATIONAL ACADEMY BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार और उससे सम्बद्ध तथा अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस विधयकको प्राथमिकता दी है। इससे उनकी देशभक्ति की भावना का पता चलता है। भारतीय लोगों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को विभिन्न रुपों में श्रद्धांजलि अर्पित की है किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसे नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि कहा जा सके। समिति ने इस विधेयक को "ए" श्रेणी देकर नेताजी के प्रति राष्ट्र के कर्त्तव्य को अंगीकार किया है।

[श्री समर गुह]

कुछ वर्ष पूर्व जब मैं नेताजी के बारे में जानकारी एकत्र करने जापान गया था तो उस समय वहां संवाददाताओं ने मेरे से यह पूछा था कि यदि नेताजी भारत वापस आ भी जायेंगे तो क्या हो जायगा ?" इसका मैंने यह उत्तर दिया था कि नेताजी के अपने देश वापस लौटने पर भारत में राजनीतिक भूचाल आ जायगा।" यदि हम 1941 से 1945 तक के स्वतंत्रता संग्राम पर दृष्टि डालें तो हमें नेताजी की देशभक्ति, महानता, क्रान्तिकारिता आदि का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि उनकी आजाद हिन्द फौज का स्वतंत्रता-संग्राम में क्या योगदान था। नेताजी और आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों का पता देशवासियों और क्रूर अंग्रजों को उस समय लगा जबकि लाल किले में इन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। नेताजी की महानता, देशभक्ति, त्याग और आजाद हिन्द फौज सम्बन्धी गतिविधियों की सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डा० राधाकृष्णन, डा० पट्टाभि सीतारामैया, डा० रफी अहमद किदवाई आदि ने प्रशंसा और सराहना की। नेताजी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे, यह न केवल मैं कहता हूं वरन् वे भी कहते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से उनके विरोधी थे। डा० पट्टाभि सीतारामैया ने नेताजी के व्यक्तित्व को "महाकाव्यीय व्यक्तित्व" बताया। भारतीय नेताओं के अतिरिक्त विश्व के अन्य नेताओं ने भी नेताजी की प्रशंसा की। जनरल टोजो ने सुभाष चन्द्र बोस को "एशिया का महान नेता बताया। मेजर ताहाशी ने उन्हें "सुपर मैन" की संज्ञा दी। फिलिपीन के डा० लोरेल ने कहा कि "आज तक जितने महान व्यक्तियों से मैं मिला हूं उनमें सबसे महान व्यक्ति सुभाष चन्द्र बोस थे।" मेरे विचार से नेताजी सबसे महान क्रांतिकारी और नेता थे। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मैं विश्व के अन्य क्रांतिकारियों और नेताओं की महत्ता घटा रहा हूं। मुझे ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि हमारे राष्ट्र ने महान व्यक्तियों और महानतम व्यक्ति और क्रांतिकारी के प्रति कभी भी आभार प्रकट नहीं किया है। हां, सरकार के रुख में अब थोड़ा परिवर्तन आया है। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। किन्तु किसी स्पोर्टस एसोसिएशन या किसी विध्वंसक पोत का नाम नेताजी के नाम पर रख देने मात्र से यह अभाव पूरा नहीं होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह विधेयक सभा के सामने लाया हूं। हम नहीं चाहते कि भविष्य में भी हमारे राष्ट्र को इस दृष्टि से कृतघ्न कहा जाय कि उसने स्वतंत्रता संग्राम काल के महान राष्ट्र नेताओं का आभार स्वीकार नहीं किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले अवसर पर पूरा करें।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 30 जुलाई, 1973/8 श्रावण, 1895 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Elenen of the Clock on Monday, the 30th July, 1973/Sravana 8, 1895 (Saka)